प्राधिकरण बोर्ड की 168वीं बैठक हेतु विचारणीय विषयों की कार्य-सूची

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

तिथि :- 24 जुलाई, 2020

समय :- अपराह्न 04.00 बजे

स्थान :- मसऊद सभागार, प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 168वीं बैठक दिनांक 24.07.2020 में विचारणीय प्रस्तावों की विषय सूची

क्र0	विषय	पृष्ठ संख्या
01.	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 29.02.2020 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	01
02.	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 29.02.2020 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	06
03	हरदोई रोड कामधेनु नगर प्रसार योजना (बसंतकुंज) के अन्तर्गत समझौते के आधार पर देय अवशेष प्रतिकर धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में।	11
04.	लखनऊ–सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में स्थित मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कार्पोरेशन लि0 की निरस्त टाउनशिप की भूमि पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की नवीन योजना हेतु भूमि अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में।	36
05.	बसंतकुंज योजना में स्थित कैटिल कालोनी में तटबन्ध के निर्माण से प्रभावित भूखण्डों का पूनर्वासन हेतु निर्माण के मूल्यांकन प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में।	42
06.	आउट सोर्सिंग के माध्यम से रखे गये वरिष्ठ सहायक कास्ट एकाउन्टेन्ट की सेवा अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	48
07.	लखनऊ विकास प्राधिकरण की सम्पत्तियों के मूल्यांकन गाइड लाइन में संशोधन के सम्बन्ध में।	54
08.	व्यवसायिक भूखण्डों की ई–नीलामी की मूल शर्त संख्या–4 को निक्षेपित करने व नई शर्त जोड़ने के सम्बन्ध में।	57
09.	जनपद–लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर योजना स्थित पार्किंग की भूमि पर मल्टीलेविल पार्किंग एवं ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो रेलवे स्टेशन से मल्टीलेविल पार्किंग जोड़ने हेतु फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।	69
10.	भूखण्ड संख्या–221स, निकट टी0वी0 टावर, ग्राम–बेगरिया, हरदोई रोड, लखनऊ पर पेट्रोल पम्प के सम्बन्ध में।	81
11.	कैटिल कालोनी के बन्धे के संरेखण एवं अर्धनिर्मित बन्धे के पूर्ण न हो पाने के कारण प्रभावित भूखण्डों के वृहद् स्तर पर समायोजन हेतु।	88
12.	बसन्तकुंज योजना में गोमती नदी के किनारे अवस्थित मास्टर प्लान पार्क एवं खुला स्थल में "राष्ट्र प्रेरणा स्थल" का विकास किये जाने के सम्बन्ध में।	92
13.	अनाधिकृत/अतिरिक्त निर्माण के नियमितीकरण हेतु शमन योजना–2020 लागू किये जाने के सम्बन्ध में।	99
	अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।	

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 29 फरवरी, 2020 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।

पुष्टिकरण

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनाक 29.02.2020 का कार्यवृत्त दिनांक 07.03.2020 को समस्त मा0 सदस्यों को अवलोकनार्थ प्रेषित किया गया। किसी सदस्य द्वारा कोई आपत्ति एवं सुझाव उपलब्ध नहीं कराये गये है। अस्तु बैठक दिनांक 29.02.2020 का कार्यवृत्त पुष्टि हेतु प्रस्तुत है।

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 167वीं बैठक दिनांक 29 फरवरी, 2020 का कार्यवृत्त

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की **167वीं बैठक, बोर्ड अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार मेश्राम, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ** की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए:—

उपस्थिति:—

01.	श्री अभिषेक प्रकाश	जिलाधिकारी, लखनऊ।
02.	श्री शिवाकान्त द्विवेदी	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
03.	डा0 अर्चना द्विवेदी	अपर नगर आयुक्त, प्रतिनिधि—नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
04.	श्री मदन राजा मौर्या	संयुक्त निदेशक, कोषागार, प्रतिनिधि—सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
05.	श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद	अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि—आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
06.	श्री एस0के0 गुप्ता	महाप्रबन्धक, प्रतिनिधि—प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम।
07.	श्री विशाल भारती	संयुक्त नियोजक, प्रतिनिधि—मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0।
08.	श्री अनुपम श्रीवास्तव	क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, लखनऊ मण्डल प्रतिनिधि—महानिदेशक, पर्यटन।

अन्य उपस्थिति:—

09.	श्री एम0पी0 सिंह	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
10.	श्री अनिल भट्नागर	अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
11.	श्री राजीव कुमार सिंह	वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
12.	श्री इन्दु शेखर सिंह	मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
13.	श्री नितिन मित्तल	मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।
14.	श्री पंकज कुमार	नजूल अधिकारी, ल0वि0प्रा0।
15.	श्री डी0एम0 कटियार	मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, ल0वि0प्रा0।
16.	श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह	विशेष कार्याधिकारी, ल0वि0प्रा0
17.	श्री संदीप श्रीवास्तव	विशेष कार्याधिकारी, ल0वि0प्रा0
18.	श्री पी0सी0 पाण्डेय	अधीक्षण अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।

सर्वप्रथम् उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड/ आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का औपचारिक स्वागत किया गया और तदुपरान्त बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न विषयों/मदों पर निम्नवत् निर्णय लिया गया:—

मद सं0	विषय	निर्णय
167/1	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 06.11.2019 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। किसी भी सदस्य द्वारा कार्यवृत्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं करायी गयी है। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है।
167/2	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 06.11.2019 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन/अनुमोदन किया गया।
167/3	लखनऊ विकास प्राधिकरण के यातायात सुधार हेतु सरोजनी नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कानपुर रोड योजना के मुख्य सड़को एवं जोनल सड़क, सुरक्षा, डिवाइडर की मरम्मत, फुटपाथ एवं सड़क सुदृढीकरण एवं निर्माण कार्य।	सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

167/4	जनपद लखनऊ में ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में स्थित पार्किंग की भूमि पर मल्टीलेविल पार्किंग एवं ट्रान्सपोर्ट नगर मेट्रो रेलवे स्टेशन से मल्टी लेविल पार्किंग जोडने हेतु फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।	सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि प्रश्नगत परियोजना की रिडिजाइनिंग करते हुए –1 तल व –2 तल पार्किंग, ग्राउण्ड फ्लोर व्यवसायिक, 1 तल व 2 तल पार्किंग, 3 तल व 4 तल कार्यालय और इसके ऊपर होटल को सम्मिलित करते हुए प्रस्ताव पुनः बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।
167/5	यातायात सुधार हेतु लखनऊ उत्तरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जानकीपुरम् योजना के मुख्य एवं जोनल सड़को पर सड़क सुरक्षा, डिवाइडर, फुटपाथ एवं सड़क सम्बन्धित कार्य के सम्बन्ध में।	सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
167/6	गोमती नगर क्षेत्रान्तर्गत विभूति खण्ड में पांच मार्गों को लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरण किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
167/7	लीडा के अन्तर्गत नोटिफाइड लखनऊ के 45 एवं उन्नाव के 39 गांव अर्थात् कुल 84 गांवों तथा आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण लखनऊ विकास प्राधिकरण में किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा लीडा के अन्तर्गत जनपद–उन्नाव के 39 गांवों को छोड़कर जनपद–लखनऊ में आने वाले 45 गांवो को लखनऊ विकास प्राधिकरण में सम्मिलित किये जाने की अनुमति प्रदान करते हुए शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।
167/8	लखनऊ विकास क्षेत्र की परिधि के अन्तर्गत ग्राम–पपनामऊ, तहसील–बक्शी का तालाब, जिला–लखनऊ की भूमि का भू–उपयोग लखनऊ महायोजना–2031 में समाहित करने के सम्बन्ध में।	सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
	<u>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय</u>	
अ0वि0 167/1	प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2019–20 की वास्तविक प्राप्ति एवं भुगतान तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 के प्रस्तावित आय–व्ययक से सम्बन्धित प्रस्ताव।	लखनऊ विकास प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2019–20 का वास्तविक तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 का प्रस्तावित आय व्ययक सम्बन्धी बजट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु आय के रूप में अन्तिम अवशेष सहित 2654.22 करोड़ तथा व्यय के रूप में 2480.50 करोड़ का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा उपरोक्त बजट का अनुमोदन प्रदान किया गया।
अ0वि0 167/2	मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष योजित रिट याचिका संख्या–35344/एम0बी0/2020 श्रीमद् दया नन्द बाल सदन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.01.2020 के क्रम में लखनऊ इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के भूखण्ड	सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	संख्या–189, 189ए एवं 190 के कुल क्षेत्रफल बीघा 23–08–06–05 अर्थात् 6,37,473.37 वर्ग फिट में से 1,40,537 वर्गफिट भूमि श्रीमद् दयानन्द बालसदन को बाल सदन प्रयोजन हेतु लीज पर प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	
अ0वि0 167/3	श्री राम प्रताप सिंह, लेखाकार, लखनऊ विकास प्राधिकरण के स्वयं तथा परिवार की चिकित्सा पर व्यय की गयी धनराशि का प्रतिपूर्ति भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
अ0वि0 167/4	भूखण्ड संख्या–221स, निकट टी0वी0 टावर, ग्राम–बेगरिया, हरदोई रोड, लखनऊ पर पेट्रोल पम्प के सम्बन्ध में।	सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि डी0एस0ओ0 (जिला आपूति अधिकारी) से प्रश्नगत भूखण्ड पर पेट्रोल पम्प के खोले जाने का आधार एवं उसके लाईसेंस की वैधता इत्यादि की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रश्नगत प्रस्ताव पुनः आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
अ0वि0 167/5	पर्यावरण संरक्षण, संतुलन एवं प्राधिकरण हित में लखनऊ विकास प्राधिकरण में जनवरी, 2018 से कार्यरत श्री कर्ण सिंह को स्मारक समिति, लखनऊ से लखनऊ विकास प्राधिकरण में सहायक उद्यान अधिकारी के पद पर 03 वर्ष हेतु प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत प्रस्ताव का उ0प्र0 शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर लें। तदुपरान्त प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा निम्न निर्देश भी दिये गये–

1– समाजवादी लोहिया इन्क्लेव, देवपुर पारा सहित प्राधिकरण के कई क्षेत्रों में प्राधिकरण द्वारा निर्मित ऐसी सम्पत्तियाँ व फ्लैट उपलब्ध है, जो अद्यतन आवंटित नहीं हो पाये हैं और आवंटन से रिक्त हैं, के दृष्टिगत वहाँ की भौतिक परिस्थितियों, नेब्ररहुड डेवलेपमेन्ट, कनेक्टिविटी, अफोर्डेबल कास्टिंग आदि के सम्बन्ध में प्राधिकरण के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाय, जिसमें सम्पत्ति, नियोजन, अभियंत्रण, वित्त सहित सभी अनुभागों के अधिकारी सम्मिलित हो। यह कमेटी उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन कर रिक्त सम्पत्तियों की मांग बढ़ाये जाने व उनके आवंटन के सम्बन्ध में सुझाव उपलब्ध करायेंगी। इसके लिए यदि आवश्यक हो, तो कन्सलटेन्ट की भी नियुक्ति की जा सकती है। साथ ही प्राधिकरण की सभी प्रकार की रिक्त सम्पत्तियों के निस्तारण/आवंटन हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार की आवश्यकता है। अतएव प्रचार–प्रसार के क्रम में सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जाय और राज्य सम्पत्ति विभाग सहित सभी सरकारी विभागों को भी अवगत कराया जाय। साथ ही प्राधिकरण की अन्य योजनाओं में भी रिक्त फ्लैटों के विक्रय हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाय।

2. सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में पार्किंग हेतु प्राविधान किया गया है और तद्नुसार व्यवसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा पार्किंग का निर्माण भी कराया गया है, किन्तु विशेष तौर पर कई जगहों पर कतिपय व्यवसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा पर्किंग स्थलों पर पार्किंग की सुविधा न प्रदान कर अन्य व्यवसायिक प्रयोजन में प्रयोग किया जा रहा है, अतः इसकी जॉच कर स्वीकृत ले–आउट/मानचित्र के अनुसार निर्मित पार्किंग स्थलों को खाली कराये जाने हेतु अभियान चलाये जाने की आवश्यकता है। इस अभियान में लखनऊ विकास प्राधिकरण, यातायात पुलिस विभाग और नगर निगम की टीम सम्मिलित की जाये।

3. शहीद पथ के किनारे बसे गॉवों में ग्राम समाज की रिक्त जमीनों पर अवैध कब्जे से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतएव ग्राम समाज की जमीनों को चिन्हित किये जाने एवं अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने हेतु सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार, तहसीलदार–नगर निगम एवं तहसीलदार –लखनऊ विकास प्राधिकरण की एक संयुक्त टीम गठित कर आवश्यक कार्यवाही करायी जाय।
4. आगामी माह से प्रभावी ओ0टी0एस0 योजना–2020 का प्रचार–प्रसार/जानकारी सोशल मीडिया आदि के माध्यम से भी जन–सामान्य तक पहुंचाई जाय, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके।
5. अनिर्मित तथा अर्द्धनिर्मित भवनों/सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु 'जहॉ है, जैसा है' (As is where is), के आधार पर निस्तारण कराया जाय।
6. अवैध कालोनियों का विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में जोनल स्तर पर टीमों का गठन कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।

उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त की गयी।

02/3/20

(एम0पी0 सिंह)
सचिव, ल0वि0प्रा0,
लखनऊ।

(शिवाकान्त द्विवेदी)
उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0,
लखनऊ।

अनुमोदित

5/03/2020

(मुकेश कुमार मेश्राम)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

विषयः— लखनऊ विकास प्राधिकरण की 167वीं बैठक दिनांक 29 फरवरी, 2020 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।

<u>विषय संख्या : 1</u>	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 06.11.2019 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।
<u>निर्णय :</u>	प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। किसी भी सदस्य द्वारा कार्यवृत्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं करायी गयी है। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है।
<u>अनुपालन</u>	नोट किया गया।
<u>विषय संख्या : 2</u>	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 06.11.2019 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।
<u>निर्णय :</u>	प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन/अनुमोदन किया गया।
<u>अनुपालन :</u>	नोट किया गया।
<u>विषय संख्या : 3</u>	लखनऊ विकास प्राधिकरण के यातायात सुधार हेतु सरोजनी नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कानपुर रोड योजना के मुख्य सड़को एवं जोनल सड़क, सुरक्षा, डिवाइडर की मरम्मत, फुटपाथ एवं सड़क सुदृढीकरण एवं निर्माण कार्य।
<u>निर्णय :</u>	सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
<u>अनुपालन :</u>	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या—1483/सी0ई0/ई0ई0—2/20 दिनांक 19.03.2020 द्वारा प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जा चुका है।
<u>विषय संख्या : 4</u>	जनपद लखनऊ में ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में स्थित पार्किंग की भूमि पर मल्टीलेविल पार्किंग एवं ट्रान्सपोर्ट नगर मेट्रो रेलवे स्टेशन से मल्टी लेविल पार्किंग जोडने हेतु फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।
<u>निर्णय :</u>	सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि प्रश्नगत परियोजना की रिडिजाइनिंग करते हुए —1 तल व —2 तल पार्किंग, ग्राउण्ड फ्लोर व्यवसायिक, 1 तल व 2 तल पार्किंग, 3 तल व 4 तल कार्यालय और इसके ऊपर होटल को सम्मिलित करते हुए प्रस्ताव पुनः बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन के उक्त परियोजना को संशोधित कर प्रस्ताव पुनः प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/निर्णयार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

विषय संख्या : 5 यातायात सुधार हेतु लखनऊ उत्तरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जानकीपुरम् योजना के मुख्य एवं जोनल सड़को पर सड़क सुरक्षा, डिवाइडर, फुटपाथ एवं सड़क सम्बन्धित कार्य के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में कार्यालय पत्र संख्या–549/ए0ए0–5/सी0ई0/20 दिनांक 19.03.2020 के माध्यम से प्रस्ताव शासन को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जा चुका है।

विषय संख्या : 6 गोमती नगर क्षेत्रान्तर्गत विभूति खण्ड में पांच मार्गों को लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरण किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में दिनांक 11.06.2020 को गोमती नगर क्षेत्रान्तर्गत विभूति खण्ड में 05 मार्गों को अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को हस्तान्तरित किया गया।

विषय संख्या : 7 लीडा के अन्तर्गत नोटिफाइड लखनऊ के 45 एवं उन्नाव के 39 गांव अर्थात् कुल 84 गांवों तथा आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण लखनऊ विकास प्राधिकरण में किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा लीडा के अन्तर्गत जनपद–उन्नाव के 39 गांवों को छोड़कर जनपद–लखनऊ में आने वाले 45 गांवो को लखनऊ विकास प्राधिकरण में सम्मिलित किये जाने की अनुमति प्रदान करते हुए शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अनुपालन : प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण के पत्र संख्या–1034/सचिव/मु0न0नि0/2020 दिनांक 27.05.2020 के माध्यम से प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्र प्रेषित किया गया।

विषय संख्या : 8	लखनऊ विकास क्षेत्र की परिधि के अन्तर्गत ग्राम–पपनामऊ, तहसील–बक्शी का तालाब, जिला–लखनऊ की भूमि का भू–उपयोग लखनऊ महायोजना–2031 में समाहित करने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
अनुपालन :	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण के पत्र संख्या–1033 / सचिव / मु0न0नि0 / 2020 दिनांक 27.05.2020 के माध्यम से मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 को आवश्यक कार्यवाही पत्र प्रेषित किया गया।
अ0वि0 संख्या : 1	प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2019–20 की वास्तविक प्राप्ति एवं भुगतान तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 के प्रस्तावित आय–व्ययक से सम्बन्धित प्रस्ताव।
निर्णय :	लखनऊ विकास प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2019–20 का वास्तविक तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 का प्रस्तावित आय व्ययक सम्बन्धी बजट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु आय के रूप में अन्तिम अवशेष सहित 2654.22 करोड़ तथा व्यय के रूप में 2480.50 करोड़ का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा उपरोक्त बजट का अनुमोदन प्रदान किया गया।
अनुपालन :	बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अनुपालन कराया जा रहा है।
अ0वि0 संख्या : 2	मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष योजित रिट याचिका संख्या–35344 / एम0बी0 / 2020 श्रीमद् दया नन्द बाल सदन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.01.2020 के क्रम में लखनऊ इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के भूखण्ड संख्या–189, 189ए एवं 190 के कुल क्षेत्रफल बीघा 23–08–06–05 अर्थात् 6,37,473.37 वर्ग फिट में से 1,40,537 वर्गफिट भूमि श्रीमद् दयानन्द बालसदन को बाल सदन प्रयोजन हेतु लीज पर प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
अनुपालन :	बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही हेतु मुख्य नगर नियोजक एवं अधिशासी अभियन्ता, जोन–6 को पत्र प्रेषित

किया गया है, जोकि श्रीमद् दयानन्द बाल सदन, मोती नगर, अध्यक्षा ओमेश्वरी को पृष्ठांकित हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण के हितों को सुरक्षित रखते हुए प्रश्नगत भूमि से उपरोक्त संदर्भित क्षेत्रफल को पृथक करते हुए अवशेष भूमि पर कब्जा प्राप्त किये जाने की कार्यवाही अभियंत्रण खण्ड एवं नियोजन विभाग द्वारा की जा रही हैं। उपरोक्तानुसार कब्जा प्राप्त हो जाने के उपरान्त श्रीमद् दयानन्द बाल सदन के पक्ष में चिन्हांकित अवशेष भूमि की लीज–डीड निष्पादित किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

अ0वि0 संख्या : 3 — श्री राम प्रताप सिंह, लेखाकार, लखनऊ विकास प्राधिकरण के स्वयं तथा परिवार की चिकित्सा पर व्यय की गयी धनराशि का प्रतिपूर्ति भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : — सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

अनुपालन : — प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णयानुसार अनुपालन किया जा चुका है।

अ0वि0 संख्या : 4 — भूखण्ड संख्या–221स, निकट टी0वी0 टावर, ग्राम–बेगरिया, हरदोई रोड, लखनऊ पर पेट्रोल पम्प के सम्बन्ध में।

निर्णय : — सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि डी0एस0ओ0 (जिला आपूति अधिकारी) से प्रश्नगत भूखण्ड पर पेट्रोल पम्प के खोले जाने का आधार एवं उसके लाईसेंस की वैधता इत्यादि की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रश्नगत प्रस्ताव पुनः आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

अनुपालन : — प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण के पत्र संख्या–1052/सचिव/मु0न0नि0/20–21 दिनांक 19.06.2020 के माध्यम से डी0एस0ओ0 (जिलापूर्ति अधिकारी), लखनऊ को प्रश्नगत भूखण्ड पर पेट्रोल पम्प के खोले जाने का आधार एवं उसके लाइसेंस की वैधता इत्यादि की रिपोर्ट प्राधिकरण को उपलब्ध कराने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

अ0वि0 संख्या : 5 — पर्यावरण संरक्षण, संतुलन एवं प्राधिकरण हित में लखनऊ विकास प्राधिकरण में जनवरी, 2018 से कार्यरत श्री कर्ण सिंह को स्मारक समिति, लखनऊ से लखनऊ विकास प्राधिकरण में सहायक उद्यान अधिकारी के पद पर 03 वर्ष हेतु प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :	सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत प्रस्ताव का उ0प्र0 शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर लें। तदुपरान्त प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।
अनुपालन :	प्राधिकरण बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय के अनुपालन में कार्मिक विभाग एवं स्मारक समिति की नियमावली का अध्ययन किया गया। स्मारक समिति की नियमावली में अस्थायी उपबन्ध के बिन्दु–03 पर यह व्यवस्था उल्लिखित है कि "समिति के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर किसी अन्य संस्था/कार्यालय में नहीं भेजा जायेगा और न ही किसी अन्य संस्था/कार्यालय में उनका संविलियन किया जायेगा।"
	अतः प्रस्ताव वापस लिया जाता है।

विषय संख्याः– 03 पृष्ठ संख्याः– 11

विषयः–हरदोई रोड कामधेनु नगर प्रसार योजना (बसंतकुज) के अन्तर्गत समझौते के आधार पर देय अवशेष प्रतिकर धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण की हरदोई रोड योजना (बसंत कुंज) के अन्तर्गत छः ग्रामों क्रमशः बेगरिया, छन्दोईया, बरावन खुर्द, पीनगर व गजराहार की कुल 1355.97 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था, जिसके भू–अर्जन अधिनियम की धारा–4/17 व 6/17 की विज्ञप्ति क्रमशः दिनांक 12.11.1981 व 30.07.1983 को प्रकाशित की गयी थी तथा अभिनिर्णय दो चरणों में क्रमशः दिनांक 20.09.1986 व 23.09.1986 को अपर जिलाधिकारी भू0अ0/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा घोषित किया गया तथा अर्जित भूमि का कब्जा क्रमशः दिनांक 23.03.1985 से 15.10.1987 के मध्य हस्तान्तरण किया जा चुका है। प्रस्तावित भूमि के अभिनिर्णय में प्रतिकर की दर 04 पैसे से 17 पैसे प्रतिवर्गफुट का निर्धारण अपर जिलाधिकारी–भू0अ0 द्वारा किया गया, किन्तु प्रश्नगत अभिनिर्णय में निर्धारित दर से उक्त योजना के किसान सहमत नहीं हुए और मौके पर ल0वि0प्रा0 का विकास एवं नियोजन सम्बन्धी कार्य अवरूद्ध कर दिया गया।

भारतीय किसान यूनियन, (अवध) उ0प्र0, लखनऊ व किसानों द्वारा हरदोई रोड कामधेनू नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 28.10.2015, 06.11.2015 व 04.02.2016 एवं 15.02.2016 को मांग पत्र प्रस्तुत कर मा0 न्यायालय के निर्णयानुसार प्रतिकर भुगतान की मांग की जाती रही तथा हितबद्ध किसानों द्वारा मांगो के सम्बन्ध में लगातार धरना प्रदर्शन किया जाता रहा था, के दृष्टिगत लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 157वीं बैठक दिनांक 21.06.2016 **(संलग्नक–1)** के समक्ष विषय संख्या–19 **(संलग्नक–2)** पर हरदोई रोड योजना (बसंतकुज) के अन्तर्गत भू–स्वामियों द्वारा उत्पन्न किये गये विवाद को समाप्त किये जाने के उद्देश्य से मा0 न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.05.1991 के अनुसार प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, जिसमें निर्णय निम्नवत है :–

निर्णय : *प्रस्तुत प्रस्ताव पर सैद्धांतिक रूप से सहमति प्रदान की जाती है।*

उक्त निर्णय के अनुलपान हेतु अपर जिलाधिकारी–भू0अ0 द्वारा अपने मांग पत्र संख्या–356/अ.जि.अ.(भू.अ.) न.म.पा.–प्रथम/लखनऊ दिनांक 03.08.2018 **(संलग्नक–3)** के माध्यम से असमतल भूमि की दर रू0–04.00 व समतल भूमि की दर रू0–06.00 के अनुसार ग्रामवार बरीकला, बरावनखुर्द, पीरनगर, छन्दोईया की भूमि की गणना करते हुए कुल धनराशि रू0–1,22,31,48,010.00 उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी, जिसके क्रम में सचिव/उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 25.10.2018 को रू0–1,22,31,48,010.00 की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके क्रम में प्रतिकर का वितरण अपर जिलाधिकारी–भू0अ0 द्वारा हितबद्ध कास्तकारों को किया जा रहा है। तद्नुसार स्थल पर भौतिक कब्जा प्राप्त करते हुए विकास कार्य किया जा रहा है।

7/7/2020

08/7/2020
M.O.

इसी दौरान अपर जिलाधिकारी–भू.अ. द्वारा अपने पत्र संख्या–817/8–अ.जि.अ. (भू.अ.) न.म.पा.–प्रथम/लखनऊ दिनांक 22.02.2020 **(संलग्नक–4)** के माध्यम से प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 21.06.2016 के निर्णयानुसार हरदोई रोड कामधेनु नगर प्रसार योजना (बसंतकुंज) में समझौते के आधार पर प्रतिकर वितरण हेतु कुल वांछित धनराशि रू0–1,49,00,00,000.00 में से भुगतान की मांग की गयी है। उक्त मांग के सापेक्ष रू0–1,22,31,48,010.00 की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा प्रतिकर के मद में अवशेष धनराशि रू0–26,68,51,990.00 के भुगतान की स्वीकृति प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

इसी प्रकार शासनादेश संख्या–1652/एक–13–06–8(22)/2003–टी.सी. दिनांक 04.01.2007 **(संलग्नक–5)** में निहित व्यवस्था के अनुसार प्रतिकर वितरण से पूर्व अर्जन निकाय से 10 प्रतिशत अर्जन–व्यय की धनराशि जमा कराये जाने के पूर्व ही भुगतान की कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था थी। तत्क्रम में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रभावित होने के पश्चात् उ0प्र0 शासन के राजस्व अनुभाग–13 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–6/2018/एक–13– 2018–5क (25)/2013 टी0सी0 लखनऊ : दिनांक 13.04.2018 **(संलग्नक–6)** में निहित व्यवस्था के अनुसार समझौते के आधार पर प्रतिकर लागत का 2.50 प्रतिशत अर्जन व्यय की धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु अपर जिलाधिकारी (भू0अ0), नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या–62/8–अ.जि.अ.(भू.अ.)/न.म.पा.–प्रथम/लखनऊ दिनांक 02.05.2019 **(संलग्नक–7)** व पत्र संख्या–987/8–अ.जि.अ.(भू.अ.)/न.म.पा.–प्रथम/ लखनऊ दिनांक 26.06.2020 के माध्यम से अनुरोध किया गया है, के दृष्टिगत अनुमानित प्रतिकर की धनराशि रू0–149.00 करोड़ पर 2.50 प्रतिशत अर्जन व्यय की देयता होती है, जो अर्जन व्यय के रूप में धनांक रू0–3.725 करोड़ का भी भुगतान किया जाना शेष है।

इस प्रकार हरदोई रोड कामधेनु नगर प्रसार योजना (बसंतकुंज) के अन्तर्गत अर्जित भूमि के सापेक्ष रू0–1,49,00,00,000.00 में से स्वीकृति धनराशि रू0–1,22,31,48,010.00 घटाने पर रू0–26,68,51,990.00 की धनराशि का भुगतान तथा 2.50 प्रतिशत अर्जन व्यय के रूप में धनांक रू0–3,72,50,000.00 अर्थात कुल धनराशि रू0–30,41,01,990.00 (तीस करोड़ इकतालीस लाख एक हजार नौ सौ नब्बे रूपये मात्र) अपर जिलाधिकारी–भू0अ0 को भुगतान किया जाना अवशेष है, जिसके स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

प्रस्ताव :–

हरदोई रोड कामधेनु नगर प्रसार योजना (बसंतकुज) के अन्तर्गत अर्जित भूमि के सापेक्ष समझौते के आधार पर देय रू0–149.00 करोड़ में से स्वीकृति धनराशि रू0–122.31 करोड़ घटाने पर अवशेष प्रतिकर धनराशि रू0–26.69 करोड़ तथा 2.50 प्रतिशत अर्जन व्यय के रूप में धनराशि रू0–3.73 करोड़ अर्थात कुल धनराशि रू0–30.42 करोड़ अपर जिलाधिकारी–भू0अ0, लखनऊ के माध्यम से भुगतान किये जाने की स्वीकृति/अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

7/7/2020 8/7/2020

परिशिष्ट-1

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 157वीं बैठक दिनांक 21 जून, 2016 का कार्यवृत्त

उपस्थिति:-

01.	श्री सदाकान्त	अध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 एवं प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0।
02.	श्री सत्येन्द्र सिंह	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
03.	श्री उदय राज सिंह	नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
04.	श्री अजय कुमार मिश्र	मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजक, उत्तर प्रदेश।
05.	श्री लोरिक यादव	निदेशक, कोषागार, लखनऊ मण्डल।
06.	श्री सी0डी0एस0 यादव	अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि-मुख्य अभियन्ता, जल निगम, लखनऊ।
07.	श्री आर0पी0 यादव	क्षे0पर्य0अधि0, प्रतिनिधि-महानिदेशक, पर्यटन, उ0प्र0।
08.	श्री विजय सिंह यादव	सदस्य, ल0वि0प्रा0
09.	श्री सौरभ सिंह 'मोनू'	ना0 पार्षद / सदस्य, ल0वि0प्रा0

अन्य उपस्थिति:-

10.	श्री श्रीश चन्द्र वर्मा	सचिव, ल0वि0प्रा0।
11.	श्रीमती सीमा सिंह	अपर सचिव, ल0वि0प्रा0।
12.	श्री एन0एन0 सिंह	संयुक्त सचिव, ल0वि0प्रा0
13.	श्री ओ0पी0 मिश्र	मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।
14.	श्री जे0एन0 रेड्डी	मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0
15.	हरीकृष्ण यादव	मुख्य लेखाधिकारी, ल0वि0प्रा0

Scanned with CamScanner

उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 / प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन तथा उपस्थित सदस्यों के स्वागत एवं औपचारिक परिचय के उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ हुई।

विषय संख्या : 1	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 06.05.2016 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।
निर्णय :	प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। अवगत कराया गया कि प्राप्त एक आपत्ति के संबंध में आपत्तिकर्ता को उत्तर प्रेषित कर दिया गया है। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।
विषय संख्या : 2	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 06.05.2016 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।
निर्णय :	प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया एवं यह निर्देश दिये गये कि जिन प्रकरणों में पूर्व में निर्णय लिया जाता है, उनका समयबद्ध रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।
विषय संख्या : 3	उ0प्र0 के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन एवं विकास नीति (इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति–2014) के अन्तर्गत मे0 स्वास्तिक मल्टीट्रेड प्रा0लि0 द्वारा दिनांक 21.03.2016 को प्रस्तुत डी0पी0आर0 (80 एकड़) पर डी0पी0आर0 समिति की संस्तुति दिनांक 26.04.2016 को स्वीकृत करने के सम्बन्ध में विचार।
निर्णय :	मे0 स्वास्तिक मल्टीट्रेड प्रा0लि0 द्वारा 80 एकड़ क्षेत्रफल पर (ग्राम–बेली व शिवलर, जनपद–लखनऊ) में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड टाउनशिप के डी0पी0आर0 पर समिति द्वारा प्रस्तुत संस्तुति के क्रम में प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।
विषय संख्या : 4	खसरा संख्या–1040, 1041, 1044, 1045 एवं 1046 ग्राम–औरंगाबाद जागीर, तहसील–सरोजनीनगर, जिला–लखनऊ का भू–उपयोग ग्रीन (पी–1) से व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प) में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।
निर्णय :	पूर्व में यह प्रकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था, जिसे निरस्त कर दिया गया था। पुनः प्रस्ताव बिना परीक्षण के बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि प्रकरण में सचिव, ल0वि0प्रा0 की अध्यक्षता में एक टेक्निकल कमेटी का गठन किया जाय, जिसमें मुख्य ग्राम्य एवं नगर नियोजक, उ0प्र0 (सदस्य) एवं

Scanned with CamScanner

302
360

(A-14)

15

मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0 (संयोजक सदस्य) होंगे। गठित समिति समस्त तथ्यों का परीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध करायेगी एवं समिति की रिपोर्ट का अध्ययन कर सुविचारित प्रस्ताव यथा-समय बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाय।

विषय संख्या : 5

हरदोई रोड योजना (बसंतकुंज) के अन्तर्गत नजूल भूमि, जिसका अर्जन राजस्व अभिलेखों में भूमिधरी अंकित होने के कारण लिया गया था, के प्रभावित काश्तकारों को योजना के क्रियान्वयन के हित में अनुग्रह राशि (Ex-gratia amount) दिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हरदोई रोड योजना (बसंतकुंज) के अन्तर्गत जिस समय भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की गई थी, उस समय भूमि काश्तकारों के नाम भूमिधरी के रूप में अंकित थी। बाद में तथ्यों की जानकारी होने पर कलेक्टर तथा सक्षम अधिकारियों के द्वारा इस भूमि को नजूल भूमि घोषित किया गया। चूंकि नजूल भूमि राज्य सरकार की सम्पत्ति होती है, इसलिए इसका मुआवजा किसी व्यक्ति या किसान को नहीं दिया जा सकता, लेकिन correction of revenue record के समय यह संज्ञान में आया कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही भूमिधरी मानते हुए की गई। यह तथ्य बाद में प्रकाश में आया इसलिए यह राजस्व अधिनियम के तहत तकनीकी विषय है, चूंकि अब यह स्थापित हो गया है कि यह भूमि नजूल है, इसलिए मुआवजे के रूप में धनराशि नियमानुसार किसी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती। अतः जब तक यह विवाद बना हुआ है और सक्षम स्तर से इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक यह व्यवहारिक होगा कि सहमति के आधार पर सैद्धान्तिक रूप से किसानों को Ex-gratia amount दिया जाना औचित्यपूर्ण होगा। इस हेतु जिलाधिकारी, लखनऊ, लखनऊ विकास प्राधिकरण और किसानों के आपसी समझौते के आधार पर Ex-gratia amount का निर्धारण किये जाने तथा व्यावहारिक समाधान किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या : 6

श्री सज्जाद अली, सुपरवाईजर/ट्रेसर (सेवानिवृत्त) को अर्जन अनुभाग में संविदा के आधार पर सेवा लिये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त सेवानिवृत्त श्री सज्जाद अली, सुपरवाईजर /ट्रेसर को अर्जन अनुभाग में संविदा-कर्मी के रूप में 01 वर्ष हेतु सेवा में लिये जाने (Extended for one year only) प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

Scanned with CamScanner

विषय संख्या : 7

उजरियांव आवासीय योजना भाग–2 के अन्तर्गत अर्जित भूमि खसरा संख्या–90 स्थित ग्राम–भरवांरा की भूमि के बदले भूमि की उपलब्धता के आधार पर श्री प्रेम सिंह यादव को आवास हेतु लगभग 100 वर्गमी0 विकसित भूखण्ड आवंटित/समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त उजरियांव आवासीय योजना भाग–2 के अन्तर्गत अर्जित भूमि खसरा संख्या–90 स्थित ग्राम–भरवारा की भूमि के बदले भूमि की उपलब्धता के आधार पर श्री प्रेम सिंह यादव को आवास हेतु लगभग 100 वर्गमी0 विकसित भूखण्ड समायोजित किये जाने विषयक प्रस्ताव पर विशेष परिस्थितियों के दृष्टिगत अनुमोदन प्रदान किया गया तथा यह निर्देश दिये गये कि किसी अन्य प्रकरण में इसे भविष्य के लिए दृष्टांत न बनाया जाय।

विषय संख्या : 8

श्री अवधेश कुमार सिंह, अवर अभियन्ता के गुर्दा प्रत्यारोपण एवं चिकित्सा पर व्यय धनराशि की प्रतिपूर्ति स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त श्री अवधेश कुमार सिंह, अवर अभियन्ता के गुर्दा प्रत्यारोपण एवं चिकित्सा पर व्यय कुल धनराशि रू0 9,43,096/– (नौ लाख तैतालिस हजार छियान्नबे मात्र) की प्रतिपूर्ति किये जाने विषयक प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।

विषय संख्या : 9

विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ में मा0 उच्च न्यायालय को हाई सिक्योरिटी जोन की घोषणा कर बोर्ड बैठक दिनांक 28.02.2015 को लिये गये निर्णय में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

लखनऊ–फैजाबाद रोड, गोमती नगर योजना के विभूति खण्ड में मा0 उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच का भवन वर्तमान में निर्मित हो चुका है और वर्तमान में कैसरबाग स्थित मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच को विभूति खण्ड स्थित नवीन भवन में स्थानान्तरित किये जाने की कार्यवाही चल रही है। मा0 उच्च न्यायालय के लिये लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा लगभग 1,61,921 वर्गमीटर (40 एकड़) भूमि दिनांक 31.08.1993 को आवंटित की गई थी। भवन का मानचित्र लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक

Scanned with CamScanner

13.09.2013 को स्वीकृत किया गया। भवन निर्माण की कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम द्वारा भवन मानचित्र की स्वीकृति उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया गया तथा वर्ष 2016 में निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त दिनांक 15.04.2016 को लोकार्पण भी किया जा चुका है। इस प्रकार मा0 उच्च न्यायालय हेतु भूमि आवंटन से लेकर भवन निर्माण तक लम्बी प्रक्रिया रही है। मा0 उच्च न्यायालय के निर्माण के पश्चात् अब यह विषय आया है कि मा0 उच्च न्यायालय अत्यन्त संवेदनशील स्थान है, इसके लिए एक यथा-सम्भव सुरक्षा परिधि हाई-सिक्योरिटी जोन घोषित किया जाय। मा0 उच्च न्यायालय की सुरक्षा एवं संवेदनशीलता को देखते हुए मा0 उच्च न्यायालय परिसर के आस-पास निकट क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा सुरक्षा परिधि (High Security Zone) घोषित किया जा सकता है।

चूंकि गोमती नगर आवासीय योजना के अन्तर्गत यह भवन स्थापित हुआ और लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा गोमती नगर योजना वर्ष 1980 में प्रारम्भ हो गई थी एवं वर्ष 1982 में आवासीय भवनों के आवंटन हेतु पंजीकरण खोले गये तथा संस्थागत एवं व्यावसायिक भूखण्डों के आवंटन हेतु नियमानुसार विज्ञापन वर्ष 1985 में जनता के लिए खोले गए थे और वर्तमान में भी नियमानुसार आवंटन प्रकिया चल रही है। विभूति खण्ड जहाँ मा0 उच्च न्यायालय हेतु नवीन भवन निर्मित किया गया है, के साथ-साथ आस-पास के क्षेत्रों का भी विकास मास्टर प्लान-2021 एवं जोनल प्लान के अनुसार विकास कार्य पूर्व से ही गतिमान है और इसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण की प्रक्रिया के अन्तर्गत सार्वजनिक रूप से आस-पास के भूखण्डों का आवंटन भी नीलामी के माध्यम से विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं एवं अन्य एकल व्यक्तियों को किया जा चुका है तथा नियमानुसार निबन्धनोपरान्त आवंटियों द्वारा भवन निर्माण आदि की कार्यवाही भी कराई जा चुकी है। इस प्रकार जहां एक तरफ मा0 उच्च न्यायालय के भवन के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, साथ ही समानान्तर रूप से विभूति खण्ड में आवंटित भूखण्डों के विकास की प्रक्रिया भी नियमानुसार गतिमान थी। जहां बहुत से भूखण्डों पर भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है एवं कतिपय भवनों का निर्माण पूर्णता की ओर अग्रसर है। ऐसी अवस्था में मा0 उच्च न्यायालय के भवन परिसर बाउंड्रीवाल से 100 मी0 के

Scanned with CamScanner

(A11)

क्षेत्र को सैद्धान्तिक रूप से हाई–सिक्योरिटी जोन घोषित किया जा सकता है, परन्तु इस हेतु निर्धारित नियम एवं शर्तों में कुछ शिथिलता देने की आवश्यकता पड़ेगी। चूंकि वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय के भवन से 100 मी0 की परिधि तक हाई–सिक्योरिटी ज़ोन की परिकल्पना करते हुए निर्णय विचाराधीन है, जिस पर मा0 उच्च न्यायालय को आपत्ति है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 15.04.2015 द्वारा इस बात पर बल दिया जा रहा है कि मा0 उच्च न्यायालय की बाउण्ड्री से 100 मी0 की परिधि को हाई–सिक्योरिटी जोन घोषित किया जाय। लखनऊ विकास प्राधिकरण तथा राज्य सरकार को इसमें कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती, क्योंकि मा0 उच्च न्यायालय कि सुरक्षा सर्वोपरि है। मा0 उच्च न्यायालय की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता सम्भव नहीं है। अतः भवन की बाउण्ड्री से 100 मी0 की परिधि को हाई–सिक्योरिटी जोन घोषित करने और उसके लिए क्या–क्या नियम व शर्ते होंगी, इसके लिए प्रमुख सचिव–गृह की अध्यक्षता में डी0जी0 पुलिस, प्रमुख सचिव–न्याय एवं रजिस्ट्रार जनरल–हाईकोर्ट की एक उच्च स्तरीय समिति गठित कर निर्णय लिये जाने हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण राज्य सरकार से अनुरोध करें। गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा जो निर्णय राज्य सरकार के माध्यम से लखनऊ विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जायेगा, उसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। मा0 उच्च न्यायालय की सुरक्षा के लिए हम दृढ़–संकल्प है। तदानुसार प्रकरण शासन को संदर्भित किया जाय।

<u>विषय संख्या: 10</u>

लखनऊ–हरदोई रोड पर प्राधिकरण की बसंतकुंज योजना की लगभग 60.243 हे0 भूमि "सामुदायिक सुविधायें" से "आवासीय" में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

सम्यक् विचारोपरान्त प्राधिकरण की हरदोई रोड, बसंतकुंज योजना के अन्तर्गत ग्राम–बरीकला के 45.235 हे0 एवं बरावन खुर्द की 15.009 हे0 कुल 60.243 हे0 जिला–लखनऊ की भूमि को "सामुदायिक सुविधाएं, तकनीकी शैक्षिक संस्थायें" से "आवासीय" भू–उपयोग में परिवर्तित किये जाने विषयक प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान करते हुए उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही करते हुए शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

Scanned with CamScanner

विषय संख्याः 11

आई0डी0 सिंह मेमोरियल डेन्टल कालेज द्वारा खसरा संख्या–201, 204, 205, 218, 219, 220, 221, 222 एवं 223 का भू–उपयोग 'आवासीय' से 'सामुदायिक सुविधायें' उपयोगितायें एवं सेवायें (डेन्टल कालेज) में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 11.07.2013 को हुई बैठक के आधार पर संशोधित प्रस्ताव।

निर्णय :

प्रश्नगत प्रस्ताव इस क्षेत्र के भू–उपयोग के परिवर्तन से सम्बन्धित है, किसी डेन्टल कालेज या निजी संस्थान के साथ जोड़कर इसे नहीं देखा जाना चाहिए। इसलिए डेन्टल कालेज अथवा उसके आसपास स्थित निर्माणों के बिन्दु के परीक्षण का यह अवसर नहीं है। जनहित में भू–उपयोग परिवर्तन का विषय विचारणीय है। अतः जनता की सुविधाओं को देखते हुए व्यापक जनहित में भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में संस्तुति सहित प्रस्ताव शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्याः 12

55, रामतीरथ मार्ग, लखनऊ (रायल गार्डेन) की भूमि लगभग 8750 वर्गमी0 लखनऊ महायोजना–2021 के अनुमन्य प्राविधानों में बाजार स्ट्रीट/कार्यालय उपयोग से आवासीय (समूह आवासीय) भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रश्नगत प्रस्ताव में गठित समिति की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। समिति की संस्तुति स्वीकार करते हुए प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करते हुए उ0प्र0 नगर योजना और विकास अधिनियम–1973 की धारा–13 के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही करते हुए शासन को संदर्भित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्याः 13

लखनऊ महायोजना 2031 की संरचना के सम्बन्ध में।

निर्णय :

प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। लखनऊ महायोजना–2031 (प्रारूप) अनुमोदित करते हुए यह निर्देश दिए गए कि उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–11 के अन्तर्गत एक माह की समयावधि निर्धारित करते हुए जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किया जाय। इस हेतु प्रिन्ट मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया में व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाय।

विषय संख्याः 14

शासन के पत्र संख्या–462/8–3–16–34विविध/08 दिनांक 17 जून, 2016 द्वारा प्राप्त भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 में प्रस्तावित संशोधनों का अंगीकरण।

निर्णय :

सम्यक् विचारोपरान्त भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित 2011) में प्रस्तावित संशोधनों को अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

Scanned with CamScanner

विषय संख्या: 15 — भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में।

निर्णय : सम्यक् विचारोपरान्त शासन की नियमावली–2010 को अंगीकृत करते हुए प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या: 16 — उ0प्र0 नगर योजना और विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली–2014 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन–पत्रों पर विचार।

निर्णय : बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान करते हुए उ0प्र0 नगर योजना और विकास (भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क का निर्धारण उद्ग्रहण एवं संग्रहण) नियमावली–2014 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन–पत्रों के निस्तारण हेतु समिति का गठन कर केस–टू–केस परीक्षण कर शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

विषय संख्या: 17 — "सहारा स्टेट" जानकीपुरम् के संशोधित तलपट मानचित्र के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

निर्णय : पूर्व में प्रकरण के परीक्षण हेतु समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा प्रस्तुत संस्तुतियों और प्रतिबन्धों का अध्ययन कर लिया जाय और लखनऊ विकास प्राधिकरण सुसंगत नियमों के अनुसार. इसमें मेरिट. के आधार पर कार्यवाही करें। सैद्धान्तिक रूप से आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

विषय संख्या: 18 — खसरा संख्या–242, ग्राम–मकदूमपुर के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट संख्या–67/एलए/2010 में 106 वर्गमी0 भूमि पर पारित स्थगनादेश तथा शासनादेश संख्या–346/8–3–16–38एलए/13 दिनांक 06.06.2016 के क्रम में नये भू–अर्जन अधिनियम,2013 की धारा–24(2) के अन्तर्गत निराकरण हेतु शासन को संदर्भित किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : बोर्ड के समक्ष यह विवाद का विषय लाया गया। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा इसका स्वयं समाधान करना चाहिए था। भूमि अधिग्रहण के समय स्थलीय परीक्षण न किये जाने के कारण सम्भवतः यह विवाद उत्पन्न हुआ है। किसानों द्वारा मुआवजा भी नहीं लिया गया है और उनके द्वारा भूमि अर्जन–मुक्त कराये जाने का प्रयास भी किया जा रहा है एवं मा0 न्यायालय में प्रकरण लम्बित भी रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा वहां पर 32 से अधिक आवंटियों को भूखण्ड आवंटित किये गये हैं जिनमें से 11 आवंटियों द्वारा भूखण्डों का निबन्धन भी कराया जा

Scanned with CamScanner

A-08

चुका है तथा शेष आवंटियों द्वारा पूरा पैसा भी जमा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में किसानों के पक्ष में कोई निर्णय लिया जाता है, तो लखनऊ विकास प्राधिकरण को समाधान करना होगा कि जिन भूखण्डों की रजिस्ट्री की जा चुकी है, उनके लिये क्या विकल्प है। इसलिए यह भूमि अधिग्रहण से छूट का प्रकरण न होकर मूलरूप से विवाद का विषय है और इसका समाधान लखनऊ विकास प्राधिकरण के स्तर पर ही सम्भव है। इस हेतु सचिव, ल0वि0प्रा0 की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर लिया जाय, जो किसानों तथा आवंटियों से वार्ता कर व्यवहारिक समाधान प्राप्त करने का प्रयास करेंगी। तत्पश्चात् समिति की रिपोर्ट अग्रेतर कार्यवाही हेतु उच्च स्तर पर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जायेगी एवं प्राधिकरण द्वारा ही इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिया जायेगा। फिर भी यदि लखनऊ विकास प्राधिकरण को लगता है कि प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना है, तो प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

<u>विषय संख्याः 19</u>

हरदोई रोड योजना (बसंतकुंज) के अन्तर्गत भू-स्वामियों द्वारा उत्पन्न किए गए विवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से मा0 न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.05.1991 के अनुसार प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

प्रस्तुत प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक रूप से सहमति प्रदान की जाती है।

<u>विषय संख्याः 20</u>

भू-अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन से उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम-2013" के अन्तर्गत प्रबन्ध नगर आवासीय योजना भाग-1 व 2 के किसानों द्वारा वर्तमान सर्किल रेट के 4 गुना की दर से प्रतिकर की मांग दृष्टिगत लैण्ड पूलिंग पद्धति से किसानों की सहभागिता के आधार पर योजना क्रियान्वित किये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

शासन द्वारा लैण्ड पूलिंग के सम्बन्ध में नवीन शासनादेश निर्गत किया जा चुका है, जिसके प्रकाश में कार्यवाही हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण स्वयं सक्षम है। अतः सैद्धान्तिक रूप से प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

<u>विषय संख्याः 21</u>

दैनिक वेतन भोगी/वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में।

<u>निर्णय :</u>

सम्यक् विचारोपरान्त आडिट आपत्तियों के निराकरण के दृष्टिगत प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

Scanned with CamScanner

विषय संख्याः 22

उ0प्र0 नगरीय क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन एवं विकास नीति (इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति–2014) के अन्तर्गत मे0 ओमेगा इन्फ्राबिल्ड प्रा0लि0 द्वारा दिनांक 28.11.2015 को प्रस्तुत डी0पी0आर0 (25.00 एकड़) पर डी0पी0आर0 समिति की संस्तुति दिनांक 10.06.2016 के अनुरूप प्रस्तुत संशोधित डी0पी0आर0 दिनांक 18.06.2016 को स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में विचार।

निर्णय : पुनर्परीक्षण हेतु प्रस्ताव स्थगित किया गया।

उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त हुई।

(श्रीश चन्द्र वर्मा)
सचिव

(सत्येन्द्र सिंह)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

25/6/16

(सदाकान्त)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

Scanned with CamScanner

विषय संख्याः 19 पृष्ठ संख्याः 217

23

संलग्नक-2

हरदोई रोड योजना (वसंत कुंज) के अन्तर्गत भू-स्वामियों द्वारा उत्पन्न किए गए विवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से मा0 न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.05.1991 के अनुसार प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में।

भारतीय किसान यूनियन, (अवध) उ0प्र0, लखनऊ व किसानों द्वारा हरदोई रोड कामधेनू नगर प्रसार योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि के सम्वन्ध में दिनांक 28.10.2015, 06.11.2015 व 04.02.2016 एवं 15.02.2016 को मांग पत्र प्रस्तुत कर मा0 न्यायालय के निर्णयानुसार 6.00 रूपये प्रति वर्गफुट की दर से प्रतिकर भुगतान की मांग की जा रही है।

2. प्राधिकरण की हरदोई रोड योजना (वसंत कुंज) के अन्तर्गत छः ग्रामों कमशः वेगरिया, छन्दोईया, वरावन खुर्द, पीनगर व गजराहार की कुल 1355.97 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था, जिसके भू-अर्जन अधिनियम की धारा-4/17 व 6/17 की विज्ञप्ति कमशः दिनांक 12.11.1981 व 30.07.1983 को प्रकाशित की गयी थी तथा अभिनिर्णय दो चरणों में कमशः दिनांक 20.09.1986 व 23.09.1986 को अपर जिलाधिकारी भू0अ0/विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा घोषित किया गया तथा अर्जित भूमि का कब्जा कमशः दिनांक 23.03.1985 से 15.10.1987 के मध्य हस्तान्तरण किया गया था। प्रस्तावित भूमि के अभिनिर्णय में प्रतिकर की दर 04 पैसे से 17 पैसे प्रतिवर्गफुट प्रतिकर की दर का निर्धारण अपर जिलाधिकारी-भू0अ0 द्वारा किया गया। किसानों को प्रतिकर वितरण हेतु अभिनिर्णीत प्रतिकर के रूप में रू0-200.00 लाख की धनराशि भूमि अध्याप्ति कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी, किन्तु प्रश्नगत अभिनिर्णय में निर्धारित दर से उक्त योजना के किसान सहमत नहीं हुए और मौके पर ल0वि0प्रा0 का विकास एवं नियोजन सम्वन्धी कार्य अवरूद्ध कर दिया गया तथा हितवद्ध किसानों द्वारा मांगो के सम्वन्ध में लगातार धरना प्रदर्शन किया जाता रहा था।

3. उक्त अभिनिर्णय में निर्धारित दर से व्यथित होकर प्रभावित योजना के कुछ कास्तकारों द्वारा मा0 न्यायालय में संदर्भ वाद दायर किये गये, जिसमें चार संदर्भ वाद कमशः प्रकीर्ण वाद संख्या-194/87 इस्तियाक अली व अन्य वनाम उ0प्र0 राज्य, प्रकीर्ण वाद संख्या-195/87 इस्तियाक अली व अन्य वनाम उ0प्र0 राज्य, प्रकीर्ण वाद संख्या-196/87 द्वारिका नाथ व अन्य वनाम उ0प्र0 राज्य व प्रकीर्ण वाद संख्या-197/87 गोपीनाथ श्रीवास्तव व अन्य वनाम उ0प्र0 राज्य में मा0 न्यायालय चतुर्थ ए0डी0जे0 लखनऊ द्वारा दिनांक 31.05.1991 (संलग्नक-1) को वेल्ट वाईज निर्णय पारित करते हुए ग्राम-वेगरिया व छन्दोईया की अर्जित भूमि के कुछ खसरों के सम्वन्ध में कमशः 6 रूपये, 4 रूपये, 1.50 रूपये व 1 रूपये प्रतिवर्गफुट की दर से वाजार मूल्य निर्धारित करते हुए प्रतिकर भुगतान किये जाने के आदेश दिये गये।

4. उक्त निर्णयों के विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष कमशः प्रथम अपील संख्या-25/92 ल0वि0प्रा0 वनाम इस्तियाक अली, 26/92 ल0वि0प्रा0 वनाम इस्तियाक अली, 27/92 ल0वि0प्रा0 वनाम गोपीनाथ व 28/92 ल0वि0प्रा0 वनाम द्वारिका नार्थ श्रीवास्तव योजित की गयी, जिसमें दिनांक 24.03.1992 को वढ़े हुए दर से भुगतान पर स्थगनादेश पारित किया गया था। मा0 उच्च

Scanned with CamScanner

न्यायालय में विचाराधीन अपील दिनांक 15.11.1995 में "डिसमिस इन डिफाल्ट" हो गयी, जो कि प्राधिकरण द्वारा रिस्टोरेशन एप्लीकेशन देने पर मा. उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06.12.2001 को री-स्टोर कर दी गयी। उसी अवधि में तत्तकालीन अपर जिलाधिकारी-भू0अ0 के कार्यालय द्वारा भूमि अध्याप्ति अधिनियम की धारा-28 के अन्तर्गत लम्बित 265 प्रत्यावेदनों में से 28 प्रत्योवदनों में 6 रूपये प्रतिवर्गफुट की दर से प्रतिकर भुगतान कर दिया गया।

5. प्रश्नगत योजनान्तर्गत अभिनिर्णय में निर्धारित प्रतिकर की धनराशि कम होने के फलस्वरूप किसानों के मांगो को दृष्टिगत रखते हुए आवास एंव शहरी नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-1973/9-आठ -3-97-56 एल.ए./96 दिनांक 09.06.1977 (संलग्नक-2) के द्वारा प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि के लिए कार्यवाही करने हेतु शासन द्वारा निम्न अनुमोदन प्रदान किया गया था :-

1. दिनांक 01.10.1991 को आधार मानकर इस योजना के सममतल भूमि के लिए रू0-1,25,000/- प्रतिबीघा की दर से धनराशि का भुगतान किया जायेगा। मा. मंत्री जी ने यह भी घोषणा की थी कि इस तिथि से भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण व्याज भी दिया जायेगा।
2. विभिन्न किसानों ने जो धनराशि पहले प्राप्त कर ली होगी वह धनराशि देय धनराशि के काट ली जायेगी।
3. अर्जन से पहले के निर्माण, पेड़, कुंआँ ट्युवेल आदि की धनराशि का भुगतान भी नियमानुसार किया जाएगा।

6. शासन के उपरोक्त अनुमोदन के कम में प्राधिकरण द्वारा हरदोई रोड (वसंत कुंज) योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत भूमि के भू-स्वामियों को समझौते के आधार पर प्रतिकर का भुगतान किया गया था। अव तक लगभग रू0-47.40 करोड़ की धनराशि उपरोक्त अनुमोदन के कम में विभिन्न हितवद्ध काश्तकारों को आपसी समझौते से अपर जिलाधिकारी-भू0अ0 के माध्यम से भुगतान किया जा चुका है।

7. हरदोई रोड योजना में कुल 06 गाँवों की अधिग्रहीत भूमि में से लगभग 75 प्रतिशत भूमि के किसानों द्वारा उपरोक्त आपसी समझौते के आधार पर धनराशि प्राप्त कर लेने के उपरान्त भी किसानों द्वारा लगभग डेढ़ वर्ष से स्थल पर किए जा रहे धरना प्रदर्शन से विकास कार्यो में आये दिन अवरोध उत्पन्न किया जाता रहा है। उनके द्वारा नगर महापालिका ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 31.05.1991 को धारा-18 के अन्तर्गत लिए गए निर्णय के अनुसार रू0-06 प्रतिवर्गफुट की दर से अर्थात लगभग 13.00 लाख प्रति बीघा की दर से प्रतिकर भुगतान की मांग की जा रही है। इसी मांग को लेकर उनके द्वारा लगभग 06 माह से हरदोई रोड के समस्त विकास/निर्माण कार्य पूर्ण रूप से वन्द करा दिये गये है, जिससे प्राधिकरण अपने आवंटियों को भूखण्ड का विकास करके कब्जा नहीं दे पा रहा है साथ ही साथ अन्य कार्य यथा-वस अड्डा, एस.टी.पी. आदि का विकास एवं निर्माण नही हो पा रहा था।

8. प्रभावित किसानों के प्रतिनिधि से जिलाधिकारी, लखनऊ उपाध्यक्ष एवं सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विचार-विमर्श किया गया तथा समस्या के निराकरण के लिए दिनांक

Scanned with CamScanner

16.06.2009 को शासन को एक प्रस्ताव प्रेषित किया गया था, जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि शासन द्वारा दिनांक 09 जून 1997 के शासनादेश द्वारा जो अनुमोदन दिया गया था उसके अनुसार दिनांक 01.10.1991 से 15 प्रतिशत ब्याज की व्यवस्था की गयी थी, जब कि योजना की भूमि का कब्जा इससे काफी समय पूर्व वर्ष 1985-86 में प्राधिकरण को प्राप्त हुआ था। अस्तु समस्या के निराकरण के उद्देश्य से कब्जा प्राप्त करने की तिथि से कब्जा देने पर विचार का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। प्राधिकरण के प्रस्ताव पर आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, उ.प्र. शासन द्वारा शासनादेश संख्या-2815/8-3-09/09 दिनांक 17.06.2009 (संलग्नक-3) के माध्यम से समतल भूमि का रू0-1,25,000/- तथा गडढ़े की भूमि के लिए रू0-75,000/- प्रतिबीघा की दर से धनराशि भुगतान करने के साथ-साथ भूमि का कब्जा हस्तान्तरण की तिथि से 15 प्रतिशत साधारण ब्याज भुगतान करने के निर्देश दिये गये।

9. शासन के उपरोक्त निर्णय के फलस्वरूप किसानों को प्राप्त होने वाली अतिरिक्त धनराशि के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, लखनऊ, उपाध्यक्ष एवं सचिव के स्तर पर किसानों से हुई वार्ता के समय उन्हें अवगत कराया गया था, परन्तु किसानों द्वारा बार-बार यही कहा जाता रहा कि नगर महापालिका ट्रिब्यूनल द्वारा धारा-18 के अन्तर्गत उपरोक्त निर्णय के अनुसार सभी किसानों को रू0-6/- प्रति वर्गफुट की दर से, सोलेशियम अतिरिक्त प्रतिकर व धारा-4 की तिथि से 15 प्रतिशत का ब्याज सहित भुगतान दिया जाये। तद्नुसार भुगतान किये जाने हेतु किसानों द्वारा स्थल पर धरना प्रदर्शन भी किया गया है।

10. लगभग 06 माह के बन्द कार्य को पुलिस बल आदि की सहायता से भी प्रारम्भ कराने का प्रयास किया गया, परन्तु किसानों के प्रतिरोध के कारण सफलता नहीं मिली एवं स्थल पर शांति व्यवव्था भंग होने की स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। इस सम्पूर्ण प्रकरण में जिलाधिकारी, लखनऊ उपाध्यक्ष व सचिव के स्तर पर विचार-विमर्श हुए एवं यह मत स्थिर हुआ कि पुलिस बल की सहायता से कार्य कराने से स्थल पर शांति व्यवस्था भंग हो सकती है एवं समस्या विकराल रूप ले सकती है। ऐसी स्थिति में काश्तकारों से समझौता करके समस्या का हल निकाला जाए।

11. उपरोक्त के आलोक में उपाध्यक्ष एवं सचिव के स्तर पर दिनांक 24.12.2009 को किसानों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत विचार विमर्श हुआ एवं समस्या के निराकरण के लिए निम्नानुसार किसानों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी है :-

1. समतल भूमि के लिए रू0-1,25,000.00 प्रतिबीघा तथा गडढ़े की भूमि के लिए रू0-75,00.00 प्रतिबीघा की दर से 35 प्रतिशत धनराशि भुगतान किया जाए। अर्थात समतल भूमि के लिए रू0-1,68,750.00 प्रतिबीघा तथा गडढ़े की भूमि के लिए रू0-1,01,250.00 प्रतिबीघा की दर से भुगतान किया जाए एवं प्राधिकरण के पक्ष में कब्जा हस्तान्तरण की तिथि से भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत साधारण ब्याज का भी भुगतान किया जाए।
2. विभिन्न किसानों ने जो धनराशि पहले प्राप्त कर ली होगी वह धनराशि नियमानुसार देय धनराशि से काट ली जायेगी।

Scanned with CamScanner

3. हितबद्ध व्यक्तियों के लिए दुकान/भवन/भूखण्ड की एक योजना तैयार की जाएगी, जिसमें उन्हें दुकान/भवन/भूखण्ड आवंटित किया जाएगा एवं लागत में प्राधिकरण में प्रचलित दर से 35 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
4. योजना के अन्तर्गत स्थित गांव का विकास किया जाएगा।
5. योजना के अन्तर्गत ग्राम बरीकला व वरावनखुर्द की लगभग 117 एकड़ नजूल की भूमि जो राजस्व अभिलेखों में भूमिधरी अंकित होने के कारण अर्जित कर ली गई थी तथा लगभग पिछले 50 वर्ष से विभिन्न किसानों के नाम भूमिधर के रूप में दर्ज है, को भी उपरोक्तानुसार अतिरिक्त धनराशि व ब्याज का भुगतान किया जाएगा।
6. अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) के कार्यालय में प्रतिकर की धनराशि के वितरण में आयकर की कटौती की जा रही है। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार अधिवक्ता की नियुक्ति करके किसानों को उपलब्ध कराया जायेगा।
7. भूमि का कब्जा हस्तान्तरण करने से पूर्व आवादी के चारों ओर यदि कोई निर्माण हो गया था तो उसे योजना में समायोजित किया जाएगा।

12. उल्लेखनीय है कि शासनादेश दिनांक 09 जून 1997 के माध्यम से हितवद्ध व्यक्तियो को समतल भूमि के लिये निर्धारित प्रतिकर की दर रू0-1,25,000.00 प्रतिबीघा तथा गडढ़े की भूमि के लिए रू0-75,000.00 प्रतिबीघा की दर से भुगतान के साथ-साथ दिंनक 01.10.1991 से भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत साधारण ब्याज दिये जाने के निर्देश दिये गये है। तदुपरांत दिनांक 17 जून 2009 के शासनादेश के द्वारा कब्जा हस्तान्तरण की तिथि से 15 प्रतिशत ब्याज का भुगतान के निर्देश दिए गये है। अत: अब सममतल भूमि के लिए रू0-1,25,000/- तथा गडढ़े की भूमि के लिए रू0-75,000.00 प्रतिबीघा की दर में 35 प्रतिशत जोड़कर भुगतान करने एवं कब्जा हस्तान्तरण की तिथि से 15 प्रतिशत ब्याज का अनुमोदन शासन द्वारा ही प्रदान किया जाना होगा। इस हेतु शासन को प्राधिकरण वोर्ड की संस्तुति प्रेषित किया जाना प्रस्तावित है। जहां तक हितवद्ध व्यक्तियों को दुकान/भवन/भूखण्ड आवंटित करने तथा उसके लागत में 35 प्रतिशत छूट का प्रश्न है, प्राधिकरण द्वारा इस पर विचार किया जा सकता है। 35 प्रतिशत छूट की धनराशि इस योजना की कास्टिंग में भारित करते हुए योजना की कास्टिंग संशोधित किया जाना प्रस्तावित था।

13. गांव के विकास के संवंध में उल्लेखनीय है कि प्राधिकरण द्वारा पूर्व से ही विभिन्न योजना के अन्तर्गत स्थित गांवों का विकास कराया जाता रहा है। उल्लेखनीय है कि सामान्यत: धारा-4 की अधिसूचना के प्रकाशन के उपरान्त किसी व्यक्ति द्वारा किए गए निर्माण आदि अनाधिकृत निर्माण की श्रेणी में आते है, परन्तु यह देखा गया है कि प्राय: धारा-4 की अधिसूचना के प्रकाशन के उपरान्त हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा अपने हरने आदि के लिए गांव के किनारे अपने खेतों में निर्माण करा लिया जाता है। वर्तमान समय तक इस योजना में आवादी के चारों ओर काफी निर्माण हो गया है, परन्तु सभी निर्माण को समायोजित यिका जाना नियमानुसार नहीं होगा। भूमि का कब्जा प्राधिकरण को हस्तान्तरित हो जाने के उपरान्त सम्वन्धित भूमि सभी भारों से मुक्त होकर प्राधिकरण/राज्य सरकार में निहित हो जाती

Scanned with CamScanner

है। ऐसी स्थिति में कब्जा हस्तान्तरण किए जाने के उपरान्त किए गये निर्माणों को समायोजित किया जाना नियमानुसार नही होगा। अतएव भूमि पर कब्जा हस्तान्तरित होने की तिथि से पूर्व किए गए निर्माण को नियमानुसार विकास शुल्क लेकर योजना के निर्माण में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 31.12.2009 में निम्न प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था, जो निम्नवत है:-

1 हरदोई रोड योजना (बसंत कुंज) के अन्तर्गत भूमि के स्वामियों को शासनादेश दिनांक 09.06.1997 में समतल भूमि के लिए निर्धारित प्रतिकर की दर रू.-1,25,000.00 पर 35 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुए रू0-1,68,750.00 प्रतिबीघा तथा गडढ़े की भूमि के लिए निर्धारित प्रतिकर की दर रू0-75,000.00 पर 35 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी करते हुए रू0-1,01,250.00 प्रतिबीघा की दर से भुगतान करने एवं कब्जो की तिथि से 15 प्रतिशत साधारण ब्याज का भुगतान करने का अनुमोदन प्रदान करने हेतु शासन को संस्तुति करने की।

2 योजना के अन्तर्गत ग्राम वरीकला व वरावनखुर्द की 117 एकड़ नजूल की भूमि जो राजस्व अभिलेखों में भूमिधरी अंकित होने के कारण अर्जित कर ली गई थी तथा लगभग 50 वर्षो से विभिन्न किसानों के नाम भूमिधरी के रूप में दर्ज है, को भी उपरोक्तानुसार अतिरिक्त धनराशि व ब्याज का भुगतान किये जाने की।

3 अपर जिलाधिकारी-भू0अ0 कार्यालय में प्रतिकर की धनराशि वितरण में आयकर की कटौती की जा रही है। इस सम्बन्ध में प्राधिकरण द्वारा अपने स्तर पर आवश्यकतानुसार अधिवक्ता की नियुक्ति करके सिकानों को उपलब्ध कराये जाने की।

4 हितवद्ध व्यक्तियों के लिए दुकान तथा भवन/भूखण्ड की एक आवासीय योजना तैयार करने की एवं दुकान एंव भवन/भूखण्ड आवंटित करने तथा प्राधिकरण में प्रचलित दर में 35 प्रतिशत की छूट देने की।

5 योजना के अन्तर्गत स्थिति गांव का विकास करने की।

6 कब्जा हस्तान्तरण की तिथि से पूर्व आवादी के चारों ओर किए गए निर्माण को विकास शुल्क लेकर योजना में समायोजित करने की।

14. प्राधिकरण वोर्ड वैठक दिनांक 31.12.2009 (संलग्नक-4) में उक्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया था। तदुपरांत प्राधिकरण वोर्ड के निर्णय के आलोक में प्रकरण को दिनांक 16.01.10 को स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु शासन को प्रेशित किया गया। शासन द्वारा शासनादेश संख्या-298/8-3-2010-56एलए/96 दिनांक 08.02.2010 (संलग्नक-5) को पुनः शासनादेश निर्गत कर हरदोई रोड योजना के हितबद्ध व्यक्तियों को 35 प्रतिशत की वढ़ोत्तरी करते हुए समतल भूमि के लिये निर्धारित प्रतिकर की दर रू0-1,68,750.00 प्रतिवीघा तथा गडढ़े की भूमि के लिए रू0-1,01,250.00 प्रतिवीघा तथा योजना में अर्जित भूमि के कब्जे की तिथि से 15 प्रतिशत साधारण ब्याज दिये जाने के निर्देश दिये गये है, जिसके

Scanned with CamScanner

कम में प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 28.08.2010 (संलग्नक-6) अनुपालन में हरदोई रोड योजना के हितबद्ध कास्तकारों को अपर जिलाधिकारी-भू0अ0 द्वारा प्रतिकर का भुगतान किया जा रहा है तथा योजना के अन्तर्गत अब तक अपर जिलाधिकारी-भू0अ0 को समझौते के आधार पर प्रतिकर का भुगतान किये जाने हेतु रू0-8890.71 लाख की धनराशि प्रेषित की जा चुकी है।

15. उल्लेखनीय है कि हरदोई रोड (बसंत कुंज) योजनान्तर्गत अधिग्रहीत की गयी भूमि का विकास एवं नियोजन कर सार्वजनिक उपयोग से सम्बन्धित विभागों यथा बिजली विभाग, परिवहन विभाग, व लोक निर्माण विभाग, मछली मण्डी आदि के निर्माण हेतु भूमि दी गयी है तथा ऐसी कोई सम्पति अवशेष नहीं है, जिस पर उक्त अतिरिक्त धनराशि भारित कर प्रतिपूर्ति की जा सके। इन परियोजनाओं में न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रतिकर की धनराशि पर सम्पूर्ण योजनाओं के लिए प्रतिकर की दर संशोधित किये जाने की मांग किसानों द्वारा की जा रही है तथा इस सम्बन्ध में कई आन्तदोलन व प्रदर्शन भी किये गये है तथा विकास कार्य रोके जा रहे है।

16. प्रश्नगत योजनान्तर्गत समझौते के आधार पर प्रभावित कास्तकारों को दिनांक 30.09.2013 तक ही ब्याज की धनराशि आंगणित कर प्रतिकर भुगतान किये जाने का आदेश तत्कालीन उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 23.08.2013 (संलग्नक-7) को प्रदान किया गया है, के अनुसार अब वर्तमान में किये जाने वाले समझौते पर भी प्रभावी होगा।

17. प्रश्नगत योजनान्तर्गत अभिनिर्णय के अनुसार तथा शासनादेश दिनांक 09 जून 1997 व शासनादेश दिनांक 08.02.2010 समझौते के आधार पर तीन चक्र में भुगतान अपर जिलाधिकारी-भू0अ0 द्वारा किया गया है। ऐसी स्थिति में वर्तमान में मा0 न्यायालय के निर्णयानुसार प्रतिकर की गणना करते हुए सम्पूर्ण योजना पर प्रतिकर के पूर्ननिर्धारण हेतु अपर जिलाधिकारी-भू0अ0 को निर्देशित किया जाना होगा, साथ ही व्यापक जनहित में दर संशोधित किये जाने एवं प्रतिकर के रूप में देय धनराशि को शासन द्वारा उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण वोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तावित है।

प्रस्ताव :-

हरदोई रोड योजना (बसंत कुंज) के अन्तर्गत भू-स्वामियों द्वारा उत्पन्न किए गए विवाद को समाप्त करने के उद्देश्य से मा0 न्यायालय के निर्णय दिनांक 31.05.1991 के अनुसार अपर जिलाधिकारी-भू0अ0 के द्वारा प्रतिकर का पुर्ननिर्धारण एवं देय धनराशि आंकलित किये जाने एवं आंकलित धनराशि लखनऊ विकास प्राधिकरण को शासन से उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

Scanned with CamScanner

संलग्नक - 3

29

प्रेषक,

अपर जिलाधिकारी (भू0अ0– ।।),
नगर महापालिका–प्रथम,
लखनऊ।

सेवा में,

संयुक्त सचिव / प्रभारी अधिकारी–अर्जन,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

3525
4/8/18

पत्रांक : 356 / 8–अ.जि.अ.(भू.अ.) / न.म.पा.–प्रथम / लखनऊ दिनांक : 03 अगस्त, 2018

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की हरदोई रोड नगर प्रसार योजना में अर्जित ग्राम छन्दोईया, वरीकला, पीर नगर, बरावन खुर्द, गजराहार में अर्जित खसरों/भूमियों के काश्तकारों को मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 31.05.1991 के कम में प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में।

तहसीलदार-अर्जन

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0 819/ए.सी./तह0/2017 दिनांक 15.11.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण की हरदोई रोड नगर प्रसार योजना में अधिग्रहीत भूमि का गणना पत्र उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा का अनुरोध किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत योजना में अभिनिर्णय दिनांक 23.09.1986 व शासनादेश दिनांक 19.06.1997 तथा 08.02.2010 द्वारा निर्धारित दर के आधार पर इस कार्यालय द्वारा भुगतान की कार्यवाही की गई है। पुनः उक्त योजना में मा0 न्यायालय के निर्णय दिनांक 19.05.1991 में निर्धारित दर रू0 1.00 व रू0 1.50 व रू0 04.00 व रू0 06.00 में से प्राधिकरण के निर्णयानुसार असमतल भूमि की दर रू0 04.00 व समतल भूमि की दर रू0 06.00 के अनुसार ग्रामवार गणना की गई है।

(विश्व भूषण मिश्रा)
पी०सी०एस०
नज़ूल अधिकारी
ल० वि० प्रा०
04/08/18

941/AS/2018
06-8-18

क0	ग्राम का नाम	गणना के अनुसार धनराशि	ल0वि0प्रा0 को उपलब्ध कराये गये गणना पत्र का दिनांक
1	वरीकला	9992210	02.06.2018
		46656241	02.06.2018
		74255685	07.06.2018
		46906663	14.06.2018
		130618948	14.06.2018
		102940594	14.06.2018
		24444584	27.06.2018
2	बरावन खुर्द	124769656	23.06.2018
		262702118	04.07.2018
		152090486	04.07.2018
3	पीर नगर	119544635	25.07.2018
4	छन्दोईया	128226190	25.07.2018
	योग–	1,22,31,48,010.00	

उपर्युक्तानुसार रू0 1,22,31,48,010.00 (एक अरब बाईस करोड इकतीस लाख अडतालीस हजार दस मात्र) का गणना पत्र प्रेषित किया जा चुका है। अवशेष ग्राम गजराहार का गणना पत्र तैयार किया जा रहा है। अतएव प्रश्नगत योजना में प्रतिकर वितरण विषयक आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आर0के0 तिवारी)
अपर जिलाधिकारी (भू0अ0– ।।)
लखनऊ।

06/08/2018

Scanned with CamScanner

संलग्नक-4
30

3639/प्र०अ०/त०अर्जन
25-2-20

प्रेषक,

अपर जिलाधिकारी (भू0अ0-।।), नजूल अधिकारी
नगर महापालिका-प्रथम, पत्र संख्या 7712
लखनऊ। दिनांक 24/2/2020

सेवा में,

संयुक्त सचिव/प्रभारी अधिकारी-अर्जन,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

पत्रांक : 817/8-अ.जि.अ.(भू.अ.)/न.म.पा.-प्रथम/लखनऊ दिनांक : 22 फरवरी, 2020

विषय : लखनऊ विकास प्राधिकरण की हरदोई रोड नगर प्रसार योजना में प्रतिकर वितरण से सम्बन्धित विवरण पत्र का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सम्बन्ध में अवगत कराना है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की हरदोई रोड नगर प्रसार योजना में अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर भुगतान के भुगतान की कार्यवाही दिनांक 21.12.2018 से निरन्तर की जा रही है। इस कार्यालय के पत्र संख्या 300 दिनांक 27.07.2019 द्वारा दिनांक 24.07.2019 तक कुल वितरित धनराशि 1,04,56,51,315.00 (एक अरब चार करोड छप्पन लाख इक्यावन हजार तीन सौ पन्द्रह मात्र) का विवरण प्रेषित किया जा चुका है।

उपर्युक्तानुसार योजना में उपलब्ध कराई गई धनराशि वितरित की जा चुकी है। अतएव उपर्युक्तानुसार योजना में कुल वांछित धनराशि 149.00 करोड में से वितरित धनराशि के समायोजन उपरान्त अवशेष धनराशि यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रतिकर वितरण की कार्यवाही निरन्तर की जा सके।

भवदीय,

(मनीष कुमार नाहर)
अपर जिलाधिकारी (भू0अ0-।।)
लखनऊ।

संख्या व दिनांक : उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि : उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

2- प्रभारी अधिकारी-अर्जन, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी (भू0अ0-।।)
लखनऊ।

त०अर्जन
24/02/2020
(पंकज कुमार)
पी.सी.एस.
नजूल अधिकारी
ल०वि०प्रा०

SO/पी अर्जन शाखा

25-2-20
SO

त० अर्जन
25-2-20

Scanned with CamScanner

संलग्नक-5

AAIAC 10/1/2007

संख्या-1632/1-13-06-8(22)/2003-टी.सी. 31

प्रेषक,

टी.पी. यादव,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

केन्द्रीय प्राप्ति केन्द्र
लखनऊ विकास प्राधिकरण
कम्प्यूटर सं0 5853/VC
दिनांक 9/1/2007

सेवा में,

(1) जिलाधिकारी,
लखनऊ।

(2) उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

लखनऊ : दिनांक 4 जनवरी, 2007

आवास अनुभाग-13

विवाद-अभिनिर्णय की घोषणा के उपरान्त आपसी समझौते के आधार पर बढ़ी हुई दर से अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि का भुगतान करने की व्यवस्था के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1287/1-13-06-8(22)/2003 टी.सी.-II-13, दिनांक 18 सितम्बर, 2006 एवं संख्या-1289/1-13-06-8(22)/2003-टी.सी. दिनांक 19.10.2006 तथा इस संबंध में शासन को प्रेषित अपने पत्र क्रमशः अर्द्ध शा0 पत्र संख्या-655/अ0जि0अ0(भू0अ0), दिनांक 04.12.06 एवं संख्या-197/ए.ए./ए.सी. दिनांक 06.10.06 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के उपर्युक्त संदर्भित पत्रों के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरण के द्वारा अभिनिर्णय के उपरान्त भू-स्वामियों से आपसी समझौते के आधार पर दी जाने वाली अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि के सापेक्ष 10 प्रतिशत अर्जन व्यय जमा किये जाने के संबंध में व्यक्त की गयी सहमति तथा आपसी सहमति के आधार पर निर्धारित किये जाने वाले अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि का वितरण भूमि अध्याप्ति इकाई को करने हेतु अधिकृत करने के संबंध में जिलाधिकारी द्वारा की गई संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अधोलिखित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपसी सहमति के आधार पर दी जाने वाली अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि (का वितरण) जिलाधिकारी कार्यालय (भू0अ0 इकाई) के द्वारा की जायगा :-

(1) मा0 राजस्व मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 17.08.2004 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के उपरान्त अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) द्वारा निर्धारित की गयी धनराशि रु0-49,36,23,491.00 (रु0-49.36 करोड़) के सापेक्ष देय 10 प्रतिशत अर्जन व्यय रु0-4,93,62,349.10 (चार करोड़ तिरानबे लाख बासठ हजार तीन सौ उनचास एवं दस पैसे मात्र) की धनराशि प्राधिकरण द्वारा तत्काल जमा करायी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व प्राधिकरण एवं अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) का होगा।

(2) भविष्य में प्राधिकरण द्वारा किसानों को आपसी सहमति के आधार पर जो धनराशि निर्धारित की जाने वाली प्रस्तावित है, उसका 10 प्रतिशत अर्जन व्यय का आगणन करकर एवं उसे प्राधिकरण से जमा कराने के बाद ही, देय प्रतिकर का वितरण किसानों को अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) द्वारा की जायेगी, जिससे कि अर्जन व्यय की धनराशि बकाया न रहे।

सचिव
मुख्य अभि. (अर्जन)
उपाध्यक्ष
AE(T)

के विरुद्ध ... रूप में उपलब्ध ...

(3) उक्त के अतिरिक्त, एक माह के अन्दर, यह भी सुनिश्चित किया जाये कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के ऊपर अभिनिर्धारित प्रतिकर के सापेक्ष वास्तविक बकाया एवं उस पर देय 10 प्रतिशत अर्जन व्यय की धनराशि कितनी है जिसे प्राधिकरण द्वारा अभी तक जमा नहीं किया गया है ।

तदनुसार धनराशि का आकलन करके उसका विवरण शासन को एक माह अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा तथा आगणित/अवशेष देय धनराशि प्राधिकरण से जमा भी कराया जायेगा ।

कृपया तदनुसार कार्यवाही कराने एवं अपेक्षित सूचनायें शासन को समया-न्तर्गत उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(टी.पी. पाठक)
सचिव ।

संख्या-1652(1)/1-13-04-8(22)/2003-टी.सी., तद्दिनांक

प्रतिलिपि:-

1-प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राजस्व मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 17.08.2004 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त प्रेषण विषयक पत्र संख्या-2647/9-आ-5-04-99 एल.ए./2000-टी.सी., दिनांक 29.09.2004 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

2-निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं इस निर्देश सहित प्रेषित कि कृपया शासन के उपरोक्त निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने एवं प्रतिकर वितरण एवं निर्दिष्ट प्रतिकरों के अनुसार कार्यवाही पर प्रभावी नियंत्रण एवं अनुश्रवण भी करने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,

(टी.पी. पाठक)
सचिव ।

Scanned with CamScanner

उत्तर प्रदेश शासन,
राजस्व अनुभाग-13
संख्या-6/2018/208/एक-13-2018-5क(25)/2013टी0सी0
लखनऊ:दिनांक 13 अप्रैल, 2018

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम 1897 अधिनियम संख्या 10 सन् 1897 की धारा-21 के साथ पठित भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) की धारा 3 के खण्ड (झ) के उपखण्ड ;छद्ध के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या-1147/एक-13-2017-5क(25)2013टी0सी0 दिनांक 05 जनवरी, 2018 का अधिक्रमण करके राज्यपाल निम्नलिखित रूप में प्रशासनिक व्यय विनिर्दिष्ट करते हैं-

क्रम संख्या	भूमि अर्जन मद	प्रशासनिक व्यय (कुल प्रतिकर रकम का प्रतिशत)
1	अर्जन इकाइयों के अधिष्ठान के सापेक्ष उपगत व्यय में वेतन, भत्ते, अवकाश-वेतन, पेंशन उपादान और समस्त अन्य सुसंगत व्यय सम्मिलित हैं।	प्रतिकर लागत का 2.50 प्रतिशत।
2	अर्जन के प्रारम्भिक प्रक्रमों में अभिलेखों की तैयारी, प्रारम्भिक स्थलीय निरीक्षणों और अन्य कार्यों के सापेक्ष उपगत व्यय और प्रक्रियागत ऐसे व्यय, जहॉ यथास्थिति प्रभावित कुटुम्ब की सहमति प्राप्त की जानी हो अथवा न प्राप्त की जानी हो।	भूमि अर्जन अधिष्ठान इकाई पर वास्तविक व्यय।
3	भूमि से सम्बद्ध परिसम्पत्तियों, फसलों एवं बृक्षों आदि के मूल्यांकन हेतु लगाये जाने वाले निजी या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों यथा सेवानिवृत्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल, क्षेत्राधिकारी, सर्वेयर या अभियन्तागण, उद्यान अधिकारी, वन अधिकारी, सहायकगण, कम्प्यूटर आपरेटर, फील्ड अभियन्ता, चालक और चपरासियों आदि के मानदेय के सापेक्ष उपगत व्यय।	
4	पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन सम्बन्धी तत्वों के सर्वेक्षण के सापेक्ष उपगत व्यय और मानदेय सहित अन्य प्रशासनिक व्ययों की प्रतिपूर्ति	

Scanned with CamScanner

5	समस्त अधिसूचनाओं (सरकारी गजट, दो दैनिक समाचार पत्रों में, वेवसाइट पर अपलोड करके और सूचना पट्ट पर) के प्रकाशन के सापेक्ष उपगत अन्य समस्त व्यय और मानदेय सहित विज्ञापन, मुद्रण और लेखन सामग्री पर व्यय।	

आज्ञा से,
सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

Scanned with CamScanner

35

संलग्नक-7

प्रेषक,

अपर जिलाधिकारी (भू0अ0–II),
नगर महापालिका–प्रथम,
लखनऊ।

नजूल अधिकारी कैम्प
पत्र ... 827 ...
दिनांक 03/5/19

सेवा में,

सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

2851/2/DC/ (2019)
04-5-19

पत्रांक : 62 /8–अ.जि.अ.(भू.अ.) / न.म.पा.–प्रथम / लखनऊ दिनांक : 2 मई, 2019

विषय : हरदोई रोड नगर प्रसार योजना (बसंतकुंज) में समझौते के आधार पर प्रतिकर वितरण में अर्जन–व्यय की धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधोहस्ताक्षरी के पत्र सं0 925 दिनांक 26.03.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा लखनऊ विकास प्राधिकरण की हरदोई रोड नगर प्रसार योजना में प्रभावित भूमि का समझौते के आधार पर प्रतिकर का भुगतान उपरान्त योजना में अब तक प्रतिकर वितरण हेतु मु0 66,93,21,377.00 (रू0 छांछठ करोड तिरानबे लाख इक्कीस हजार तीन सौ सतहत्तर मात्र) की धनराशि उपलब्ध कराई गई है जिसके विरूद्ध प्रतिकर वितरण की कार्यवाही की जा रही है। शासनादेश संख्या 1652 / एक–13–06–8(22) / 2003–टी.सी. दिनांक 04.01.2007 में निहित व्यवस्था के अनुसार प्रतिकर वितरण से पूर्व अर्जन निकाय से अर्जन–व्यय की धनराशि जमा कराये जाने के पूर्व ही भुगतान की कार्यवाही किये जाने की व्यवस्था है।

अतएव उपर्युक्तानुसार प्रतिकर वितरण हेतु उपलब्ध कराई गई धनराशि के सापेक्ष अर्जन–व्यय की धनराशि 1,67,33,034.00 (रू0 एक करोड़ सरसठ लाख तैंतीस हजार चौंतीस मात्र) उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि अर्जन–व्यय की धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा की जा सके।

भवदीय,

(मनीष कुमार नाहर)
अपर जिलाधिकारी (भू0अ0–II)
लखनऊ।

संख्या व दिनांक : उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि :
1– उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2– प्रभारी अधिकारी–अर्जन, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी (भू0अ0–II)
लखनऊ।

मो0 आफताब
तहसीलदार–अर्जन
3/05/19

(पंकज कुमार)
पी.सी.एस.
नजूल अधिकारी
ल0वि0प्रा0

Scanned with CamScanner

विषयः–लखनऊ–सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में स्थित मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कार्पोरेशन लि0 की निरस्त टाउनशिप की भूमि पर लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ की नवीन योजना हेतु भूमि अधिग्रहण किये जाने के सम्बन्ध में।

मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कार्पोरेशन लि0 को सुल्तानपुर रोड पर लखनऊ में 1784 एकड़ की टाउनशिप के विकास हेतु दिनांक 13.04.2005 को चयन किया गया था, जिसके क्रम में लखनऊ विकास प्राधिकरण के साथ दिनांक 13.12.2005 को एम0ओ0यू0 निष्पादित किया गया था। विकासकर्ता द्वारा वर्ष 2015 में नए स्थल (2052.15 एकड़) का चयन किया गया। तत्क्रम में दिनांक 02.08.2016 को अमेन्डेड एम0ओ0यू0 निष्पादित किया गया, परन्तु मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कार्पोरेशन लि0 द्वारा मात्र 128 ऐकड़ भूमि क्रय की गई, जो प्रथम चरण के डिटेल्ड ले–आउट प्लान हेतु वांछित न्यूनतम 200 एकड़ से कम थी। इसके अतिरिक्त परियोजना का कन्सेप्चुवल डी0पी0आर0 अनुमोदित नहीं है और परियोजना की प्रगति शून्य है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या–2101, दिनांक 23.08.2018 द्वारा शासन को सूचित किया गया है कि प्रस्तावित टाउनशिप से आच्छादित क्षेत्रफल के अन्तर्गत अन्य किसी के मानचित्र स्वीकृत नहीं किए जा रहे हैं, जिस कारण क्षेत्र का नियोजित विकास अवरूद्ध है, जिसके दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र के विकास एवं जनहित में विकासकर्ता का चयन निरस्त किए जाने की संस्तुति की गयी थी।

तद्क्रम में आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग के पत्र संख्या–1090/आठ–3–19–227 विविध/2016 दिनांक 26.09.2019 के क्रम में अवगत कराना है कि आप द्वारा अपनी लखनऊ–सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग, लखनऊ पर प्रस्तावित हाईटेक टाउनशिप परियोजना का एम0ओ0यू0 किये जाने के उपरान्त निर्धारित अवधि में अपेक्षित न्यूनतम भूमि का जुटाव भी नहीं किया जा सका और नीति के अन्तर्गत अनुमन्य समय–सीमा में कोई कार्य नहीं किया गया। उक्त के दृष्टिगत मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 13.08.2019 में सम्यक विचारोपरान्त उक्त हाईटेक परियोजना का चयन निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त के क्रम में परियोजना निरस्त की जाती है, जिसके विभागीय पत्र संख्या–2741/वी.सी./ई.ई./एस.टी.आई. सेल/2019 दिनांक 18.11.2019 **(संलग्नक–1)** के माध्यम से मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कार्पोरेशन लि0 सहारा इण्डिया सेन्टर, 2 कपूरथला कम्पलेक्स अलीगंज, लखनऊ, पिन–226024 को अवगत कराया जा चुका है।

मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कार्पोरेशन लि0 द्वारा लाइसेन्स निरस्त किये जाने के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या–35018/एम.बी./2019 योजित की गयी है, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय द्वारा कोई स्थगनादेश पारित नहीं किया गया है, उक्त वाद मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। प्रश्नगत प्रकरण में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अभिमत प्राप्त करने करने हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय के विभागीय रिटेनर श्री रत्नेश चन्द्रा से विधिक राय प्राप्त की गयी, जिसका अंश निम्नवत है :–

After going through the record of Lucknow Development Authority, what if find is that there is no interim relief order in favour of M/s Sahara India Commercial corporation, Lucknow and as such the cancellation order dated 13/08/2019 is still in existence and therefore as of now the Lucknow Development Authority is at liverty to either acquire the land for its own scheme or for any other purpose or may grant license to any developer for developing integarte township. However when it comes for the availability of land bank which has been informed by Sri. Himmat singh. Surveyor to be very less, then in such circumstances it would be appropriate that the Lucknow Development Authority Should go for acquition instead of granting license to any other developer. **(संलग्नक–2)**

उपरोक्त विधिक राय के अनुमोदन एवं मे0 सहारा इण्डिया कामर्शियल कारपोरेशन लि0 के इन्टीग्रेटेड टाउनशिप लाइसेन्स के निरस्तीकरण आदेश दिनांक 13.08.2019 से आच्छादित भूमि के अर्जन का प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में रखने की उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 07.07.2020 को स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान किया गया है।

सुल्तानपुर रोड स्थित मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कारपोरेशन लि0 के इन्टीग्रेटेड टाउनशिप लाइसेन्स के निरस्तीकरण आदेश दिनांक 13.08.2019 से आच्छादित ग्राम–बक्कास, माढ़रमऊ कला, माढरमऊ खुर्द, मस्तेमऊ, मलूकपुर ढकवा, चौरासी, चौरहिया, दुलारमऊ की लगभग 2052.15 एकड़ भूमि पर लखनऊ विकास प्राधिकरण लखनऊ की नवीन योजना हेतु भूमि अधिग्रहण किया जाना है।

<u>प्रस्ताव :</u>

लखनऊ–सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में स्थित मेसर्स सहारा इण्डिया कामर्शियल कार्पोरेशन लि0 के इन्टीग्रेटेड टाउनशिप लाइसेन्स के निरस्तीकरण आदेश दिनांक 13.08.2019 से आच्छादित ग्राम–बक्कास, माढ़रमऊ कला, माढरमऊ खुर्द, मस्तेमऊ, मलूकपुर ढकवा, चौरासी, चौरहिया, दुलारमऊ की लगभग 2052.15 एकड़ भूमि के अधिग्रहण किये जाने की सैद्धांतिक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

10/7/2020

10/7/2020

संलग्नक - 1 (1) 38

लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

प्रेषक,
उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण
नवीन भवन, विपिन खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ
संख्या 2741/VC/IS/HTTW/2019
दिनांक 18/11/2019

सेवा में,
सहारा इण्डिया कामर्शियल कार्पोरेशन लि0
सहारा इण्डिया सेन्टर, 2 कपूरथला काम्पलेक्स
अलीगंज, लखनऊ। 226024

विषय : हाईटेक टाउनशिप नीति के अन्तर्गत मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की दिनांक 13.08.2019 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 28.08.2019 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में हाईटेक टाउनशिप की विकास किये जाने हेतु निजी पूंजी निवेश के प्रोत्साहन हेतु आपका चयन लखनऊ में टाउनशिप विकसित किये जाने हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 13.04.2005 में कतिपय शर्तों के अधीन किया गया था, जिसकी सूचना उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण को आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 के पत्र संख्या 2712/आठ-1-05 दिनांक 21.05.2005 के माध्यम से अग्रेतर कार्यवाही हेतु दी गयी थी (संलग्नक 1)। आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 के पत्र संख्या 3851/आठ-1-05 दिनांक 08.08.2005 के माध्यम से शासन के पत्र दिनांक 21.05.2005 के क्रम में एम0ओ0यू0 का प्रारूप संलग्न कर एम0ओ0यू0 निष्पादन हेतु निर्देशित किया गया था (संलग्नक 2)।

उपरोक्त के क्रम में प्राधिकरण एवं आपके मध्य दिनांक 13.12.2005 को एम0ओ0यू0 निष्पादित किया गया। उक्त एम0ओ0यू0 निष्पादन के पश्चात आप द्वारा लखनऊ में मूल चयनित स्थल (क्षेत्रफल 1784.84 एकड़) में परिवर्तन करते हुए नव चयनित स्थल के रूप में लखनऊ सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में क्षेत्रफल 2052.15 एकड़ परिवर्तित किये जाने का अनुरोध किया गया, जिस पर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 25.02.2015 के एजेण्डा बिन्दु संख्या 1 पर निम्न निर्णय लिया गया:

"उच्च स्तरीय समिति द्वारा विकासकर्ता के मूल चयनित स्थल (1784 एकड़) में परिवर्तन करते हुए विकासकर्ता द्वारा नवचयनित स्थल के रूप में 2052.15 एकड़ (लखनऊ सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर दिशा में) पर स्थल परिवर्तन सम्बंधी प्रस्तावित एजेण्डा प्रस्ताव को उच्च स्तरीय समिति द्वारा सैद्धान्तिक अनुमोदन किया गया।" (संलग्नक 3)

उपरोक्त से स्वतः ही स्पष्ट है कि लगभग प्रथम 10 वर्ष में आप द्वारा योजना विकसित करने हेतु कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया। तदक्रम में उक्त योजना का एम0ओ0यू0 दिनांक 02.08.2016 को निष्पादित किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार 2005 से लेकर वर्तमान तक विकासकर्ता के पक्ष में लगभग 128 एकड़ भूमि है।

हाईटेक टाउनशिप नीति विषयक शासनादेश संख्या 3872/आठ-1-07-34विविध/03 दिनांक 17 सितम्बर, 2007 के प्रस्तर-24 के अनुसार विकासकर्ता कम्पनी/कन्सोर्टियम द्वारा एम0ओ0यू0 के निष्पादन की तिथि से 180 दिन के अन्दर प्रस्तावित हाईटेक टाउनशिप की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट शासकीय अभिकरण को प्रस्तुत करने का प्राविधान है। 3000 एकड़ तक की योजना का विकास कार्य अधिकतम 04 चरणों में किये जाने का प्राविधान है। उक्त हेतु वर्तमान में विकासकर्ता कम्पनी/कन्सोर्टियम द्वारा प्रत्येक चरण में 40 प्रतिशत परन्तु न्यूनतम 200 एकड़ भूमि, डिटेल ले-आउट प्लान की स्वीकृति हेतु आवश्यक है।

Scanned with CamScanner

उपरोक्त के दृष्टिगत योजना के विकास में कोई रूचि न लिये जाने एवं क्षेत्र विशेष का सुनियोजित विकास बाधित किये जाने के दृष्टिगत प्रकरण पर हाईटेक टाउनशिप नीति के अधीन मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 13.08.2019 के प्रस्तर –2.1 (1) पर निम्न निर्णय लिया गया:–

"मै0 सहारा इंण्डिया कामर्शियम कार्पोरेशन का चयन दिनांक 13.04.2005 को लखनऊ में 1784 एकड़ टाउनशिप के विकास हेतु किया गया था, जिसके कम में लखनऊ विकास प्राधिकरण के साथ दिनांक 13.12.2005 को एम0ओ0यू0 निष्पादित किया गया। यद्यपि विकासकर्ता द्वारा वर्ष 2015 में नए स्थल (2052.15 एकड़) का चयन किया गया और उसके कम के दिनांक 02.08.2016 को अमेन्डेड एम0ओ0यू0 निष्पादित किया गया, परन्तु अभी तक मात्र 128 एकड़ भूमि जो कय की गई, जो प्रथम चरण के डिटेल्ड ले–आउट प्लान हेतु वांछित न्यूनतम 200 एकड़ से कम है। इसके अतिरिक्त परियोजना की कन्सेप्चुवल डी0पी0आर0 अनुमोदित नही है और परियोजना की प्रगति शून्य है। लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र संख्या–2101, दिनांक 23.08.2018 द्वारा शासन को सूचित किया गया है कि प्रस्तावित टाउनशिप से आच्छादित क्षेत्रफल के अन्तर्गत अन्य किसी के मानचित्र स्वीकृत नहीं किए जा रहे हैं, जिस कारण क्षेत्र का नियोजित विकास अवरूद्ध है, जिसके दृष्टिगत प्राधिकरण ने प्रश्नगत क्षेत्र के विकास एवं जनहित में विकासकर्ता का चयन निरस्त किए जाने की संस्तुति की है।

उपरोक्त के दृष्टिगत उच्च स्तरीय समिति द्वारा मै0 सहारा इंडिया कामार्शियल कार्पोरेशन, लखनऊ का चयन निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया।" (संलग्नक–4)

तद्कम में आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 के पत्र संख्या–1090/आठ–3–19–227 विविध/2016 दिनांक 26.09.2019 के कम में अवगत कराना है कि आप द्वारा अपनी लखनऊ–सुल्तानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग, लखनऊ पर प्रस्तावित हाईटेक टाउनशिप परियोजना का एम0ओ0यू0 किये जाने के उपरान्त निर्धारित अवधि में अपेक्षित न्यूनतम भूमि का जुटाव भी नहीं किया जा सका और नीति के अन्तर्गत अनुमन्य समय–सीमा में कोई कार्य नहीं किया गया। उक्त के दृष्टिगत मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 13.08.2019 में सम्यक विचारोपरान्त उक्त हाईटेक परियोजना का चयन निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।(संलग्नक–5)

उक्त के कम में आपकी उक्त परियोजना निरस्त की जाती है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

8/11/2019

(प्रभु एन0 सिंह)
उपाध्यक्ष

O/C

प्रतिलिपि:

1. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित।
2. मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल को अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित।
3. सचिव महोदय को अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ प्रेषित।
4. गार्ड फाइल।

(भूपेन्द्र वीर सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
(हा0/इंटी0 सेल)

Scanned with CamScanner

संलग्नक -2

40

RATNESH CHANDRA
ADVOCATE
255/63, (NEAR TIKONA PARK),
KUNDRI RAKABGANJ,
LUCKNOW.

MOBILE: (0)-9415008400
PHONES: 0522-2266256(R)

e-mail: ratneshratnesh@rediffmail.com

Date: 06/07/2020

To

The Nazool Officer
Lucknow Development Authority
Lucknow

Re:- Legal Opinion

Dear Sir,

My opinion has been sought in respect of legality of proposed acquisition or proposed grant of license in favour of Sri. Raj Infra Housing for integrated township for the land which was under the High Tech Township of M/s Sahara India Commercial Corporation, Lucknow, the license of which has been cancelled vide order dated 13/08/2019.

Though M/s Sahara India Commercial Corporation, Lucknow has assailed the order dated 13/08/2019 in writ petition no. 35018 (M/B) of 2019 before the Hon'ble High Court, Lucknow but no interim relief has been granted by the Hon'ble Court.

The note sheet further reveals that the Lucknow Development Authority, Lucknow is desirous of acquiring the said piece of land for development while on the other hand Sri. Raj Infra Housing wants that the license of integrated township in respect of same piece of land be executed in its favour.

After going through the record of Lucknow Development Authority, what I find is that there is no interim relief order in favour of M/s Sahara India Commercial Corporation, Lucknow and as such the

Scanned with CamScanner

cancellation order dated 13/08/2019 is still in existence and therefore as of now the Lucknow Development Authority is at liberty to either acquire the land for its own scheme or for any other purpose or may grant license to any developer for developing integrated township. However when it comes for the availability of land bank which has been informed by Sri. Himmat Singh, Surveyor to be very less, then in such circumstances it would be appropriate that the Lucknow Development Authority should go for acquisition instead of granting license to any other developer.

I give my opinion accordingly.

Lucknow

Ratnesh Chandra
Advocate

Scanned with CamScanner

विषय– बसंतकुंज योजना में स्थित कैटिल कालोनी में तटबन्ध के निर्माण से प्रभावित भूखण्डों का पुनर्वासन हेतु निर्माण के मूल्यांकन प्रतिकर भुगतान के सम्बन्ध में।

गोमती नदी पर सीतापुर–हरदोई बाईपास के डाउन–स्ट्रीम में नदी के दायें तटबन्ध से आच्छादित बसंतकुंज योजना हरदोई रोड के सेक्टर–एन व सेक्टर–जे की भूमि को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान किये जाने के दृष्टिगत कैटिल कालोनी के पुनर्वासन से प्रभावित होने वाले आवंटियों/धारकों के निर्मित स्ट्रक्चर/निर्माण के मूल्यांकन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 19.09.2013 को प्रदान की गयी है।

उक्त स्वीकृति के अनुपालन में 143 कैटिल धारकों के कुल 197 भूखण्डों पर निर्मित स्ट्रक्चर का मूल्यांकन अभियन्त्रण खण्ड द्वारा किया गया है। मूल्यांकन सूची **(संलग्नक–1)** के अनुसार कुल 143 स्ट्रक्चर का ह्रास मूल्य रू0–1,60,26,662.00 आंगणित किया गया है। उक्त मूल्यांकन में अस्थायी रूप से टीनशेड, खिड़की एवं दरवाजे आदि सम्मिलित नहीं है।

बन्धे के निर्माण हेतु 197 भूखण्डों पर कैटिल धारकों को वर्तमान में नवसृजित भूखण्डों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में अभियन्त्रण खण्ड द्वारा प्रकरण पर निर्णय हेतु आख्या प्रस्तुत की गयी, जो निम्नवत् हैः–

1. पुनर्वासित कैटिल धारक निर्मित भवन से प्राप्त सामग्री को पुनः उपयोग में ला सकते है, जिसके फलस्वरूप किए गए मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की कटौती हो जाएगी अर्थात कैटिल धारकों को यह स्वीकृति दे दी जाए कि वह अपना भवन स्वंय तोड़कर उसकी सामग्री का पुनः उपयोग कर लेगें। इस प्रकार अनुमानित लागत रू0–1,60,2,662.00 के सापेक्ष 30 प्रतिशत धनराशि घटाते हुए धनराशि रू0–1,12,18,663.00 का भुगतान कैटिल धारकों को भुगतान किया जाना होगा।
2. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 उ0प्र0 शासन के पत्र सं–834/आठ–1–19–58बजट/2018 दिनांक 06 जून, 2019 के अनुसार समायोजन के अन्तर्गत निर्मित भवन की धनराशि धारको को दिए जाने का अवस्थापना निधि के अन्तर्गत उल्लिखित मदों में कोई प्राविधान नहीं है। इसलिए उक्त धनराशि रू0–1,12,18,663.00 को तटबन्ध निर्माण के कार्य में ही भारित किया जाना होगा।

उपरोक्त के दृष्टिगत उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 08.06.2020 को प्रश्नगत प्रकरण में देय धनराशि का वितरण अपर जिलाधिकारी–भू0अ0 के माध्यम से कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

7/7/2020 08/7/2020

प्रभावित भूखण्डों पर विद्यमान निर्माण के मूल्यांकन के सापेक्ष सम्बन्धित आवंटियों को मुआवजा वितरण हेतु धनराशि रू0–1,12,18,663.00 (एक करोड़ बारह लाख अट्ठारह हजार छः सौ तिरसठ मात्र) के भुगतान करने की स्वीकृति/अनुमोदन प्राधिकरण बोर्ड से प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

प्रस्तावः—

बसंतकुंज योजना में स्थित कैटिल कालोनी में तटबन्ध के निर्माण से प्रभावित भूखण्डों का पुनर्वासन हेतु प्रभावित 143 आवंटियों को निर्माण के मूल्यांकित प्रतिकर की धनराशि रू0–1,12,18,663.00 (एक करोड़ बारह लाख अट्ठारह हजार छः सौ तिरसठ मात्र) भुगतान किये जाने व उक्त देय प्रतिकर धनराशि को तटबन्ध निर्माण लागत में ही सम्मिलित किये जाने तथा प्रतिकर का वितरण अपर जिलाधिकारी–भू0अ0 के कार्यालय से कराये जाने की स्वीकृति/अनुमोदन हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

7/7/2020

08/7/2020

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निमार्ण खण्ड-1, लो0नि0वि0, लखनऊ

पत्रांक: 3502/म-24/13 दिनांक: 26.12.13

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
जोन-7,लखनऊ विकास प्राधिकरण,
नवीन भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

विषयः बसन्तकुंज योजना हरदोई रोड स्थित कैटिल कालोनी के पुनर्वासन हेतु मूल्यांकन को वेट करने के सम्बन्ध में।

संदर्भः आपका पत्र सं0 354/ए0ए0-7/13 दिनांक 03.12.2013

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा बसन्तकुंज योजना हरदोई रोड स्थित कैटिल कालोनी के पुनर्वासन हेतु मूल्यांकन को वेट कराने सम्बन्धी प्राक्कलन प्राप्त हुए हैं।

मूल्यांकन गणना की जांचोपरान्त सम्पूर्ण प्राक्कलन आपको मूल रूप में वापस किये जाते हैं।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, लखनऊ

पत्रांक: दिनांक:

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

1. सहायक अभियन्ता (पंचम), निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, लखनऊ।
2. अवर अभियन्ता (प्रा0), निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, लखनऊ।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो0नि0वि0, लखनऊ

E:\Computer-1\Riyaz\JET Maurya\2013-14\lda-1.doc

Scanned by CamScanner

कैटिल कालोनी के पुर्नवासन हेतु मूल्यांकन स्थितिः– (1)

क्र0 सं0	भूखण्ड का नाम	क्षे0वर्ग मी0	अध्यासी का नाम	पिता का नाम	मूल्यांकन	विवरण
1.	सी–413	150.00	दुल्ला	दहा	99085.00	
2.	सी–412 एवं 411	300.00			2,11,092.00	
3.	सी–410	150.00			1,07,631.00	
4.	सी–409	150.00			1,02,937.00	
5.	सी–408	150.00			53,400.00	
6.	सी–407 एवं 420	300.00			1,89,646.00	
7.	सी–395 एवं 396	300.00	मो0 हारून	मो0 रईस अहमद	1,67,445.00	
8.	सी–385 एवं 386	300.00			69,890.00	
9.	सी–387 एवं 388	300.00	कमरूदीन	हाजी मिट्ठू	4,39,325.00	
10.	सी–389 एवं 390	300.00			2,55,514.00	
11.	सी–391	150.00	मो0 नसरफ	मो0 मुसाहिब	1,08,173.00	
12.	सी–379	150.00	मो0 वशीर	मो0 मुसाहिब	68,819.00	
13.	सी–380	150.00	मो0 नसरफ	मो0 मुसाहिब	63,082.00	
14.	सी–446 एवं 447	300.00			1,67,488.00	
15.	सी–448, 449, 450	450.00			4,02,478.00	
16.	सी–451	150.00			76,593.00	
17.	सी–452, 453 एवं 454	450.00			1,78,747.00	
18.	सी–455	150.00			1,63,327.00	
19.	सी–456	150.00			60,391.00	
20.	सी–457	150.00	जाकिर हुसैन	शाकिर हुसैन	48619.00	
21.	सी–458	150.00			1,35,137.00	
22.	सी–188	150.00	श्री हैदर		27,956.00	
23.	सी–190	150.00	श्री हैदर		50,577.00	
24.	सी–193 एवं 194	300.00			2,27,629.00	
25.	सी–304	150.00	गंगा प्रसाद	लल्लू	1,43,048.00	
26.	सी–305	150.00			1,20,785.00	
27.	सी–306 एवं 307	300.00			1,87,119.00	
28.	सी–314	150.00			62,954.00	
29.	सी–313	150.00			1,22,568.00	
30.	सी–312	150.00	तहसीम, पत्नी स्व0 हैदर, पुत्र मैकू		1,70,143.00	
31.	सी–311	150.00	मो0 शरीफ, C/O हफीज उल्लाह	इसराज	70,575.00	
32.	सी–310	150.00			1,38,544.00	
33.	सी–309	150.00	मो0 शकील	सुबराती	21,134.00	
34.	सी–325	150	सुलेमान	शहजादे	49,029.00	
35.	सी–326	150	हनीफ	इसराज	1,78,104.00	
36.	सी–319	150			1,56,106.00	
37.	सी–334 एवं 335	300			51,510.00	
38.	सी–332 एवं 333	150			16,649.00	
39.	सी–330 एवं 331	300	मो0 जब्बार	श्री शाकिर	1,24,620.00	
40.	सी–329	150	मु0 इस्माईल	रहमत उल्ला	1,76,245.00	
41.	सी–328	127.50			55,605.00	
42.	सी–339	85.0			16,566.00	
43.	सी–338	150.00			54,140.00	
44	सी–343	150.00			93,561.00	
45.	सी–289	150.00			69,997.00	
46.	सी–290	150.00			1,33,314.00	

check

JE

संजीव कुमार सिन्हा
अधिशासी अभियन्ता जोन

Contd. Page-2

Scanned by CamScanner

46

47.	सी–291	150.00			18,572.00
48.	सी–292 एवं 293	300.00			2,05,509.00
49.	सी–294	150.00			1,20,169.00
50.	सी–295	150.00			70,511.00
51.	सी–296	150.00			46,011.00
52.	सी–230	150.00			65,190.00
53.	सी–231	150.00			26,580.00
54.	सी–232	150.00			32,332.00
55.	सी–235	150.00			1,26,005.00
56.	सी–222	150.00			77,232.00
57.	सी–221	150.00			3,60,705.00
58.	सी–220 एवं 219	300.00			2,07,893.00
59.	सी–237	150.00	चुन्ना	स्व0 दरगाही	1,84,869.00
60.	सी–281	150.00			56,353.00
61.	सी–282	150.00			71,731.00
62.	सी–283	150.00			79,136.00
63.	सी–284	150.00	हलीम	हसनू	77,278.00
64.	सी–285	150.00	मो0 जमाल अहमद	श्री मल्लू	70,432.00
65.	सी–286	150.00			72,892.00
66.	सी–273 एवं 274	300.00	इस्माइल एवं मुनीश	सहजादे	1,26,533.00
67.	सी–275	150.00	अब्बास अली	हामिद अली	19,936.00
68.	सी–265	150.00			1,24,929.00
69.	सी–266	150.00	सराफत अली	दिलावर	52,968.00
70.	सी–267 एवं 268	300.00	इकवाल अहमद/अनीस अहमद	बाबू	45,600.00
71.	सी–271	150.00			1,58,083.00
72.	सी–272	150.00			67,367.00
73.	सी–263 एवं 264	300.00			2,01,213.00
74.	सी–261	150.00			53,132.00
75.	सी–260	150.00			7,914.00
76.	सी–259	150.00			1,46,240.00
77.	सी–258 एवं 257	300.00	वशीर	मो0 मुसाहन	1,56,800.00
78.	सी–256	150.00			75,454.00
79.	सी–253 एवं 254	300.00			1,69,148.00
80.	सी–241 एवं 242	300.00			1,53,696.00
81.	सी–243	150.00			42,777.00
82.	सी–244	150.00			62,135.00
83.	सी–245 एवं 246	300.00			1,11,824.00
84.	सी–247	150.00			1,04,045.00
85.	सी–248 एवं 249	300.00	रईस अहमद	मो0 घसीटे	2,22,230.00
86.	सी–207 एवं 208	300.00	श्री कलीम		2,69,401.00
87.	सी–211	150.00			16,691.00
88.	सी–200	150.00			1,60,320.00
89.	सी–199 एवं 198	300.00			2,89,444.00
90.	सी–197	150.00			95,000.00
91.	सी–214	150.00			71506 ~~75,506.00~~
92.	सी–215	150.00			24,577.00
93.	सी–217 एवं 218	300.00	अब्दुल करीम	इकराम अली	1,70,144.00
94.	सी–212 एवं 213	300.00			3,56,679.00
95.	सी–252	150.00			74,736.00
96.	सी–250 एवं 251	300.00			1,53,475.00
97.	सी–4, सी–5, सी–6	400.00			2,78,430.00

E:\RAM\PANKAJ SIRULI\TER\COSTING.doc

Checked

JE

AE

JE (E) CD-7, RWD, LKO.

प्रतिहस्ताक्षरित

संजीव कुमार सिन्हा
अधिशासी अभियन्ता

Contd. Page-3

Scanned by CamScanner

③ 412

98.	सी–7	150.00			86,270.00	
99.	सी–8	150.00			1,29,400.00	
100.	सी–9 सी–10	300.00			74,925.00	
101.	सी–11	150.00			81,075.00	
102.	सी–12	150.00			1,27,090.00	
103.	सी–50, 51, 52, 53	600.00			2,42,590.00	
104.	सी–64, सी–65	300.00			2,91,316.00	
105.	सी–66	150.00			1,38,872.00	
106.	सी–63	150.00			95,218.00	
107.	सी–323 एवं 324	300.00	सूबेदार	श्री अब्दुल्ला	5,28,356.00	P.A.R
108.	सी–185 एवं 186	300.00			5,66,844.00	
109.	सी–203, 204 एवं 205	450.00	सूबेदार		10,24,090.00	P.A.R
110.	सी–357	150.00			1,10,781.00	
111.	सी–356	150.00			70,527.00	
112.	सी–354, 355	300.00			1,69,843.00	
113.	सी–352, 353	300.00			4,56,432.00	
114.	सी–351	150.00			84,970.00	
115.	सी–383, 354	300.00			74,248.00	
116.	सी–382	150.00			2,51,64.00	
117.	सी–381	150.00			1,41,018.00	
118.	सी–376	150.00			62,410.00	
119.	सी–373	150.00			1,24,682.00	
120.	सी–372	150.00			98,859.00	
121.	सी–371	150.00			35,166.00	
122.	सी–370	150.00			75,745.00	
123.	सी–367	150.00			37,820.00	
124.	सी–362	150.00	अब्दुल हई		73,520.00	
125.	सी–360	150.00	मुहम्मद रसीद		1,08,322.00	
126.	सी–358, 359	300.00			4,38,002.00	
127.	सी–427	150.00	समरत सिंह		1,33,317.00	
128.	सी–443	150.00			1,51,848.00	
129.	सी–442	150.00			1,60,579.00	
130.	सी–441	150.00			25,584.00	
131.	सी–439	150.00	श्री कुर्वानी	पुत्र भल्लू	1,07,620.00	
132.	सी–438	150.00	श्री इकबाल	पुत्र भल्लू	1,25,965.00	
133.	सी–437	150.00			44,862.00	
134.	सी–435, 436	300.00			1,40,843.00	
135.	सी–429, 430	300.00			2,03,906.00	
136.	सी–431	150.90			43,800.00	
137.	सी–432	150.00			10,249.00	
138.	सी–422, 433	300.00	श्री उस्मान		92,524.00	
139.	सी–421, 434	300.00	सलीम	पुत्र मुहम्मद शकूर	1,66,953.00	
140.	सी–418, 419	300.00			2,26,308.00	
141.	सी–416, 417	300.00			53,074.00	
142.	सी–276, 277	300.00			38,144.00	
143.	सी–278, 279	300.00			2,40,400.00	
				कुल	~~1,60,30,662.00~~ 1,60,2[illegible]	

checked

पुनःसत्यापित।

C/S for rates JE

संजीव कुमार सिन्हा
अधिशासी अभियन्ता

F:\RAM\PANKAJ SIR LETTER\COSTING.doc

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड नं० - 1
लो० नि० वि०, लखनऊ

Scanned by CamScanner

विषय संख्या-06 पृ० सं०-48

विषय: आउट सोर्सिंग के माध्यम से रखे गये वरिष्ठ सहायक कास्ट एकाउन्टेन्ट के सेवा अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में-:

<u>प्रस्तावः</u>

कृपया आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के शासनादेश संख्या-8/2020/278/आठ-1-20-01विविध/2000 दिनांक 07.02.2020 द्वारा ओ0टी0एस0 योजना-2020 (एकमुश्त समाधान योजना) लागू की गयी। पूर्व पृष्ठ 09 पर तत्कालीन उपाध्यक्ष के आदेश दिनांक 25.10.2019 के क्रम में ओ0टी0एस0 योजना के अन्तर्गत प्राप्त प्रार्थना-पत्रों के समयबद्ध निस्तारण एवं मूल्यांकन के कार्य हेतु आऊटसोर्सिंग के माध्यम से वरिष्ठ सहायक कास्ट एकाउन्टेन्ट की सेवायें प्राप्त किये जाने हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। उक्त क क्रम में प्राधिकरण बोर्ड ओ0टी0एस0 योजना लागू किये जाने के पश्चात तत्समय से 06 माह की अवधि हेतु सेवा-निवृत्त वरिष्ठ सहायक कास्ट एकाउन्टेन्ट को आऊटसोर्सिंग के माध्यम से आबद्ध किये जाने के प्रस्ताव संख्या-166/6 अनुमोदित किया गया।

शासनादेश के अनुसार दिनांक 06.03.2020 से 05.06.2020 तक ओ0टी0एस0 योजना के अन्तर्गत आवेदन-पत्रों प्राप्त किये जाने की समयावधि निर्धारित की गयी। निर्गत शासनादेश में आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि से आगामी 03 माह दिनांक 05.09.2020 तक गणना कर आवंटी को सूचित किये जाने की व्यवस्था दी गयी। यहां यह भी अवगत कराना है कि कोविड-19 महामारी एवं लॉक-डाऊन के कारण दिनांक 22.03.2020 से दिनांक 03.05.2020 लगभग डेढ़ माह तक कोई ओ0टी0एस0 आवेदन-पत्र प्राप्त न हाने के कारण ओ0टी0एस0 गणना का कोई कार्य नहीं किया गया।

कोविड-19 महामारी एवं लॉक-डाऊन के दृष्टिगत ओ0टी0एस0 योजना-2020 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्राप्त किये जाने की अवधि शासनादेश संख्या-703/आठ-1-20-01विविध/2000 दिनांक 06.06.2020 द्वारा दिनांक 30.09.2020 कर दी गयी है। इस प्रकार ओ0टी0एस0 आवेदनों के निस्तारण की अन्तिम तिथि 30.12.2020 हो जायेगी।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आऊटसोर्सिंग के माध्यम से आबद्ध किये गये वरिष्ठ सहायक कास्ट एकाउन्टेन्ट की सेवायें शासन द्वारा आवेदन-पत्र प्राप्त करने की तिथि दिनांक 30.09.2020 से आगामी 03 माह अर्थात दिनांक 31.12.2020 तक समय बढ़ाये जाने हेतु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव अवलोकनार्थ/विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

वित्त नियंत्रक
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

6/7/2020

संख्याः 703 /आठ–1–20–01विविध/2000

प्रेषक,

दीपक कुमार,

प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. अध्यक्ष/जिलाधिकारी,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊः दिनांकः 6 जून, 2020

विषयः कोविड–19 महामारी एवं लॉकडाउन के दृष्टिगतवन टाईम सेटेलमेंट योजना (ओ.टी.एस. योजना, 2020) के अन्तर्गत आवेदन पत्र देने की अवधि बढ़ाये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या–8/2020/278/आठ–1–20–01 विविध/2000 दिनांक 07.02.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वन–टाईम सेटेलमेंट योजना (ओ.टी.एस. योजना, 2020) के संचालन सम्बंधी दिशा–निर्देश निर्गत किए गये है। उक्त शासनादेश में आवेदन करने हेतु दिनांक 06.03.2020 से 03 माह की अवधि निर्धारित की गयी थी, जो दिनांक 05.06.2020 को समाप्त हो गयी है।

2– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 महामारी तथा लॉकडाउन के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त योजना के तहत आवेदन पत्र देने की तिथि दिनांक 30.09.2020 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया शासन के उक्त निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव

A.OTS.G.

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. महानिरीक्षक, निबन्धन को सभी प्राधिकरणों/समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों/आवास विकास परिषद में सब–रजिस्ट्रार की उपलब्धता इस अवधि में सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश निर्गत करने हेतु।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
6. निजी सचिव, मा. मंत्री जी/मा. राज्य मंत्री जी आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
7. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र., लखनऊ।
8. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए इसका प्रचार–प्रसार करने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

/

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 166वीं बैठक दिनांक 06 नवम्बर, 2019 का कार्यवृत्त

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की **166वीं बैठक, बोर्ड अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार मेश्राम, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ** की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित रहें:-

उपस्थितिः-

01.	श्री अभिषेक प्रकाश	जिलाधिकारी, लखनऊ।
02.	श्री प्रभु एन0 सिंह	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
03.	सुश्री अपूर्वा दुबे	विशेष सचिव, प्रतिनिधि-प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
04.	श्री इन्द्रजीत विश्वकर्मा	अपर निदेशक, कोषागार, प्रतिनिधि-सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
05.	श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0।
06.	श्री सुनील चौधरी	मुख्य अभियन्ता, प्रतिनिधि-आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
07.	श्री एम0के0 सिंह	मुख्य अभियन्ता, प्रतिनिधि नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
08.	श्री बी0एल0 गौतम	अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम।
09.	श्री अनुपम श्रीवास्तव	क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, लखनऊ मण्डल प्रतिनिधि-महानिदेशक, पर्यटन।
10.	सुश्री रेखा श्रीवास्तव	अपर सांख्यिकी अधिकारी, प्रतिनिधि-अपर आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

अन्य उपस्थितिः-

11.	श्री एम0पी0 सिंह	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
12.	श्री अनिल भट्नागर	अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
13.	श्री आर0के0 सिंह	वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
14.	श्री इन्दु शेखर सिंह	मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
15.	श्री पंकज कुमार	नजूल अधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
16.	श्री संदीप श्रीवास्तव	विशेष कार्याधिकारी, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
17.	श्री नितिन मित्तल	मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।
18.	श्री आर0जी0 सिंह	मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।
19.	श्री चक्रेश जैन	अधीक्षण अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।
20	श्री पी0सी0 पाण्डेय	अधीक्षण अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।

सर्वप्रथम् उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का औपचारिक स्वागत किया गया और तदुपरान्त बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न विषयों/मदों पर निम्नवत् निर्णय लिया गया:-

मद सं0	विषय	निर्णय
166/1	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 30.07.2019 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। कार्यवृत्त के पृष्ठ संख्या-7, 8 एवं 9 के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या बिन्दु संख्या-2 में तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 18.09.2019 के क्रम में पुनः संशोधित अनुपालन आख्या बोर्ड के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई। कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
166/2	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 30.07.2019 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	प्रस्तुत की गई अनुपालन आख्या का अवलोकन/अनुमोदन किया गया।
166/3	लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न योजनाओं में रिक्त भवनों/फ्लैटों के मूल्य फ्रीज किये जाने एवं मूल्य में कमी किये जाने के सम्बन्ध में।	लखनऊ विकास प्राधिकरण के विभिन्न योजनाओं (गोमती नगर एवं गोमती नगर विस्तार को छोड़कर) में रिक्त भवनों/फ्लैटों के मूल्य फ्रीज किये जाने एवं मूल्य में कमी किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष रखा गया। "नो प्राफिट-नो लॉस" एवं शासन की

		मंशानुरूप जन–सामान्य को किफायती दरों पर आवास (अफोर्डेबल हाउस) उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/4	लखनऊ विकास प्राधिकरण के 17 से 20 वर्ष पुराने 5 अदद् हल्के वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/5	लखनऊ विकास प्राधिकरण के कमता चौराहे के पास निर्मित बस स्टेशन, बजट होटल एवं जानकीपुरम्, सीतापुर रोड, सेक्टर–ई में बस स्टेशन हेतु आरक्षित भूखण्ड के मूल्यांकन के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/6	लखनऊ विकास प्राधिकरण के गणना अनुभाग में एक अनुभवी वरिष्ठ सहायक कास्ट एकाउन्टेन्ट आऊटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा ओ0टी0एस0 योजना लागू किये जाने के पश्चात्, तत्समय से 06 माह की अवधि तक मूल्यांकन कार्य करने हेतु अनुभवी एवं सेवानिवृत्त एक वरिष्ठ सहायक कास्ट एकाउन्टेन्ट को शासनादेशानुसार आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/7	लखनऊ विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में निर्मित रिक्त व्यवसायिक सम्पत्तियों की आरक्षित दर को कम/फ्रीज किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/8	लखनऊ विकास प्राधिकरण की बसंतकुंज योजना में प्रस्तावित भूमि 12.32 हे0 की धनराशि रू0 160.42 करोड के सापेक्ष चक गंजरिया परियोजना में 9.74 एकड़ के सापेक्ष व्यवसायिक भूखण्ड सं0–ई–4 (2.74 एकड़), ई–6 (3.21 एकड़) एवं ई–7 (3.55 एकड़) अर्थात् कुल 9.5 एकड़ को लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में करने एवं शेष 0.24 एकड़ के मूल्य की धनराशि वाह्य विकास शुल्क/अन्य व्यय में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
166/9	लखनऊ विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत रेण्ट अनुभाग में किराये पर आवासीय एवं व्यवसायिक सम्पत्तियों का किराया वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त लखनऊ विकास प्राधिकरण की रेण्ट सम्पत्तियों के अन्तर्गत व्यवसायिक सम्पत्तियों का किराया डीएम सर्किल रेट दिनांक 15.12.2014 के अनुसार उसका 25 प्रतिशत एवं आवासीय सम्पत्तियों का किराया डीएम सर्किल रेट दिनांक 15.12.2014 में उल्लिखित व्यावसायिक दरों का आधा करने के पश्चात उसका 25 प्रतिशत निर्धारित किये जाने विषयक प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया। साथ ही सम्बन्धित किरायेदार को रेण्ट बढ़ोत्तरी के साथ–साथ शासनादेशानुसार सम्पत्ति क्रय किये जाने के सम्बन्ध में भी अवगत कराये जाने के निर्देश दिये गये।
166/10	लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित योजनाएं जो नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित नहीं है, में अनुरक्षण हेतु "विकसित योजनाओं में आवश्यक सेवाओं के अनुरक्षण हेतु विनियम 2019" की स्वीकृति के	सम्यक् विचारोपरान्त जो योजनाएं नगर निगम, लखनऊ को हस्तान्तरित नहीं है, में अनुरक्षण हेतु "विकसित योजनाओं में आवश्यक सेवाओं के अनुरक्षण हेतु विनियम 2019" की स्वीकृति विषयक प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को बाइलॉज

		प्रकरण लम्बित नहीं हैं। इस सम्बन्ध में सभी सम्पत्ति अधिकारियों से इस आशय का प्रमाण–पत्र/आख्या भी प्राप्त कर ली जाय और उसे पत्रावली पर सुरक्षित रखा जाय। भविष्य के लिए इसे नजीर न बनाया जाय।
166/32	जानकीपुरम योजना सेक्टर–जी में समायोजित भूखण्ड संख्या–सी–1/359ए तथा सी–1/362ए का भू–उपयोग ग्रीन से आवासीय में परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/33	जनपद–लखनऊ शहर में शहीद पथ से लखनऊ एयरपोर्ट को जोड़ने वाले वैकल्पिक मार्ग के रूप में एलीवेटेड फ्लाईओवर के निर्माण हेतु एलाइनमेन्ट अंकित कर संशोधित तलपट मानचित्र पर सैद्धान्तिक अनुमति के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/34	उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद को उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–28 (क) के अधिकारों का प्रतिनिधायन।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। इस प्रकार के पूर्व के प्रतिनिधायनों को भी तद्नुसार मान्यता प्रदान की गई।
166/35	सीतापुर रोड योजना के सेक्टर–सी अन्तर्गत निर्मित भवन/भूखण्ड संख्या– SSE–87 से भवन/भूखण्ड सं0–SSE–163 तक निर्मित भवनों के इक्जीक्यूशन प्लान के अनुमोदन के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
166/36	उ0प्र0 के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूंजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए शासन की इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत मेसर्स अमरावती रेजीडेन्सी प्रा0लि0 द्वारा ग्राम–मस्तेमऊ व बक्कास जनपद–लखनऊ में प्रस्तावित इंटीग्रेटेड टाउनशिप की डी0पी0आर0 पर बैठक दिनांक 01.11.2019 में समिति द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में डी0पी0आर0 स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक् विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

(एम0पी0 सिंह)
सचिव, ल0वि0प्रा0,
लखनऊ।

8/11/19
(प्रभु एन0 सिंह)
उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0,
लखनऊ।

अनुमोदित
11/XI/19
(मुकेश कुमार मेश्राम)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।

विषय संख्या -07 पृ०सं०-54

प्रस्तावः लखनऊ विकास प्राधिकरण की सम्पत्तियों के मूल्यांकन गाइड लाइन में संशोधन के सम्बन्ध में।।

विकास प्राधिकरणों एवं आवास विकास परिषद की सम्पत्तियों की कास्टिंग के लिए आर्दश मार्गदर्शक सिद्धान्त (गाइड लाइन्स) के सम्बन्ध में सचिव, आवास, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या-4049/9-आ-1-99/16 समिति/1998 आवास अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 20.11.1999 द्वारा निर्गत किया गया जिसे लखनऊ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक-22.1.2000----द्वारा प्रस्ताव संख्या-22---में अंगीकृत किया गया।

शासनादेश द्वारा निर्गत कास्टिंग गाइड लाइन में व्यवहारिक रुप में आ रही कठिनाइयों को सरलीकृत करते हुए नवीन कास्टिंग गाइड लाइन प्राधिकरण बोर्ड की 159वीं बैठक दिनांक 24.10.2016 द्वारा प्रस्ताव संख्या-27--में अनुमोदित किया गया।

वर्तमान में कोविड-19 महामारी के कारण लखनऊ विकास प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। भारत सरकार वित्त मंत्रालय तथा राष्ट्रीयकृत एवं अधिसूचित बैंकों द्वारा ब्याज दरों में कमी की गयी है जिसके दृष्टिगत प्राधिकरण द्वारा जमा धनराशि पर 9% साधारण ब्याज देना वित्तीय दृष्टिकोण से उचित नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी दिनांक 15.06.2020 से Marginal Cost of Fund Based Lending Rate (MCLR) की दरों में कमी की गयी है। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए कास्टिंग गाइड लाइन के प्रस्तर-2 (सम्पत्तियों में मूल्य वृद्धि) को संशोधित किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में लागू व्यवस्था में एतद्द्वारा प्रस्तावित संशोधन निम्नानुसार हैः-

वर्तमान में लागू व्यवस्था	एतद्द्वारा प्रस्तावित संशोधन
प्रस्तर-2, सम्पत्तियों में मूल्य वृद्धिः- आवंटन तिथि में अनुमानित कीमत आंकलित कर आवंटी से मूल्य लिया जाय तथा निर्माण पूर्ण होने पर वास्तविक कीमत का अन्तर और लिया जाय। यदि वास्तविक मूल्य आवंटन-पत्र में सूचित मूल्य से 10% (कार्नर भूखण्ड तथा मानक क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल की स्थिति को छोड़कर) अधिक बढ़ता है तो आवंटी को विकल्प होगा कि वह सम्पत्ति क्रय न करे और अपनी जमा धनराशि बिना कटौती के 9% साधारण ब्याज सहित वापस ले ले। भूखण्डों में	**प्रस्तर-2, सम्पत्तियों में मूल्य वृद्धिः-** आवंटन तिथि में अनुमानित कीमत आंकलित कर आवंटी से मूल्य लिया जाय तथा निर्माण पूर्ण होने पर वास्तविक कीमत का अन्तर और लिया जाय। यदि वास्तविक मूल्य आवंटन-पत्र में सूचित मूल्य से 10% (कार्नर भूखण्ड तथा मानक क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल की स्थिति को छोड़कर) अधिक बढ़ता है तो आवंटी को विकल्प होगा कि वह सम्पत्ति क्रय न करे और जमा धनराशि बिना कटौती के वापसी हेतु आवेदन की तिथि को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित Marginal Cost of Fund Based Lending Rate (MCLR) की दर पर वापस प्राप्त

वित्त नियंत्रक
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

आवंटन तिथि को प्रचलित दर ही ली जायेगी। इस प्रकार यदि निर्धारित अवधि में आवंटी की रजिस्ट्री/कब्जा की प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं तो तब भी आवंटी चाहे तो सम्पत्ति क्रय न करे और 9% साधारण ब्याज सहित वापस ले ले। उक्त 9% दर परिवर्तनीय होगी तथा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की दरों को देखते हुए समय-समय पर ब्याज दर संशोधन का अधिकार उपाध्यक्ष को होगा।	कर ले। भूखण्डों में आवंटन तिथि को प्रचलित दर ही ली जायेगी। इस प्रकार यदि निर्धारित अवधि में आवंटी की रजिस्ट्री/कब्जा की प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं तो, तब भी आवंटी चाहे तो सम्पत्ति क्रय न करे और धनराशि वापस किये जाने हेतु आवेदन की तिथि को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित Marginal Cost of Fund Based Lending Rate (MCLR) की दर पर वापस प्राप्त कर ले। प्राधिकरण की जिन योजनाओं में निबन्धन की कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है उन पर प्रभावी नहीं होगा।

उपरोक्तानुसार प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में की गयी कमी को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

वित्त नियंत्रक
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

google.com

Google

rbi mclr rate 2020 ×

ALL NEWS IMAGES VIDEOS MAPS

rbi mclr rate 2020
Results in English

बी मकलर रेट २०२०
हिन्दी में नतीजे

Overnight **MCLR Rate** is 6.75%. The **rate** was last revised on 15 Jun **2020** to 6.75% from 7.00% 1 Month **MCLR Rate** is 6.75%. The **rate** was last revised on 15 Jun **2020** to 6.75% from 7.00%

https://www.myloancare.in › central...

Central Bank MCLR, Base Rate Jun 2020 - MyLoanCare

About Featured Snippets Feedback

3

प्रस्ताव संख्या–

व्यवसायिक भूखण्डो की ई–नीलामी की मूल शर्त संख्या–4 को निक्षेपित करने के व नई शर्त जोड़ने के सम्बन्ध में प्रस्ताव

प्रस्ताव–1, 03 वर्ष का आयकर रिटर्न/हैसियत प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के सम्बन्ध में

व्यवसायिक भूखण्डों की नीलामी में वर्तमान में लागू शर्त संख्या–4 जोकि इस प्रकार है–

"ई–आक्शन दाता/बोलीदाता से विगत 03 वर्षो का आयकर रिटर्न विवरण/हैसियत सम्बन्धित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य है।" इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 06.09.2008 के विषय संख्या–11 में निम्नवत् प्रस्ताव पारित किया गया था :–

<u>विषय संख्या–11:–</u>लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु आरक्षित व्यवसायिक/सामुदायिक सुविधाओं/ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों की नीलामी की शर्तो में संशोधन किया जाना।

<u>निर्णयः–</u>प्रस्तुत प्रस्ताव के चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि नीलामी के पूर्व बोलीदाता से अन्य औपचारिकताओं के पालन कराने के साथ–साथ–

1. सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र जो विगत 06 माह के अन्दर निर्गत हो, संलग्न कराया जाये।
2. बोलीदाता से विगत 03 वर्षो का आयकर रिटर्न विवरण, टेण्डर फार्म के साथ–साथ संलग्न कराना अनिवार्य किया जाये।

उल्लेखनीय है कि यह प्राविधान अनुसूचित जाति/जनजाति के आरक्षित भूखण्डों के लिए किया गया था। सम्भवतः तदसमय सम्पन्न लोग अपने मातहत अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लोगो के नाम से भूखण्ड नीलामी में ले लेते थे। इसी कारण इस शर्त का प्राविधान किया गया था कि छदम आवेदक भूखण्ड आवंटन न करा पाये। परन्तु ल0वि0प्रा0 द्वारा वर्ष 2008 में बोर्ड द्वारा इस प्रस्ताव के पारित होने के उपरान्त जो शर्ते निर्धारित की गयी उसमें वर्ष 2008 में शर्त को निम्नवत् रखा गयाः–

ई–आक्शनदाता/बोलीदाता से विगत 03 वर्षो का आयकर रिटर्न विवरण/हैसियत सम्बन्धित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

इससे यह स्पष्ट है कि ल0वि0प्रा0 द्वारा इस शर्त को सामान्य रूप से समस्त श्रेणी के भूखण्डों पर लागू कर दिया गया। जबकि वास्तव में बोर्ड द्वारा केवल आरक्षित वर्ग के भूखण्डों हेतु प्राविधान किया गया था।

इस शर्त का लखनऊ विकास प्राधिकरण अपने स्तर से समय–समय पर परिवर्तन करता रहा है जिसका विवरण इस प्रकार है–

<u>व्यवसायिक भूखण्डों में 03 वर्ष का रिटर्न देने की शर्त का विभिन्न वर्षो में विवरण</u>

दिनांक 06.09.2008 में बोर्ड ने निर्णय किया कि नीलामी (मैनुअल) में आवेदक को **"सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हैसियत प्रमाण पत्र व 03 वर्ष का आयकर रिटर्न संलग्न कराया जाय।"**

परन्तु 2008 के बाद विभिन्न वर्षो में ये शर्त कभी जुड़ती रही कभी हटती रहीं है। जिसका विवरण इस प्रकार है:—

क्र0सं0	वर्ष	नीलामी की प्रवृत्ति	शर्त की स्थिति—03 वर्ष का रिटर्न/हैसियत देने की शर्त
1	2007	मैनुअल	हैसियत व 03 वर्ष का आयकर रिटर्न देने की शर्त नहीं रखी गई।
2	2008	मैनुअल	ये शर्त रखने का प्राविधान किया गया।
3	2010 (02.06.2010)	मैनुअल	ये शर्त थी।
4	2010 (18.12.2010)	मैनुअल	ये शर्त थी।
5	2011 23 मई, 2011	मैनुअल	ये शर्त थी।
6	**2011 (जुलाई)**	**मैनुअल**	**ये शर्त नहीं थी।**
7	**2012 (09.09.2012)**	**मैनुअल**	**ये शर्त नहीं थी।**
8	**2012 (18.10.2012)**	**मैनुअल**	**ये शर्त नहीं थी।**
9	**2013**	**मैनुअल**	**ये शर्त नहीं थी।**
10	2014	मैनुअल	ये शर्त थी।
11	2016	मैनुअल	ये शर्त थी।
12	2017 (16.12.2017)	मैनुअल	ये शर्त थी।
13	2018 (12.02.2018)	ई—ऑक्शन	ये शर्त थी। (ई—आक्शन की प्रथम नीलामी थी)
14	2019 (31.05.2019)	मैनुअल	ये शर्त थी।
15	2019 (26.06.2019)	ई—ऑक्शन	ये शर्त थी।
16	2019 (27.08.2019)	ई—ऑक्शन	ये शर्त थी।

उक्त शर्त के रहते हुए भी विभिन्न वर्षो में तदसमय के उपाध्यक्षों द्वारा कुछ कम्पनियों के पक्ष में नीलामी की स्वीकृतियां दी गयी है जिनके 03 वर्ष के आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किये गये है या वे कम्पनियां 03 वर्ष से कम पुरानी थी। वस्तुतः ऐसा निर्णय उपाध्यक्षों द्वारा नीलामी समिति की संस्तुति पर प्राधिकरण की सम्पत्तियों को उच्चतम बोली पर निस्तारित किये जाने के

दृष्टिगत वित्तीय हित में दी गयी थी। वास्तव में लखनऊ विकास प्राधिकरण भूखण्ड का आवंटन करता है, वह किसी व्यवसायिक भूखण्ड के निर्माण पर ठेका नहीं दे रहा है। जब ठेका दिया जाता है तो ठेकेदार से उसका हैसियत प्रमाण पत्र इत्यादि की डिमाण्ड की जाती है, इस आशय से कि सम्बन्धित निर्माण का वह अपने स्तर से कराता रहे भले ही विभाग से पेमेंट में देरी हो, जिससे प्रोजेक्ट बाधित न हो, और यदि क्वालिटी में कोई कमी पायी जाये तो उसके भुगतान में कटौती की जा सके।

प्रश्नगत नीलामी में प्राधिकरण को सम्पत्ति के विक्रय से धनराशि प्राप्त होती है और यदि आवंटी नियत समय में धनराशि जमा नहीं करता है तो प्राधिकरण उसे निरस्त कर अगली बोली में पुनः नई दरो से नीलामी कर सकता है। ऐसा किये जाने में कोई वित्तीय हानि नहीं होती है।

यह भी उल्लेखनीय है कि हैसियत प्रमाण पत्र/03 वर्ष का आयकर रिटर्न लेने का कोई भी प्राविधान प्रदेश के बडे विकास प्राधिकरणों में यथा कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा, आवास विकास परिषद में लागू नहीं है। प्राधिकरण हित में ई-आक्शन/मैनुअल आक्शन में **''प्रतिस्पर्धा बढ़ाये''** जाने हेतु इस शर्त को विलोपित किया जाना उचित है। क्योंकि अक्सर नीलामी में ऐसी कम्पनियां भाग लेती है जो 03 वर्ष से कम पुरानी है, परन्तु वो उच्च बोली लगाती है। यदि उनको इस शर्त के आधार पर नीलामी से रोका जाता है तो प्राधिकरण उच्च बोली से वांचित हो जाता है, अतः प्राधिकरण के वित्तीय हित में है। इस शर्त के विलोपित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

<u>प्रस्ताव-2, डिफाल्टर्स की नीलामी में भाग लेने से रोकने के सम्बन्ध में</u>

मूल शर्तो में नई शर्त जोड़ने के क्रम में अवगत कराना है कि- प्राधिकरण की व्यवसायिक सम्पत्तियों के आंवटन हेतु कतिपय आवेदक ऐसे होते है जिनके पक्ष में पूर्व से कई सम्पत्तियां आवंटित है परन्तु उनमें समय से किश्ते नहीं जमा हो रही है फिर भी वे नई नीलामी में प्रतिभाग कर नई सम्पत्ति आवंटित करा लेते है। इससे प्राधिकरण की बड़ी धनराशि उन पूर्व आवंटित भूखण्डों के सापेक्ष फंसी रहती है। अतः प्राधिकरण के वित्तीय हित व नीलामी में अधिक से अधिक लोगों को प्रतिभाग करने हेतु प्रोत्साहित करने तथा डिफाल्टर्स को नीलामी में प्रतिभाग करने से रोकने हेतु निम्नवत् प्राविधान शर्तों में जोड़ना उचित होगा-

''ई-आक्शन में आवेदन करने वाले के पक्ष में यदि पूर्व से ल0वि0प्रा0 से कोई व्यवसायिक सम्पत्ति आवंटित है तो उसके सापेक्ष यदि 03 किश्तों से अधिक किश्ते बकाया है अर्थात् डिफाल्टर्स है, तो वे नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदन करने के लिए पात्र न होगें। यदि वे ई-नीलामी में भाग लेने हेतु आवेदन करने की तिथि तक बकाया धनराशि जमा कर देते है तो आवेदन करने व ई-नीलामी में भाग लेने हेतु पात्र माने जायेगें।''

<u>प्रस्ताव-3, फ्री-होल्ड चार्ज लेने के सम्बन्ध में</u>

मूल शर्तो के क्रमांक 22 व 23, फ्री-होल्ड शुल्क लेने के सम्बन्ध में प्राविधान इस प्रकार है-

रू0-50 लाख से ऊपर की सम्पत्तियों क अनुबन्ध से पूर्व निर्धारित 12 प्रतिशत फ्री-होल्ड शुल्क व अन्य देय तथा स्टाम्प शुल्क व रजिस्ट्रेशन शुल्क स्वयं वहन करना

होगा। अनुबन्ध कराने के समय तक की देय समस्त किश्तें जमा होने के उपरान्त ही अनुबन्ध की कार्यवाही निष्पादित की जायेगी।

आवंटी को उक्त सम्पत्तियों के निबन्धन के पूर्व फ्री–होल्ड शुल्क व अन्य देय तथा स्टाम्प शुल्क व रजिस्ट्रेशन शुल्क स्वयं वहन करना होगा।

संशोधित कर निम्नलिखित अनुसार प्राविधान शर्तो में जोड़ने का प्रस्ताव है–

फ्री–होल्ड सम्बन्धित शासनादेश संख्या–3585/9–आ–1–95–80 मिस/86, दिनांक 21 सितम्बर, 1995 तथा शासनादेश संख्या–1639/9–आ–1–95–80 मिस/86, दिनांक 10 मई, 1995 में निहित प्राविधान के अनुसार सम्पत्तियों के अनुबन्ध/निबन्धन से पूर्व नीलामी में बोली गयी बोली से निर्धारित सम्पत्ति के मूल्य पर 12 प्रतिशत फ्री–होल्ड शुल्क व अन्य देय यथा स्टाम्प शुल्क व रजिस्ट्रेशन शुल्क आवंटी को स्वंय वाहन करना होगा। अनुबन्ध/निबन्धन कराने के समय समस्त देय धनराशि जमा होने के उपरान्त ही अनुबन्ध/निबन्धन की कार्यवाही निष्पादित की जायेगी।

तद्नुसार प्रस्ताव मा0 प्राधिकरण बोर्ड के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत ।

VC cou pls
14/07/2020
(आलोक नाथ)
यो0सहा0

14/7/2020
(जितेन्द्र कुमार सिंह)
अनुभाग अधिकारी

शेष मूल शर्तें पूर्ववत रहेंगी।
14/7
(डी0 एम0 कटियार)
संयुक्त सचिव
JS

163

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 06 सितम्बर, 2008 का कार्यवृत्त

उपस्थिति :

1.	श्री चन्द्रभानु जिलाधिकारी, लखनऊ	प्रभारी आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं प्रभारी अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
2.	श्री मुकेश कुमार मेश्राम	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
3.	श्री अष्टभुजा प्रसाद तिवारी संयुक्त सचिव आवास	प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
4.	श्री संजीव कश्यप (प्रतिनिधि—आवास आयुक्त)	प्रभारी वास्तुकला अनुभाग, आवास एवं विकास परिषद, उ0प्र0 शासन।
5.	श्री ओम नारायण	निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश।
6.	श्री आर0एन0 पाल (प्रतिनिधि–नगर आयुक्त)	अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
7.	इं0 राजेन्द्र सिंह	मुख्य अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
8.	श्रीमती प्रभावती सिंह	संयुक्त निदेशक, उद्योग, उ0प्र0 लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
9.	श्री एन0आर0 वर्मा	मुख्य ग्राम एवं नगर नियोजक, उत्तर प्रदेश।
10.	श्री डी0के0 वर्मा (प्रतिनिधि–महानिदेशक, पर्यटन)	संयुक्त निदेशक, पर्यटन, लखनऊ।
11.	श्री गोविन्द पाण्डेय	मा0 पार्षद एवं सदस्य, ल0वि0प्रा0।
12.	श्री राम कृष्ण यादव	मा0 पार्षद एवं सदस्य, ल0वि0प्रा0।

अन्य उपस्थिति :

13.	श्री मणि प्रसाद मिश्र	सचिव, ल0वि0प्रा0, लखनऊ।
14.	श्री बी0राम शास्त्री	अपर सचिव, ल0वि0प्रा0, लखनऊ।
15.	श्री अवधेश कुमार	वित्त नियंत्रक, ल0वि0प्रा0।
16.	श्री आर0के0 सिंह	मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।
17.	श्री एस0बी0 मिश्रा	संयुक्त निदेशक (भूमि एवं वि0), ल0वि0प्रा0।
18.	श्री रवि जैन	नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।

निर्णय : विचारोपरान्त प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

विषय संख्या : 9 श्री गम्भीर सिंह खनका भारत–पाक युद्ध 1971 के विकलांग सैनिक की भूमि ग्राम मकदूमपुर स्थित खसरा संख्या–219 रकबा 0–1–12–2बीघा भूमि के बदले गोमती नगर विस्तार योजना में वैकल्पिक भूखण्ड आवंटित करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्राधिकरण में इस संबंध में स्पष्ट नीति न होने के कारण प्रस्ताव स्थगित किया गया तथा निर्णय लिया गया कि इस सम्बन्ध में एक सुस्पष्ट नीति तैयार करा ली जाए, तदुपरान्त निर्णयार्थ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

विषय संख्या : 10 लखनऊ विकास प्राधिकरण के संस्थागत भूखण्डों के विक्रय मूल्य के निर्धारण के सम्बन्ध में।

निर्णय : इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में लागू दरों में भी विसंगतियां होने के कारण दिल्ली विकास प्राधिकरण, नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में प्रचलित प्रक्रिया का अध्ययन कराकर आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाये।

विषय संख्या : 11 लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु आरक्षित व्यावसायिक/सामुदायिक सुविधाओं/ग्रुप हाउसिंग भूखण्डों की नीलामी की शर्तों में संशोधन किया जाना।

निर्णय : प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि नीलामी के पूर्व बोलीदाता से अन्य औपचारिकताओं का पालन कराने के साथ–साथ–

1. सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र जो विगत छः माह के अन्दर निर्गत हो, संलग्न कराया जाये।

63

(159)

2. बोलीदाता से विगत 3 वर्षों का आय कर रिटर्न विवरण टेण्डर फार्म के साथ संलग्न कराना अनिवार्य किया जाये।

विषय संख्या : 12 श्रीमती कल्याणी शर्मा, पत्नी, शहीद ले0 कर्नल एम0सी0 शर्मा को पेट्रोल पम्प हेतु आवंटित भूखण्ड को शासनादेश के अनुपालन में रियायती दरों पर दिये जाने के बाद ही धनराशि माफ किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : निर्णय लिया गया कि शासन द्वारा लीज, फ्री–होल्ड एवं ब्याज मुक्त करने हेतु निर्गत शासनादेश के अनुसार कार्यवाही की जाये। स्टाम्प आदि की धनराशि से मुक्ति के सम्बन्ध में प्रस्ताव शासन को संदर्भित किया जाये।

विषय संख्या : 13 लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित गोमती नगर योजना के अन्तर्गत वैभव खण्ड (नेहरू इन्क्लेव) के भूखण्डों की योजना समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

निर्णय : विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित कार्यवाही के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली देनदारियों का विस्तृत आंकलन करा लिया जाये, तत्पश्चात् परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाये।

विषय संख्या : 14 अमर शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना में स्थित निर्माणों के एवज में प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वास नीति के अन्तर्गत वैकल्पिक भूखण्ड देने तथा उनके निर्माणों का मूल्यांकन तैयार कराकर निर्माण का प्रतिकर भुगतान करने के सम्बन्ध में।

निर्णय : प्रस्ताव पर विचारोपरान्त कट–आफ–डेट 12.10.00 से पूर्व के 159 प्रकरणों के सापेक्ष 39 व्यक्तियों एवं इसके पश्चात प्राप्त आवेदनों के सापेक्ष कुल

154

अन्तर्गत अन्तिम अधिसूचना जारी करने के सम्बन्ध में अग्रतर कार्यवाही हेतु शासन को संस्तुति प्रेषित की जाये।

अनु0वि0सं0 : 1 इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अन्तर्गत पंजीकृत एवं लाइसेन्स हेतु प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों पर शासनादेश संख्या 5873/आठ–1–05/34विविध/03टीसी–1लखनऊ दिनांक 12.01.06 द्वारा उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति पर विचार।

निर्णय : इन्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति के तहत दो विकासकर्ताओं मे0 ईमार–एम0जी0एफ0 लैण्ड प्रा0 लि0 व मे0 एल्डिको प्रा0लि0 के लाइसेंस हेतु एवं अन्य दो विकासकर्ताओ मेसर्स ओमेक्स प्रा0लि0 एवं मे0 शिप्रा इस्टेट लि0 के पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव अनुमोदित किया गया। इन्टीग्रेटेड टानशिप नीति में किये गये संशोधन से सम्बन्धित आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या–1859/आठ–1–07–33विविध/2008 दिनांक 27.08.08 के कम में अग्रिम निर्णय हेतु प्रकरण शासन को संदर्भित किया जाए।

(मणि प्रसाद मिश्र)
सचिव

(मुकेश कुमार मेश्राम)
उपाध्यक्ष

अनुमोदित

(चन्द्र भानु)
प्रभारी–आयुक्त, लखनऊ मण्डल एवं
प्रभारी अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

65

संख्या 1639/9-आ-1-95-80 विवि/80

प्रेषक,

श्री प्रभास कुमार झा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) आवास आयुक्त,
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

(2) उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

(3) अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक 10 मई, 1995

विषय: उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद् तथा विकास प्राधिकरणों की योजनाओं में लीज पर आवंटित भूखण्डों/भवनों का फ्री-होल्ड में परिवर्तन।

महोदय,

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा प्रदेश के विभिन्न विकास प्राधिकरणों द्वारा संचालित योजनाओं में सम्पत्ति भूखण्डों/भवनों से सम्बद्ध भूमि को लीज पर आवंटित करने की कार्यवाही की जाती है। विकास प्राधिकरणों के गठन से पूर्व सुधार न्यास (इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट) द्वारा भी आवास निर्मित करके उन्हें लीज (पट्टे) पर उठाया जाता रहा है। प्राधिकरणों का गठन होने पर सुधार न्यास समस्त परिसम्पत्तियों सहित विकास प्राधिकरणों में समाहित कर दिये गये। विकास प्राधिकरण, सुधार न्यास अथवा उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा जो भूमि/सम्पत्ति लीज पर आवंटित किये गये हैं उनमें लीज की अन्य शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ 30-90 वर्ष की लम्बी अवधि सहित सामान्यतया 10 वर्ष में रिवीजन किये जाने का प्राविधान रहा है। लीज पर भूमि आवंटन की अवस्था में आवंटी को लीज रेन्ट अदा करने, लीज नवीनीकरण कराने, सम्पत्ति के विक्रय या हस्तान्तरण पर सम्बन्धित प्राधिकरण से पूर्वानुमति प्राप्त करने आदि की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

2. इस सम्बन्ध में पूर्ण रूप से विचार करने के पश्चात् शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि भूमि/भवन को फ्री-होल्ड किये जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित व्यवस्था/कार्यवाही की जायेगी :-

(1) विकास प्राधिकरणों/उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा नये आवंटियों को भूखण्ड अनिवार्य रूप से फ्री-होल्ड के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा और भूमि के मूल्य की 12 प्रतिशत धनराशि फ्री-होल्ड शुल्क के रूप में ली जायेगी। यह धनराशि भूमि के मूल्यांकन में सम्मिलित रहेगी।

66

(2) जिन आवंटियों को पूर्व में लीज पर [illegible] आवंटित किये जा चुके हैं उनसे भूमि के रजिस्ट्रेशन शुल्क का 0.2 प्रतिशत शुल्क लेकर भूमि फ्री-होल्ड करने की अनुमति [illegible] प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जायेगी, जिन्होंने सम्पूर्ण मूल्य एक मुश्त जमा कर दिया है और फ्री-होल्ड कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करेंगे। [illegible] जमा करने के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 21-10-86 के प्रस्तर-[illegible] की व्यवस्था के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(3) [illegible] में लागू भू-उपयोग के विपरीत कार्य करने वालों को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

उपरोक्त शासनादेश तात्कालिक प्रभाव से लागू किया जाता है, कृपया उक्त पर [illegible] करते हुए अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

[illegible] कुमार [illegible]
विशेष सचिव

संख्या-1639(1)/9-आ-1-96 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

समस्त प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

समस्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

शासन के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

[illegible] कुमार [illegible]
अनु सचिव

संख्या-3585/9-आ-1-95-00 विवि/

प्रेषक,

श्री राकेश कुमार गोयल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

(2) उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

(3) अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक: 21 सितम्बर, 1995

विषय:-उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरण की योजनाओं में लीज पर आवंटित भूखण्डों/भवनों का फ्री-होल्ड में परिवर्तन विषयक।

======

महोदय,

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा प्रदेश में स्थित विकास प्राधिकरणों द्वारा संचालित योजनाओं में लीज पर आवंटित भूखण्डों/भवनों को फ्री-होल्ड में परिवर्तित किए जाने हेतु शासनादेश सं0-1639/9-आ-1-95-80 विवि/86 दिनांक 10 मई, 1995 को जारी किया जा चुका है। उक्त शासनादेश के अनुसार जिन आवंटियों को पूर्व में लीज पर भूखण्ड आवंटित किये जा चुके है उनसे 2 प्रतिशत तथा नई आवंटियों से 12 प्रतिशत शुल्क लेकर फ्री-होल्ड किए जाने की व्यवस्था है।

2. उपरोक्त विषय में शासन के संज्ञान में लाया गया है कि पूर्व आवंटि को भी लीज पर भूमि के आवंटन की सुविधा नहीं दी जा रही है अत: उपरोक्त शासनादेश दिनांक 10.5.95 के क्रम में मुझे यह स्पष्ट किए जाने का निदेश हुआ है कि नए आवंटित किये गये भूखण्ड को सीधे फ्री-होल्ड किया जायेगा परन्तु दिनांक 10.5.95 के पूर्व के आवंटियों को लीज की सुविधा दी जायेगी। यदि दिनांक 10.5.95 के पूर्व के आवंटी सीधे फ्री-होल्ड कराने के इच्छुक हैं तो भूमि को फ्री होल्ड करते हुए विलेख निष्पादित किया जा सकता है।

3. दिनांक 10 मई, 1995 के पूर्व यदि किसी मामले में आवंटन हुआ है

आवंटी द्वारा धनराशि प्राधिकरण/ परिषद कोष में दिनांक 10.5.95 के पूर्व जमा कर दी गई है तो उन्हें नया आवंटी नहीं माना जायेगा, तथा यदि किसी मामले में आवंटी को दिनांक 10 मई, 1995 के पूर्व भूखण्ड का आवंटन है और उनके द्वारा धनराशि जमा कर दी गई है परन्तु प्राधिकरण/ परिषद आवंटित भूमि का कब्जा देने में असफल रहा है और पूर्व आवंटित भूमि के एवज में यदि 10.5.95 के बाद भूमि आवंटित की जाती है तो उसे नया आवंटी नहीं माना जायेगा।

4. अतः कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राकेश कुमार गोयल)
संयुक्त सचिव।

संख्या-3585 (1)/9-आ-1-95-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

(1) समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन।
(2) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(4) आवास के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार गोयल)
संयुक्त सचिव।

विषय संख्या–09 पृ०सं०-69

जनपद लखनऊ के ट्रान्सपोर्ट नगर योजना स्थित पार्किंग की भूमि पर मल्टीलेविल पार्किंग एवं ट्रान्सपोर्ट नगर मेट्रो रेलवे स्टेशन से मल्टीलेविल पार्किंग जोड़ने हेतु फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य के सम्बंध में।

प्रस्तावः

प्राधिकरण बोर्ड की 167वीं बैठक दिनांक 29.02.2020 के अनुपालन में मल्टीलेविल पार्किंग के निर्माण हेतु नया प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैः–

SITE AREA DETAILS MLCP TRANSPORT NAGAR, LUCKNOW

S.N.	AREA	Norms/ Regulations	AREA (Sq.Mt.)
1.	SITE AREA		21141.13
2.	PERMISSBLE GROUND	66.6%	14079.99
3.	ACHIEVED GROUND COVERAGE	42.20%	8921.56
4.	PERMISSIBALE F.A.R.	3	63423.39
5.	ACHIEVABLE F.A.R. (A+B+C)	2.95	62398
6.	ACHIEVED PARKING(E.C.S.)		1285

प्रस्ताव में वर्तमान की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए पार्किंग, व्यवसायिक तथा होटल की सुविधाओं को सम्मिलित किया गया है, जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

		PARKING DETAILS-A				COMMERCIAL AREA-B		HOTEL AREA-C	
S.No.	NO OF FLOORS	AREA (Sq.Mt.)	2W	4W	Truck Big+Small	AREA (Sq.Mt.)	No. of shops Anchor+Small	AREA (Sq.Mt.)	No of Rooms
1	SECOND BASEMENT AREA	12064	70	323	0	0	0	0	0
2	FIRST BASEMENT AREA	12064	70	314	0	0	0	0	0
3	GROUND FLOOR AREA	4000	0	100	20+3	3242	1+8	1600	0
		4000	0	100	0				
4	FIRST FLOOR AREA	4000	0	100	0	2542	1+8	1600	0
		4000	0	100	0				
5	SECOND FLOOR AREA	4000	0	100	0	2542	0	1044	0
		4000	0	100	0				
6	THIRD FLOOR AREA	4000	0	100	0	2542	0	895	20
		4000	0	100					
7	FOURTH FLOOR AREA	0	0	0	0	2542	0	895	20
8	FIFTH FLOOR AREA	0	0	0	0	2542	0	895	20
9	SIXTH FLOOR AREA	0	0	0	0	2542	0	895	20
10	SEVENTH FLOOR AREA	0	0	0	0	0	0	895	20
11	EIGHTH FLOOR AREA	0	0	0	0	0	0	895	20
12	NINETH FLOOR AREA	0	0	0	0	0	0	895	20
13	TENTH FLOOR AREA	0	0	0	0	0	0	895	20
14	ELEVENTH	0	0	0	0	0	0	500	0
	TOTAL	**56128**	**140**	**1437**	**23**	**18494**	**2+16**	**11904**	**160**

क्रमशः 2

(आलोक कुमार सिंह)
सहायक अभियंता
जोन-02

(आनन्द कुमार ...)
अधिशासी अभियंता

(इन्दु शेखर सिंह)
मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ

G:T.P. Nagar.doc

Construction Cost:-

A- Parking = 12400.00 Lakh

B- Commercial = 4370.62 Lakh

C- Hotel = 2851.35 Lakh

D- Development = 228.40 Lakh

Total Construction Cost = **19850.37 Lakh**

Land Cost:-

Total Area = 21141.13 per Sqmt

Commercial Rate of Transport Nagar@ 30000/- per Sqmt

Total Land Cost = Rs. 6342.34 Lakh

Proportationate Land Sharing Cost on the Basis of Built-up Area

- Commercial = 21141.13 x 29.63% = 6264.12Sqmt@30000.00= Rs. 1879.23 Lakh
- Hotel = 21141.13 x 19.07% =4031.61Sqmt@30000.00= Rs. 1209.48 Lakh

Expenditure of Total Cost

Facility	Constrution Cost	Land Cost	Total
Parking	12400.00	3252.35	15652.35
Commercial	4370.62	1879.23	6249.85
Hotel	2851.35	1209.48	4060.83

Income:

प्रश्नगत गत भूमि ट्रान्सपोर्ट नगर योजना स्थित पार्किंग हेतु नियोजित है, जिस पर संशोधित प्रस्ताव में मल्टीलेविल पार्किंग की सुविधा के साथ–साथ वर्तमान की आवश्यकता एवं परियोजना की वायबिल्टी को देखते हुए कामर्शियल एवं होटल का भी प्राविधान किया गया है।

ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में यह भूमि पार्किंग में निहित होने के कारण इसको विक्रय कर इनकम के रूप में नही लिया गया है, मल्टीलेविल पार्किंग के निर्माण होने के उपरान्त पार्किंग के भाग को लीज पर दिया जायेगा।

Tentative Saleable Rate with Reference from Market Rate & Basic Construction

Facility	Rate in (Sqft.)	Rate
Commercial	6000.00	64560.00
Hotel (upon Saleable F.A.R.)	4000.00	43040.00

क्रमशः 3

Commercial	= 18494.00 Sqmt@64560.00	= Rs. 11939.72 Lakh
C-Hotel	= 11904.00 Sqmt@43040.00	= Rs. 5123.48 Lakh
Total Income From Sale		**= Rs 17063.20 Lakh**

Receipt Calculation

Income from Sale (Hotel+Commercial)	(a)	17063.20
Total Expenditure on Cosntruction and Development	(b)	19850.37
Total Land Cost (Commercial + Hotel)	(c)	3088.71

उपरोक्त प्रस्ताव में मल्टीलेविल पार्किंग में विकसित कामर्शियल एवं होटल के Saleable मानते हुए प्राधिकरण को रू0 17063.20 लाख आय सम्भावित है। परियोजना की कुल लागत रू0 19850.37 लाख है व भूमि की लागत रू0 3088.71 लाख है।

प्रस्ताव में मल्टीलेविल पार्किंग के निर्माण में व्यय होने वाली लागत रू0 12400.00 लाख है जो CPWD PAR के आधार पर आंकलित की गयी है। मल्टीलेविल पार्किंग के निर्माण पर व्यय होने वाली धनराशि का वित्त पोषण शासनादेश संख्या–834/आठ–1–19–58बजट/2018 दिनांक 06 जून, 2019 के क्रम में विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–11/आठ–1–20 दिनांक 17 जनवरी, 2020 के क्रम में शासन द्वारा संचालित समग्र विकास निधि से स्वीकृति होने के उपरान्त कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

उपरोक्त के अतिरिक्त प्राधिकरण को पूर्ण करने हेतु प्राधिकरण को QCBS (Quality Cost Based Selection) के आधार पर कन्सल्टेन्ट नियुक्त करने की अनुमति के साथ–साथ भू–उपयोग वर्तमान में पार्किंग से फैसलिटीज भूखण्ड में भू–उपयोग परिवर्तन हेतु बोर्ड बैठक के माध्यम से स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(आलोक कुमार सिंह)
सहायक अभियंता
जोन-02

(आनन्द कुमार मिश्र)
अधिशासी अभियंता
जोन-02

(इन्दु शेखर सिंह)
मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ

GENERAL ABSTRACT OF COST

NAME OF WORK:- MLCP AT TRANSPORT NAGAR

PRELIMINERY ESTIMATE

FORM - J

S.No	DESCRIPTION	Amount (CPWD PAR - 2019 IN Rs)	REMARKS
A	BUILDING PART		
1	COST OF BUILDING	1,989,456,144.50	
2	DEVELOPMENT OF SITE	22,845,988.45	
3	LIFT	22,460,000.00	
	Total B	2,034,762,132.95	
4	Contingency Charges @ 3% on total B	61,042,863.99	
5	Labour Cess @ 1% on total B	20,347,621.33	
	TOTAL	2,116,152,618.27	
	SAY IN Crore =	211.62	

GENERAL ABSTRACT OF COST
NAME OF WORK:- MLCP AT TRANSPORT NAGAR
Based on PAR-1.10.2019 (Specification as per Annexure-II)

One number Ten Storey RCC framed structure

AREA DETAILS

			Area in sqm		Floor height	
	(I)	FIRST BASEMENT AREA	12064.00	sqm	2.40	mt.
	(II)	SECOND BASEMENT AREA	12064.00	sqm	2.40	mt.
	A	TOTAL AREA OF BASEMENT	**24128.00**	**sqm**		
	(III)	GROUND FLOOR AREA	8842.00	sqm	4.20	mt.
	(IV)	FIRST FLOOR AREA	8142.00	sqm	4.20	mt.
	(V)	SECOND FLOOR AREA	5044.00	sqm	4.20	mt.
	(VI)	THIRD FLOOR AREA	4895.00	sqm	3.00	mt.
	(VII)	FOURTH FLOOR AREA	4895.00	sqm	3.00	mt.
	(VIII)	FIFTH FLOOR AREA	4895.00	sqm	3.00	mt.
	(IX)	SIXTH FLOOR AREA	895.00	sqm	3.00	mt.
	(X)	SEVENTH FLOOR AREA	895.00	sqm	3.00	mt.
	B	**TOTAL AREA**	**38503.00**	**sqm**		
		TOTAL AREA (A+B)	**62631.00**	**sqm**		

S. No.	PAR	Item of work	Qty.	Unit	Rate (CPWD PAR -2019 IN Rs)	Amount (PAR - 2019 IN Rs)
1	1 PAR	**RCC FRAMED STRUCTURE:-**				
1.1	1.1 PAR	**RCC FRAMED STRUCTURE UPTO SIX STOREY:-**				
1.1.1	1.1.2(A) PAR	FLOOR HEIGHT UPTO 2.9 MTR (COMMERICAL/HOTEL)	38503.00	Sqm	19500.00	750808500.00
2	1.3 PAR	EXTRAS FOR:-				
2.1	1.3.1 PAR	EXTRA FOR EVERY ADDITIONAL STOREY OVER SIX STOREYS UPTO TWELVE STOREYS (FOR RCC FRAMED STRUCTURE ONLY)				
2.1.1		FOURTH FLOOR	4895.00	Sqm	580	2839100.00
2.1.2		FIFTH FLOOR	4895.00	Sqm	580	2839100.00
2.1.3		SIXTH FLOOR	895.00	Sqm	580	519100.00
2.1.4		SEVENTH FLOOR	895.00	Sqm	580	519100.00
3	1.3.2 PAR	EVERY 0.3 M. ADDITIONAL / LESSER HEIGHT OF FLOOR ABOVE NORMAL FLOOR HEIGHT OF 3.60 M.				
3.1		GROUND FLOOR @ 335X (1.30/0.30)	8842.00	Sqm	1452	12838584.00
3.1.1		FIRST FLOOR @335 X (1.30/0.30)	8142.00	Sqm	1452	11822184.00
3.1.2		SECOND FLOOR @335 X (1.30/0.30)	5044.00	Sqm	1452	7323888.00
4	1.3.3 PAR	EVERY 0.3 M. HIGHER PLINTH OVER NORMAL PLINTH HEIGHT OF 0.45 M. (ON G.F. AREA ONLY)	8842.00	Sqm	168	1485456.00
5	1.3.6 PAR	RESISTING EARTHQUAKE FORCES	62631.00	Sqm	1200	75157200.00

6	1.3.7 PAR	R.C.C. RAFT FOUNDATIONS (GROUND FLOOR ONLY)	12064.00	Sqm	5150	62129600
7		**BASEMENT FLOOR**				
7.1	1.4.1 PAR	FLOOR HT. UPTO 3.35 M. WITH KOTA STONES/HDPE MEMBRANCE I/C INTEGRAL CRYSTALLINE WATER PROOFING.	24128.00	Sqm	30000	723840000.00
7.2	1.4.2 PAR	DEDUCT FOR EVERY 0.30 M. HEIGHT AGAINST NORMAL HEIGHT OF 3.35 M.@ -900*(0.95/0.3)	24128.00	Sqm	-2850	-68764800.00
8	1.5 PAR	**FIRE FIGHTING:-**				
8.1	1.5.2 PAR	WITH WET RISER AND SPRINKLER SYSTEM	62631.00	sqm	1200	75157200.00
8.2	1.6 PAR	FIRE ALARM SYSTEM				
8.3	1.6.2 PAR	AUTOMATIC FIRE ALARM SYSTEM	62631.00	sqm	600	37578600.00
8.4	1.7 PAR	PRESSURIZED MECHANICAL VENTILATION SYSTEM IN THE BASEMENTS WITH SUPPLY DUCT OF EXHAUST BLOWERS (ON BASEMENT AREA ONLY)	24128.00	sqm	1050	25334400.00
9	2.0 PAR	**SERVICES**				
9.1	2.1 PAR	EXTRA FOR INTERNAL WATER SUPPLY & SANITARY INSTALLATIONS	750808500.00	Rs.	12%	90097020.00
10	2.2 PAR	**EXTERNAL SERVICE CONNECTIONS**				
10.1	2.2.1 PAR	ELECTRICAL EXTERNAL SERVICE CONNECTIONS	750808500.00	Rs.	3.75%	28155318.75
10.2	2.2.2 PAR	CIVIL EXTERNAL SERVICE CONNECTIONS	750808500.00	Rs.	1.25%	9385106.25
10.3	2.3 PAR	INTERNAL ELECTRIC INSTALLATIONS	750808500.00	Rs.	12.5%	93851062.50
11	2.6 PAR	**EXTRA FOR:-**				
		POWER WIRING AND PLUGS	750808500.00	Rs.	4%	30032340.00
11.1	2.6.1 PAR	CENTRAL CALL BELL SYSTEM	750808500.00		0.50%	3754042.50
11.2	2.6.2 PAR	LIGHTNING CONDUCTORS	750808500.00		0.25%	1877021.25
11.3	2.6.3 PAR	TELEPHONE CONDUITS	750808500.00		0.25%	1877021.25
11.4	2.6.4 PAR					
12	4.1 PAR	OVERHEAD TANK WITHOUT INDEPENDENT STAGING	120000	Litre	18	2160000.00
13	4.5PAR	UNDERGROUND SUMP	380000	Litre	18	6840000.00
					Total	1989456144.50

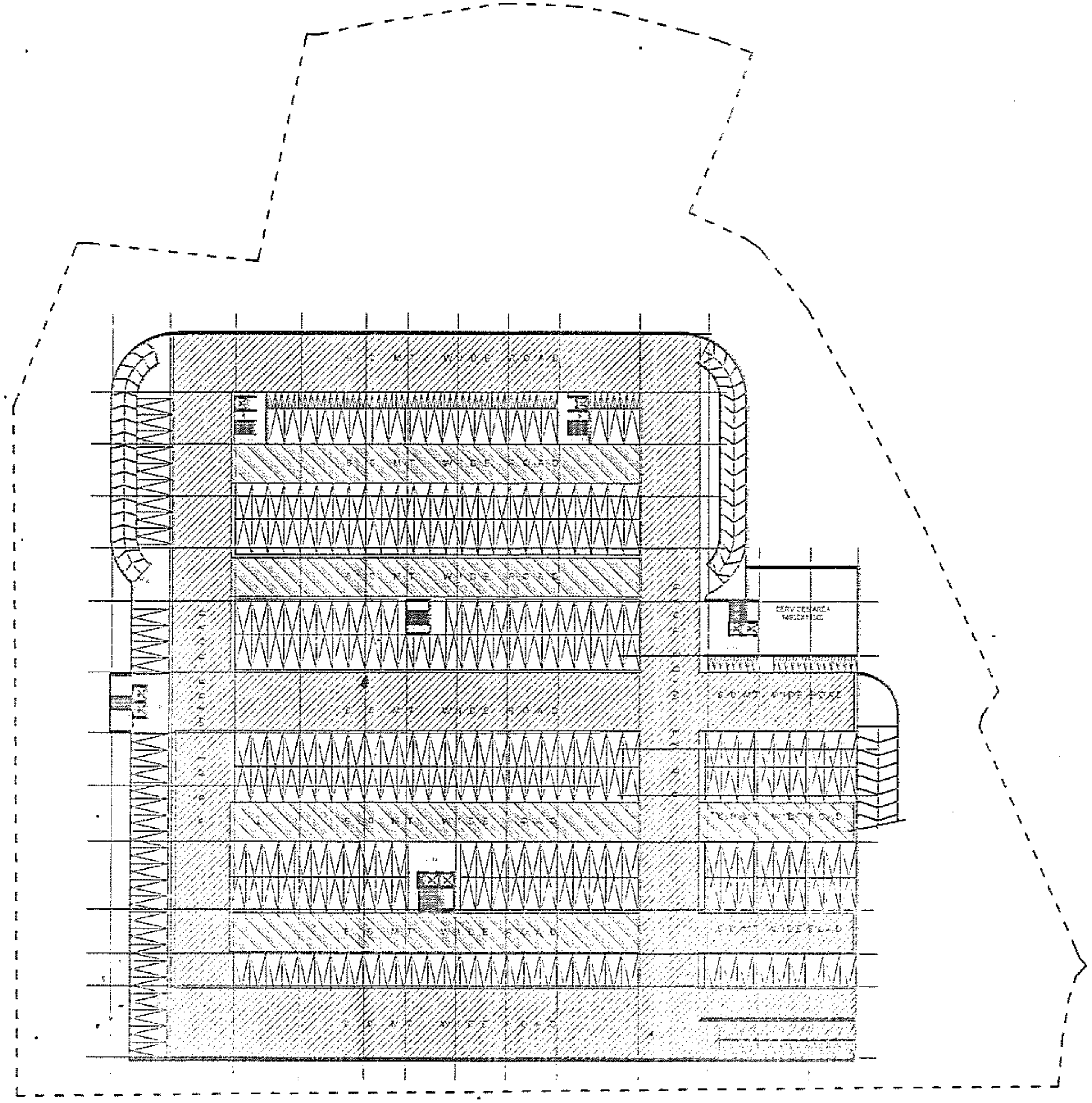

FIRST BASEMENT FLOOR PLAN

PROJECT	PROPOSED MULTI LEVEL CAR PARKING AT TRANSPORT NAGAR, LUCKNOW.	DATE: 02.07.2020	SCALE: N.T.S.	DRAWING TITLE: FIRST BASEMENT	ARINEM CONSULTANCY SERVICES PVT. LTD.

75

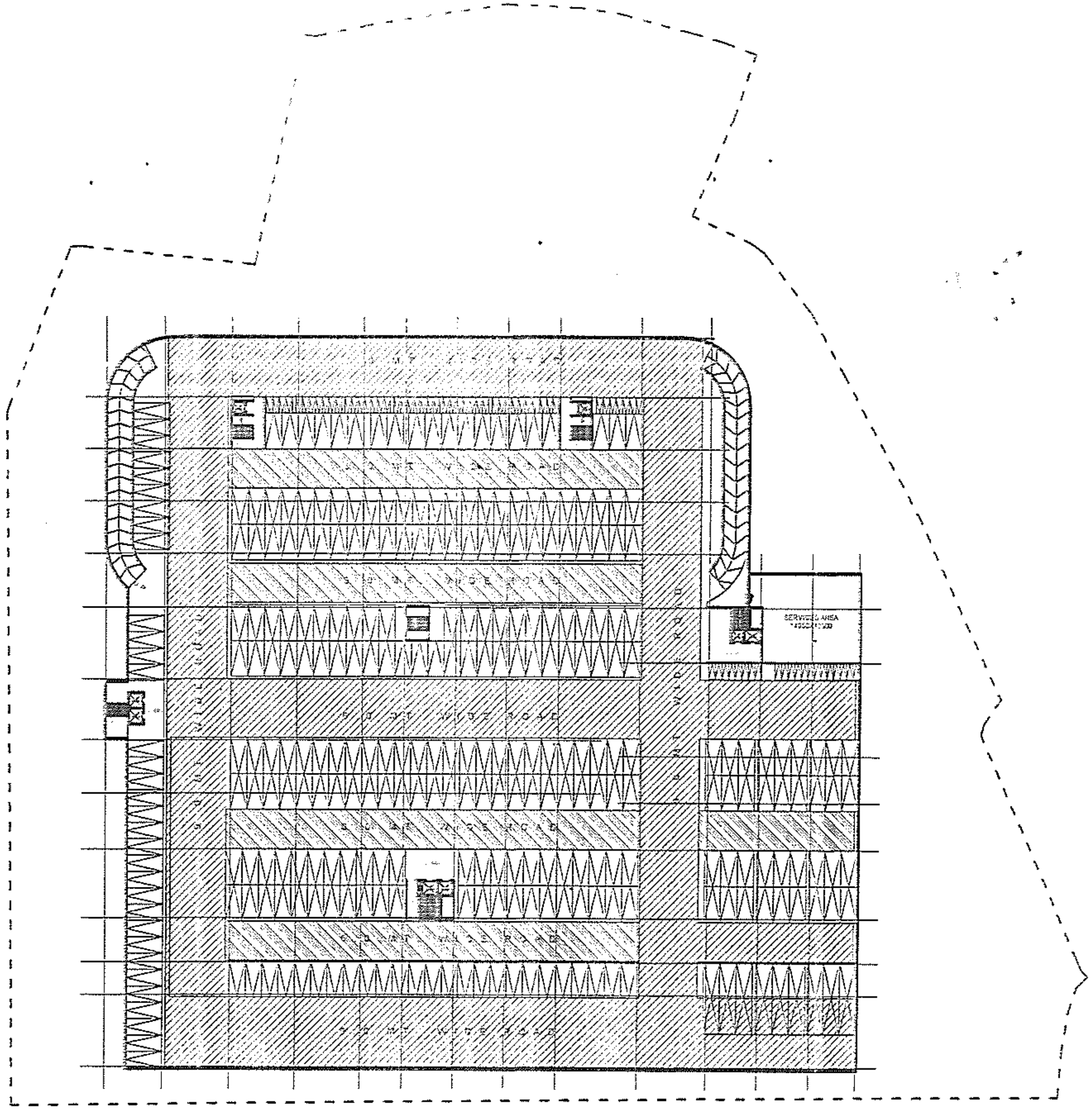

SECOND BASEMENT FLOOR PLAN

PROJECT:	DATE:-	SCALE:-	DRAWING TITLE:-	
PROPOSED MULTI LEVEL CAR PARKING AT TRANSPORT NAGAR, LUCKNOW.	02.07.2020	N.T.S.	SECOND BASEMENT	ARINEM CONSULTANCY SERVICES PVT. LTD.

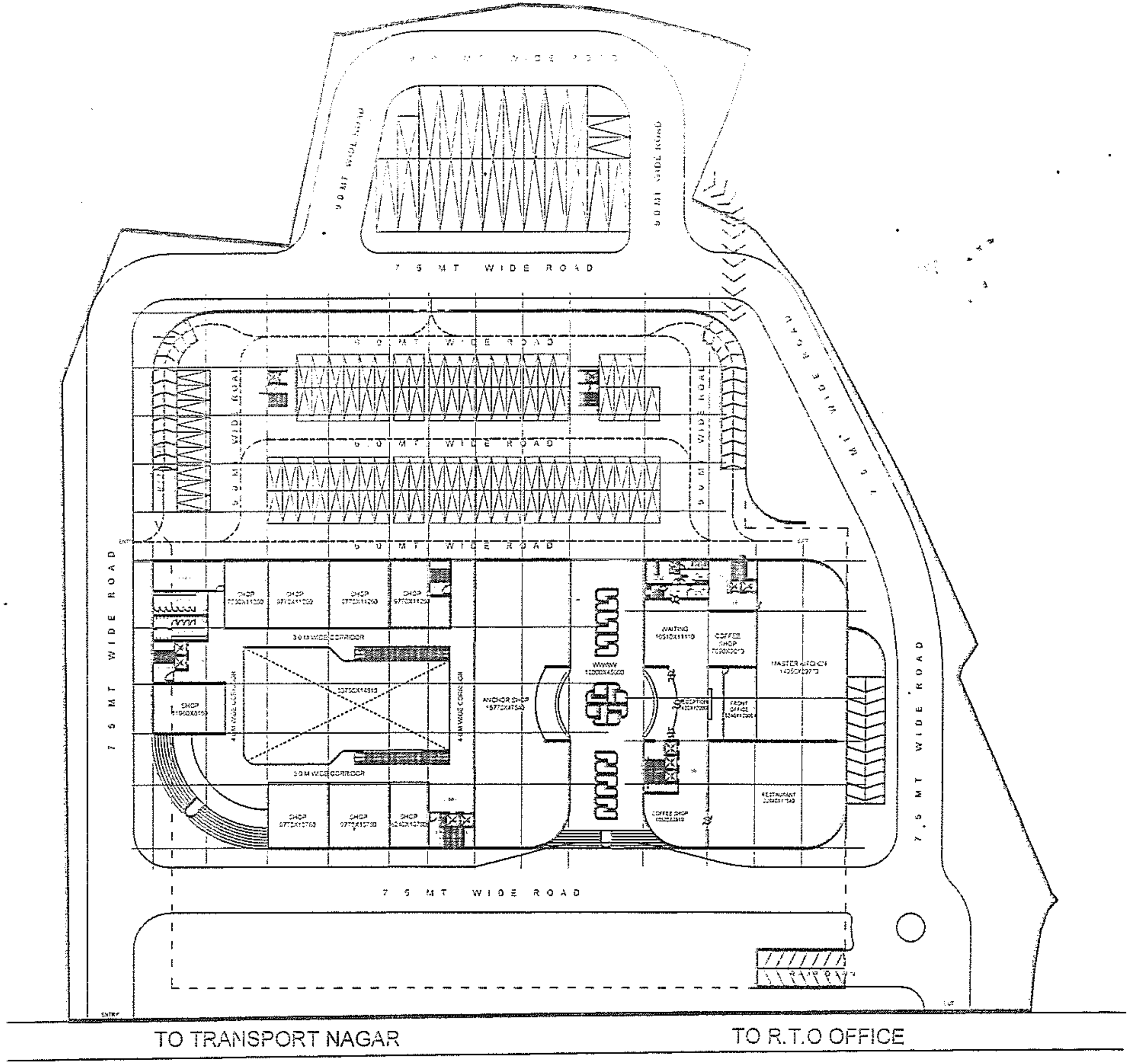

GROUND FLOOR PLAN

PROJECT:	PROPOSED MULTI LEVEL CAR PARKING AT TRANSPORT NAGAR, LUCKNOW.	DATE:- 02.07.2020	SCALE:- N.T.S.	DRAWING TITLE:- GROUND FLOOR	ARINEM CONSULTANCY SERVICES PVT. LTD.

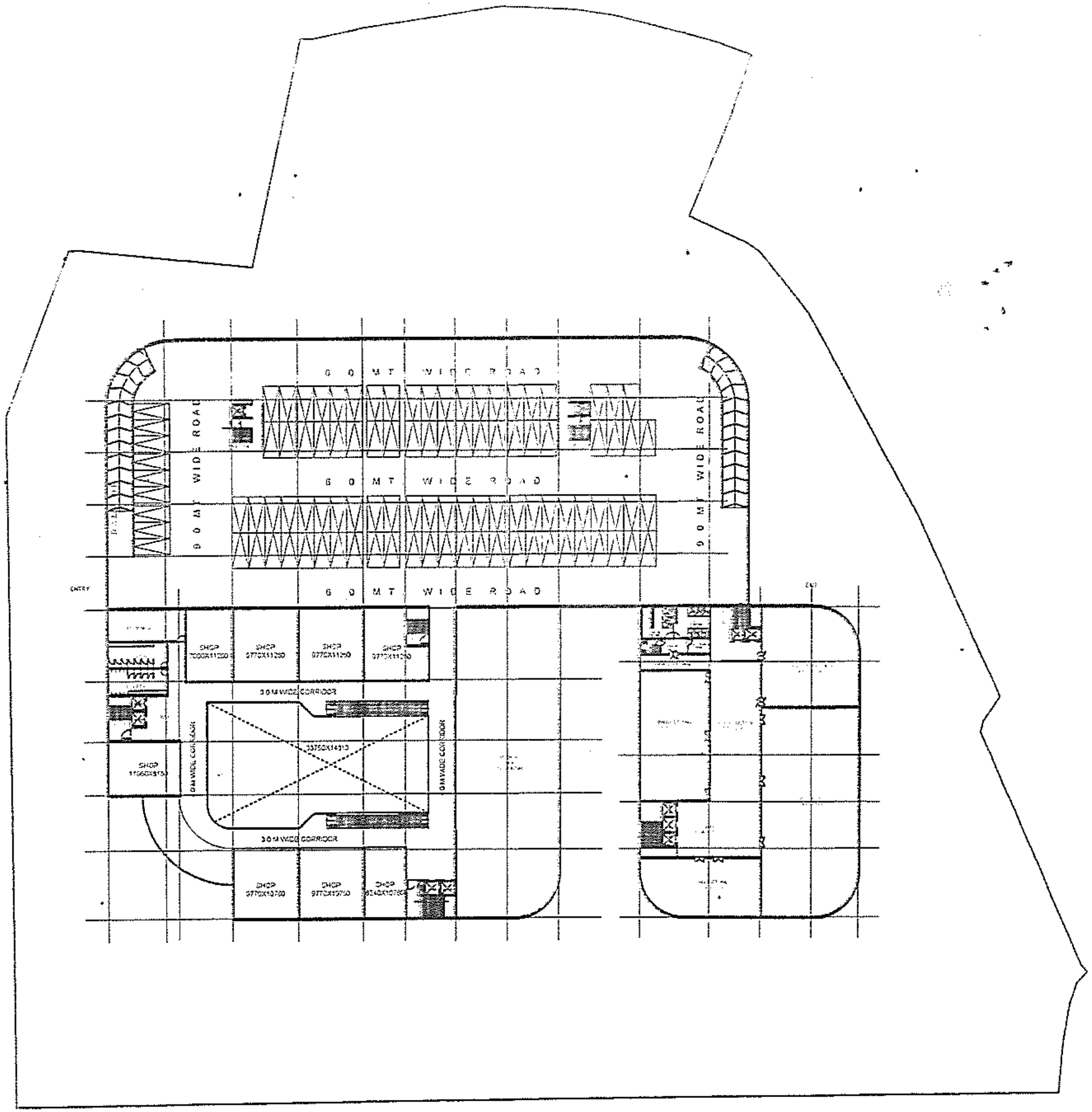

FIRST FLOOR PLAN

PROJECT:	PROPOSED MULTI LEVEL CAR PARKING AT TRANSPORT NAGAR, LUCKNOW.	DATE:- 02.07.2020	SCALE:- N.T.S.	DRAWING TITLE:- FIRST FLOOR	ARINEM CONSULTANCY SERVICES PVT. LTD.

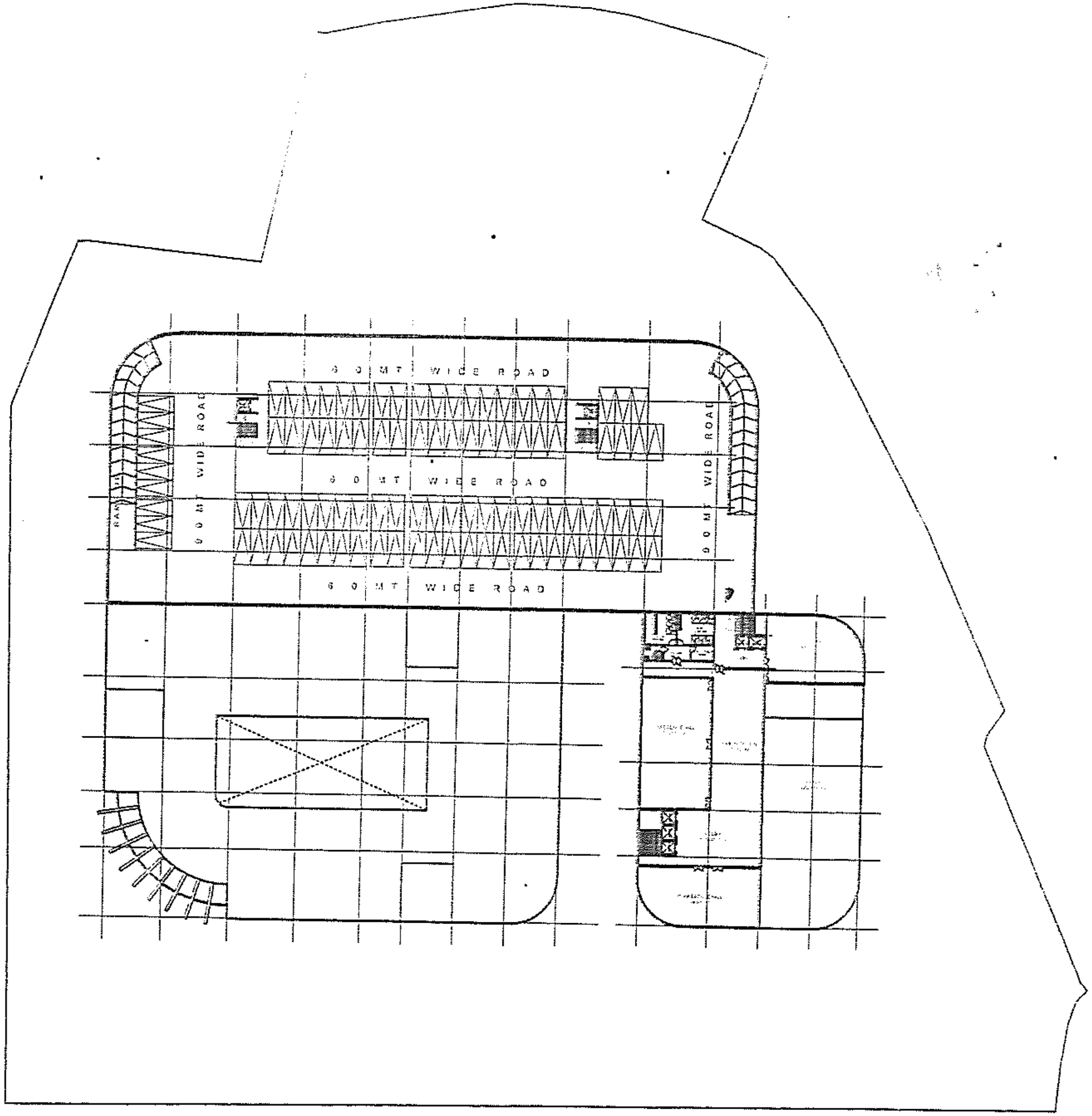

SECOND FLOOR PLAN

79

PROJECT:	PROPOSED MULTI LEVEL CAR PARKING AT TRANSPORT NAGAR, LUCKNOW.	DATE:- 02.07.2020	SCALE:- N.T.S.	DRAWING TITLE:- SECOND FLOOR	ARINEM

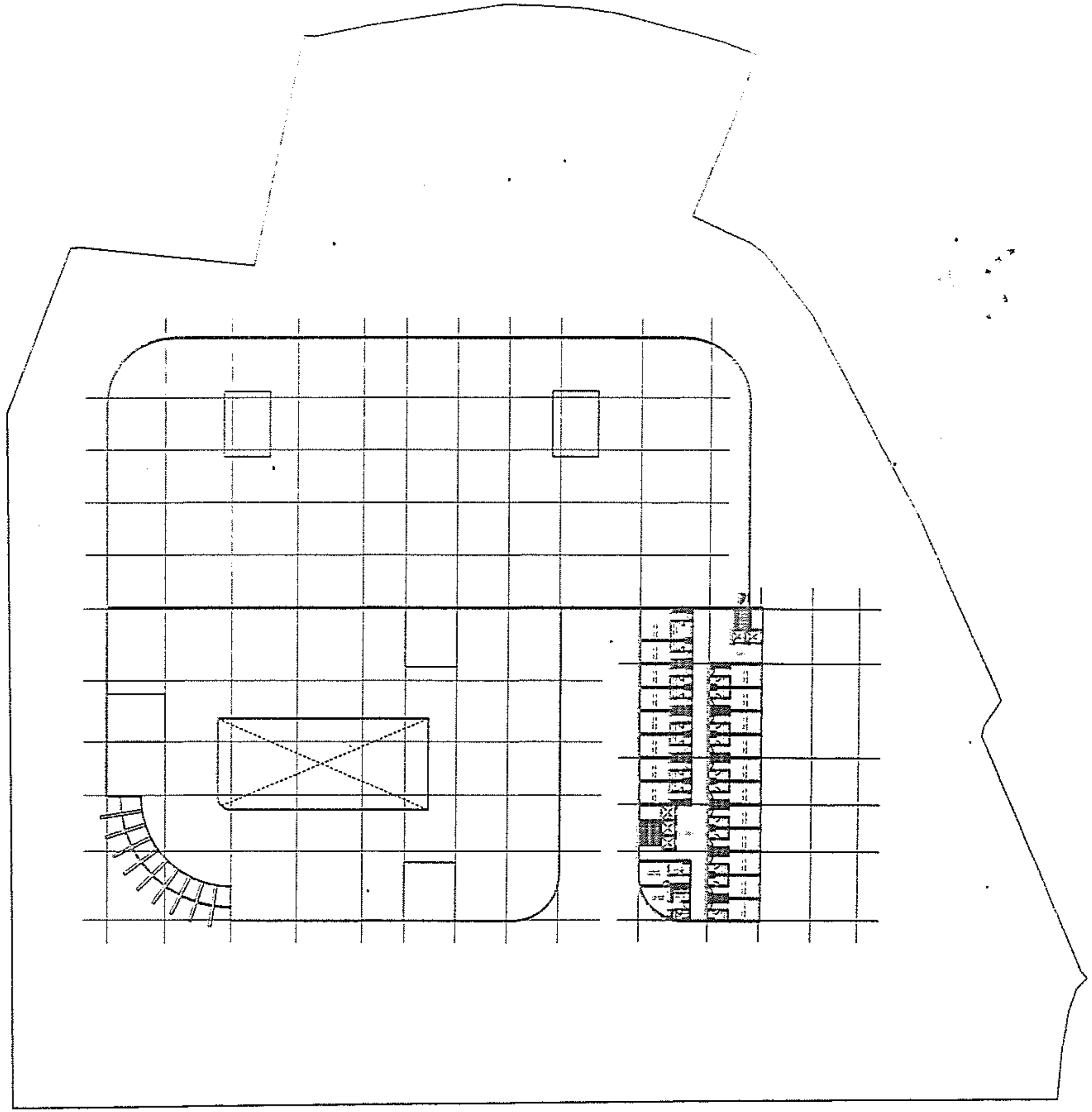

THIRD FLOOR PLAN

80

PROJECT	DATE:-	SCALE:-	DRAWING TITLE:-	
PROPOSED MULTI LEVEL CAR PARKING AT TRANSPORT NAGAR, LUCKNOW.	02.07.2020	N.T.S.	THIRD FLOOR	ARINEM CONSULTANCY SERVICES PVT. LTD.

विषय–भूखण्ड सं0–221स, निकट टी0वी0 टावर, ग्राम–बेगरिया, हरदोई रोड, लखनऊ पर पेट्रोल पम्प के सम्बन्ध में।

आख्या–

प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 29.02.2020 के अन्य विषय सं0–167/4 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिस पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया :–

"सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि डी0एस0ओ0 (जिला आपूर्ति अधिकारी) से प्रश्नगत भूखण्ड पर पेट्रोल पम्प के खोले जाने का आधार एवं उसके लाईसेन्स की वैधता इत्यादि की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रश्नगत प्रस्ताव पुनः आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये। "

उल्लेखनीय है कि श्री सुधीर बोरा एवं श्री ए0एल0 बोरा द्वारा खसरा सं0–221स, निकट टी0वी0 टावर, ग्राम–बेगरिया, हरदोई रोड, लखनऊ पर पेट्रोल पम्प के परिवर्तन/ परिवर्धन/निर्माण की अनुमति हेतु प्राधिकरण में दिनांक 15.03.2004 को शमन मानचित्र प्रस्तुत किया गया था, जोकि पक्ष के कथनानुसार वर्ष 1987 से पंकज सर्विस स्टेशन के नाम चल रहा है। तत्क्रम में संदर्भित स्थल लखनऊ महायोजना–2021 के जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार हरित पट्टिका में विशेष अनुमति से अनुमन्य होने के दृष्टिगत प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित प्रस्ताव शासन के निर्देश पर प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 04.09.2006 के विषय सं0–10 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिस पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया था:–

"प्रस्तुत प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की प्रबल संस्तुति शासन को सन्दर्भित की जाये।"

उपरोक्तानुसार बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में प्राधिकरण के पत्र सं0–38/परि0स0अ0(भवन–2), दिनांक 19.10.2006 द्वारा विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन को पत्र प्रेषित किया गया। तद्क्रम में आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या–5890/8–3–06–20 एल0यू0सी0/2005, दिनांक 7 दिसम्बर, 2006 के अनुपालन में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 29.03.2007 को स्वीकृत प्रदान कर दी गयी है। जिसके क्रम में आवेदक द्वारा प्राधिकरण के पत्रांक–आर–38/प्रभारी अधि. (भवन–2) दिनांक 05.04.2007 के माध्यम से विभिन्न मदो को निम्नवत् धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा की गयी:–

Singh

क्र.सं.	शुल्कों का विवरण	प्राधिकरण द्वारा जारी मांग के अनुसार शुल्क	पक्ष द्वारा जमा किये शुल्क
1.	निरीक्षण शुल्क	रू0 5200/–	रू0 5200/–
2.	सुदृढीकरण शुल्क	रू0 26,800/–	रू0 26,800/–
3.	शमन शुल्क	रू0 24,800/–	रू0 24,800/–
4.	वाह्य विकास शुल्क	रू0 22,08,350/–	–
5.	प्रभाव शुल्क	रू0 6,89,900/–	–

उक्त धनराशि में से आवेदनकर्ता द्वारा निरीक्षण शुल्क, सुदृढीकरण शुल्क, शमन शुल्क प्राधिकरण कोष मे जमा की गयी थी। वाह्य विकास शुल्क व प्रभाव शुल्क प्राधिकरण कोष में जमा न होने के कारण उक्त मानचित्र निर्गत नहीं हुआ। पक्ष द्वारा शुल्कों को जमा न करने के कारण मानचित्र निरस्त कर दिया गया।

पुनः वर्तमान में श्री सुधीर बोरा एवं श्री ए0एल0 बोरा द्वारा खसरा सं0–221स, निकट टी0वी0 टावर, ग्राम–बेगरिया, हरदोई रोड, लखनऊ पर पेट्रोल पम्प के परिवर्तन/परिवर्धन/निर्माण की अनुमति हेतु प्राधिकरण में दिनांक 04.02.2016 को शमन मानचित्र प्रस्तुत किया गया। आवेदक श्री सुधीर बोरा द्वारा दिनांक 27.04.2016 को प्राधिकरण में एक प्रत्यावेदन देते हुए अवगत कराया गया कि वाह्य विकास शुल्क एवं प्रभाव शुल्क की धनराशि पारिवारिक कारणोंवश प्राधिकरण में जमा नहीं करायी जा सकी। शुल्कों को जमा कराने हेतु उचित ब्याज की गणना से अवगत कराने का अनुरोध किया गया। प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग लखनऊ महायोजना–2021 के अन्तर्गत पी–1 श्रेणी पार्क एवं खुले स्थल/हरित पट्टी थी जोनिंग रेगुलेशन्स् के अनुसार संदर्भित भू–उपयोग में पेट्रोल पम्प क्रियाएं विशेष अनुमति से अनुमन्य उपयोग की श्रेणी के अन्तर्गत अनुमन्य थी किन्तु वर्तमान में प्रभावी लखनऊ महायोजना–2031 के अन्तर्गत प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग पार्क एवं खुले स्थल है जिसमें जोनिंग रेगुलेशन्स के अन्तर्गत पेट्रोल पम्प क्रिया निषिद्ध है। इस सम्बन्ध में प्रकरण पर नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ के पत्रांक–163/व.नि.–1,/लखनऊ महायोजना/2018–19, दि. 26.04.2018 के माध्यम से निम्नवत् अभिमत उपलब्ध कराया गया है :–

1. लखनऊ महायोजना–2031 के अनुसार प्रश्नगत स्थल पार्क एवं खुले स्थल भू–उपयोग के अन्तर्गत आता है।

2. शासनादेश संख्या–3125/9–आ–9–2003–6महा./2003टीसी, दिनांक 20.08.2003 की व्यवस्थानुसार नई महायोजना तैयार करते समय पूर्व महायोजना में दर्शाये गये पार्क एवं हरित पट्टिका की भूमि को यथावत् रखे जाने के निर्देश हैं। जिसके अनुपालन में लखनऊ महायोजना–2021 में दर्शित प्रश्नगत स्थल (पार्क एवं खुले स्थल/हरित पट्टिका भू–उपयोग) को

यथावत रखते हुए लखनऊ महायोजना–2031 में पार्क एवं खुले स्थल भू–उपयोग के अन्तर्गत रखा गया है।

3. ''लखनऊ विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 22.02.2018 में उल्लिखित है कि आवेदक द्वारा प्रश्नगत पेट्रोल पम्प वर्ष–1978 से संचालित होना बताया जा रहा है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत पेट्रोल पम्प यदि नियमित है तो उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–16 के अन्तर्गत प्रश्नगत स्थल पर कार्यरत पेट्रोल पम्प को कुछ शर्तो के साथ कार्यरत रहने देने पर प्राधिकरण स्तर से कार्यवाही की जा सकती है।''

उल्लेखनीय है कि उक्त ग्राम की अधिसूचना सं0–3923/XXXVII-2-4-(DA)-72, दिनांक 11 सितम्बर, 1974 के अन्तर्गत लखनऊ विकास क्षेत्र में सम्मिलित है।

उपरोक्तानुसार समस्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए प्राधिकरण के पत्र सं0–436/सचिव/मु0न0नि0/2018–19, दिनांक 22.12.2018 को प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रकरण में शासन का मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया गया था। उक्त अनुरोध के क्रम में आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0–205/8–3–19–20विविध/2019, दिनांक 13 मार्च, 2019 के माध्यम से अवगत कराया गया कि ''मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–163/ व0नि0–1/लखनऊ महायोजना/2018–19, दिनांक 26.04.2018 द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिमतानुसार नियमानुसार यथावश्यक कार्यवाही कराने का का कष्ट करें।''

पक्ष द्वारा पूर्व में किये गये आवेदन के समय प्रभावी महायोजना–2021 में संदर्भित स्थल 'पी–1' श्रेणी 'पार्क एवं खुले स्तर/हरित पट्टी' के अंतर्गत अंकित था। तत्समय जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार सन्दर्भित भू–उपयोग में पेट्रोल पम्प क्रियाएं विशेष अनुमति से अनुमन्य उपयोग की श्रेणी में होने के कारण मानचित्र स्वीकृति सम्बन्धी कार्यवाही की गयी थी। पक्ष द्वारा प्राधिकरण द्वारा मांगी गयी धनराशि में से निरीक्षण शुल्क, सुदृढीकरण शुल्क, शमन शुल्क की जमा की गयी, शेष वाह्य विकास शुल्क एवं प्रभाव शुल्क की धनराशि प्राधिकरण कोष में जमा नहीं की गयी।

अतः उपरोक्तानुसार समस्त तथ्यों के दृष्टिगत परिसर के नियमितीकरण के क्रम में निर्णय हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दि0 06.11.2019 के विषय सं0–166/25 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिस पर प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया था :–

Singh

"सम्यक् विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा मास्टर प्लान 2021 और 2031 के आलोक में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0 से राय प्राप्त कर प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।"

उपरोक्तानुसार बोर्ड द्वारा दिये गये निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण के पत्र सं0–841/सी0टी0पी0/2019, दिनांक 19.11.2019 के माध्यम से मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 को प्रेषित किया गया था। तद्क्रम में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा पत्रांक–2918/व0नि0– 1/लखनऊ महायोजना–2019–20 दिनांक 17.02.2020 के माध्यम से निम्नवत् अवगत कराया गया है :–

"(1)– इस विभाग द्वारा पूर्व में प्रस्तुत टिप्पणी के अनुसार मौके पर पेट्रोल पम्प वर्ष–1978 से संचालित होना बताया गया था। लखनऊ महायोजना–2021 में संदर्भित स्थल पी–1 (पार्क एवं खुले स्थल/हरित पट्टी) के अन्तर्गत था, जिसमें जोनिंग रेगुलेशन्स् के अनुसार पेट्रोल पम्प क्रियायें विशेष अनुमति से अनुमन्य उपयोग की श्रेणी के अन्तर्गत अनुमन्य थीं, परन्तु वर्तमान में प्रभावी लखनऊ महायोजना–2031 के अन्तर्गत प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग पार्क एवं खुले स्थल है, जो जोनिंग रेगुलेशन्स में मनोरंजन–2 में पड़ता है एवं जिसके अन्तर्गत पेट्रोल पम्प क्रियायें निषिद्ध रखी गयी हैं। उक्त के क्रम में वर्तमान में संचालित पेट्रोल पम्प का वर्ष 1978 से संचालित होने की दशा में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–16 के अन्तर्गत (स्पॉट जोनिंग के आधार पर) कार्यरत व संचालित रहने पर कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। उल्लेखनीय है कि जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा पूर्व में दिनांक 21.09.1978 को निरापत्ति प्रदान की गयी थी तथा एक्प्लोसिव डिपार्टमेन्ट का लाईसेन्स भी दिनांक 08.10.1978 को भी पूर्व में प्रदान किया गया है। विद्युत का बिल भी प्रस्तुत है, जो दिनांक 07.12. 1970 का है, जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त पेट्रोल पम्प वर्ष 1978 से स्थापित है।

(3)– आवेदक द्वारा अपने भूखण्ड में कोई अन्य निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर भवन निर्माण एवं विकास उपविधि व लखनऊ महायोजना–2031 के जोनिंग रेगुलेशन्स के प्राविधानानुसार विचार किया जा सकता है।

(4)– नए प्रस्ताव को स्वीकृति के समय चूँकि पूर्व में मानचित्र से सम्पूर्ण शुल्क न जमा किये जाने के कारण निरस्त किया गया था, के दृष्टिगत वर्तमान में आरोपित धनराशि में से पूर्व में जमा की गयी धनराशि को घटाते हुए शेष धनराशि को ब्याज सहित जमा करा कर नए प्रस्ताव की स्वीकृति पर विचार किया जाना श्रेयष्कर प्रतीत होता है।"

अतः मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 द्वारा उपरोक्तानुसार प्रदान की गयी राय के क्रम में प्रस्ताव प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दि0 29.02.2020 के अन्य विषय सं0–167/4 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिस पर प्राधिकरण बोर्ड दिये गये निर्णय के क्रम में प्राधिकरण के पत्र संख्या–1052/सचिव/मु.न.नि./2020–21 दिनांक 19.06.2020 (छायाप्रति अनुलग्नक–01 पर संलग्न) के माध्यम से जिलापूर्ति अधिकारी, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया। तद्क्रम में जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा अपने पत्र सं0 387/जि0पू0अ0/पे0उ0/2020 दिनांक 04.07.2020 (छायाप्रति अनुलग्नक–02 पर संलग्न) के माध्यम से अवगत कराया गया है कि **"कार्यालय अभिलेखानुसार भूखण्ड सं0–221स, निकट टी0वी0 टावर, ग्राम–बेगरिया, हरदोई रोड, लखनऊ पर मे0 पंकज सर्विस स्टेशन पेट्रोल पम्प स्थापित है उक्त पेट्रोल पम्प के एच0एस0डी0 विक्रय लाइसेन्स की वैधता अवधि जबतक पेट्रोल पम्प कार्यरत है आजीवन हेतु हो गयी है एवं प्रश्नगत भूखण्ड पर पेट्रोल पम्प खोले जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय द्वारा उक्त पेट्रोल पम्प को इण्डियन आयल कार्पोरेशन मार्केटिग डिवीजन लखनऊ के पत्र सख्या– आर0–128 दिनांक 21.09.1978 के सन्दर्भ में पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। उक्त के अतिरिक्त इण्डियन आयल कार्पोरेशन के पत्र सख्या–पंकज एस0एस0/हरदोई रोड दिनांक 13.01.2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि मे0 पंकज सर्विस स्टेशन रिटेल आउटलेट वर्ष 1978 में कमीशंड हुआ है। पेट्रोलियम पदार्थो की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में कम्पनी द्वारा विज्ञापन निकाले जाते है, जो आवेदक कम्पनी के नियम एवं मानको को पूरा करता है तथा निर्धारित चयन प्रकिया द्वारा उस स्थान हेतु उसका चयन किया जाता है।"**

उपरोक्तानुसार प्राधिकरण की गत बोर्ड बैठक दिनांक 29.02.2020 में दिये गये निर्देश के क्रम में जिलापूर्ति अधिकारी, लखनऊ द्वारा प्रदान की गयी रिपोर्ट के आलोक में परिसर के नियमितिकरण के क्रम में निर्णय हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना है।

<u>प्रस्ताव :</u>

उपरोक्त आख्या के परिप्रेक्ष्य में जिलापूर्ति अधिकारी के पत्र सं0 387/जि0पू0अ0/पे0उ0/2020 दिनांक 04.07.2020 के द्वारा प्रदान की गयी रिपोर्ट के आलोक में परिसर के नियमितिकरण के क्रम में निर्णय हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

अनुलग्नक-1

86

लखनऊ विकास प्राधि[illegible] व्रनऊ

प्रेषक, सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, नवीन भवन, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ। संख्या–1052सचिव / मु0न0नि0 / 2020–21 दिनांक–19 .06.2020	सेवा में, डी0एस0ओ0 (जिलापूर्ति अधिकारी), लखनऊ।

विषय

भूखण्ड सं0–221स, निकट टी0वी0 टावर, ग्राम–बेगरिया, हरदोई रोड, लखनऊ पर पेट्रोल पम्प के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रस्ताव प्राधिकरण की बोर्ड बैठक दिनांक 29.02.2020 के अन्य विषय सं0–167 / 4 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था जिस पर प्राधिकरण द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया है:–

''सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि डी0एस0ओ0 (जिला आपूर्ति अधिकारी) से प्रश्नगत भूखण्ड पर पेट्रोल पम्प के खोले जाने का आधार एवं उसके लाईसेन्स की वैधता इत्यादि की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रश्नगत प्रस्ताव पुनः आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।''

उपरोक्त निर्णय के क्रम में बोर्ड में प्रस्तुत प्रस्ताव के निर्णय को संलग्न करते हुए अनुरोध है कि प्रश्नगत भूखण्ड पर पेट्रोल पम्प के खोले जाने का आधार एवं उसके लाईसेन्स की वैधता इत्यादि की रिपोर्ट प्राधिकरण को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

18/6/20

(एम0पी0 सिंह)
सचिव।

O/C

३४९२/६ T.P/२०
09/07/20

638/(मा०नि०)/020
08.07.020

अनुलग्नक-2
87

प्रेषक,

जिला पूर्ति अधिकारी,
लखनऊ।

सेवा में,

सचिव,
लखनऊ विकास प्राधिकरण
नवीन भवन, विपिन खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांक 387 /जि0पू0अ0/पे0उ0/2020 दिनांक 04/07/2020

विषय— भूखण्ड सं0 221स, निकट टी0वी0 टावर, ग्राम बेगरिया, हरदोई रोड, लखनऊ स्थित पेट्रोल पंप के संबंध में ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय पत्र सं0 1052 सचिव/मु0नि0नि0/2020—21 दिनांक 19.06.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र भूखण्ड सं0 221स, निकट टी0वी0 टावर, ग्राम बेगरिया, हरदोई रोड, लखनऊ स्थित पेट्रोल पंप के संबंध में लखनऊ विकास प्राधिकरण के बोर्ड द्वारा प्रश्नगत भूखण्ड पर पेट्रोल पंप खोले जाने का आधार एवं उसके लाईसेंस की वैधता इत्यादि की रिपोर्ट प्राप्त कर, उपलब्ध कराये जाने के संबंध में है।

प्रश्नगत प्रकरण में अवगत कराना है कि कार्यालय अभिलेखानुसार भूखण्ड सं0 221स, निकट टी0वी0 टावर, ग्राम बेगरिया, हरदोई रोड, लखनऊ पर मे0 पंकज सर्विस स्टेशन पेट्रोल पंप स्थापित है। उक्त पेट्रोल पंप के एच0एस0डी0 विक्रय लाईसेंस की वैधता अवधि जब तक पेट्रोल पंप कार्यरत है आजीवन हेतु हो गयी है एवं प्रश्नगत भूखण्ड पर पेट्रोल पंप खोले जाने हेतु जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय द्वारा उक्त पेट्रोल पंप को इण्डियन ऑयल कारपोरेशन मारकेटिंग डिवीजन, लखनऊ के पत्र सं0 आर0—128 दिनांक 21.09.78 के संदर्भ में संलग्न साइट प्लान के अंतर्गत पेट्रोल पंप की स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। उक्त के अतिरिक्त इण्डियन ऑयल कारपोरेशन के पत्र सं0 पंकज एस0एस0/हरदोई रोड दिनांक 13.01.2017 द्वारा अवगत कराया गया है कि मे0 पंकज सर्विस स्टेशन रिटेल आउटलेट वर्ष 1978 में कमीशंड हुआ है। पेट्रोलियम पदार्थों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों में कंपनी द्वारा विज्ञापन निकाले जाते हैं, जो आवेदक कंपनी के नियम एवं मानकों को पूरा करता है तथा निर्धारित चयन प्रक्रिया द्वारा उस स्थान हेतु उसका चयन किया जाता है।

कृपया उक्त से अवगत होना चाहें।

जिला पूर्ति अधिकारी,
लखनऊ

मु0न0नि0

सचिव 08/7/20
लखनऊ विकास प्राधिकरण

T.P./A.P.A.
9/7/2020

श्री राजेश
संबंधित पत्रावली पर प्रस्तुत करें।
13/7/2020
A.P.A.

विषय : कैटिल कालोनी के बन्धे के संरेखण एवं अर्धनिर्मित बन्धे के पूर्ण न हो पाने के कारण प्रभावित भूखण्डों के वृहद् स्तर पर समायोजन हेतु

बोर्ड प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश शासन की नीतियों के क्रम में कैटिल कालोनी निर्माण की योजना ल0वि0प्रा0 द्वारा वर्ष 1997 में हरदोई रोड योजना बनायी गई। यह निर्णय लिया गया कि आवंटियों को रु0 250/वर्गमी. की दर से अविकसित भूमि उपलब्ध कराई जायेगी। तत्क्रम में दिनांक 10.11.1997 से पंजीकरण खोले गये जिसके अन्र्तगत कुल 1269 व्यक्तियों द्वारा पंजीकरण कराया गया। पंजीकरण के पश्चात यह तथ्य संज्ञान में आये थे कि इनमें से बहुत से ऐसे व्यक्तियों द्वारा भी पंजीकरण कराया गया जिनके पास दुधारु पशु नही थे। नगर निगम के माध्यम से उक्त का सत्यापन कराया गया जिसमें कुल 761 आवेदक ही सत्यापित हो सके। तत्क्रम में दिनांक 19.11.1998 को उक्त लाटरी डाली गई और 458 भूखण्डों का आवंटन पशु पालकों को किया गया परन्तु इनमे से किसी आवंटी द्वारा न तो भूखण्ड का कब्जा प्राप्त किया गया और न ही ल.वि.प्रा. में धनराशि आदि जमा की गई।

नगर निगम द्वारा दिनांक 18.06.1999 को चलाये गये सघन अभियान के पश्चात पूर्व में आवंटित सभी भूखण्डों को निरस्त करते हुए नगर निगम में ही कैम्प लगाकर भूखण्ड के मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि अर्थात रु0 5400/– प्रति आवंटी से जमा कराते हुए 458 भूखण्डों में से 395 भूखण्ड आवंटित करते हुए उनको कब्जे दिये गये और शेष 63 भूखण्डों को रिक्त माना गया।

हरदोई रोड स्थित बसन्त कुन्ज योजना में कैटिल कालोनी को विकसित कर प्राधिकरण द्वारा कैटिल धारकों को भूखण्ड आवंटित किये गये थे परन्तु योजना नदी के किनारे होने के कारण बन्धे का निर्माण कार्य कराये जाने के कारण निर्माणाधीन तटबन्ध से कई भूखण्ड प्रभावित हो रहे थे। अभियंत्रण खण्ड द्वारा आवंटियों के भूखण्डों की भौतिक स्थिति के अनुसार तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता जोन–7 के पत्र सं0–232/ए.ए.जोन–7/07 दिनांक 19.07.2007 के द्वारा कैटिल कालोनी से प्रस्तावित बन्धे से

20/7/2020

20/07/2020 N-U

प्रभावित भूखण्डों की सूची जिसके अनुसार बन्धे से पूर्णतया प्रभावित भूखण्ड 304 एवं आंशिक रुप से प्रभावित भूखण्ड 18 एवं अप्रभावित भूखण्ड 136 की नम्बरवार सूची, आवंटियों के नाम, भूखण्डों पर निर्माण की स्थिति एवं जमा धनराशि का विवरण अंकित करते हुए सूचियॉ उपलब्ध करायी गई हैं जिसके अनुसार कैटिल कालोनी के अर्न्तगत 322 भूखण्ड बन्धे से प्रभावित हैं, जिसमें 79 भूखण्ड पूर्व में दिनांक 16.06.2015 के अर्न्तगत समायोजित किये जा चुके हैं जिसके फलस्वरुप बन्धे से प्रभावित 243 भूखण्डों का समायोजन किया जाना है। स्थल पर जिन 79 भूखण्डों का समायोजन किया गया है उनमें से 54 पर निर्माण है एवं समायोजन किये जाने हेतु अवशेष 243 भूखण्डों में 152 भूखण्डों पर निर्माण बताया गया है। इस प्रकार कुल समायोजित किये जाने वाले कुल 322 भूखण्डों के सापेक्ष 206 भूखण्डों पर निर्माण पाया गया है।

वर्ष 1999 से कैटिल कालोनी के सम्बंध में प्रकरण जैसे कि बन्धे के संरेखण तथा नदी व बन्धा के मध्य स्थित भूखण्डों के भूस्वामियों द्वारा स्थल पर विरोध किये जाने के कारण अर्धनिर्मित बन्धे का पूर्ण न हो पाना, बन्धे से प्रभावित भूखण्डों का वृहद् स्तर पर समायोजन प्रस्तावित किया जाना इत्यादि लम्बित हैं समस्या के सम्यक निस्तारण हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर सैद्धान्तिक सहमति हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत हैं :–

1. जिन आवंटियों द्वारा आवंटित भूखण्ड के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि जमा कर दी गई है, उनके प्रकरण में समायोजन की कार्यवाही सर्वप्रथम की जायेगी।
2. जिन आवंटियों द्वारा पंजीकरण धनराशि मात्र अथवा पंजीकरण धनराशि के अतिरिक्त और भी धनराशि जमा की गई हो जो सम्पूर्ण धनराशि से कम हो, उनके प्रकरणों पर नियमानुसार ब्याज सहित समस्त धनराशि जमा होने के पश्चात ही समायोजन की कार्यवाही की जायेगी।
3. जिन व्यक्तियों द्वारा वर्ष 1999 से अब तक कोई भी धनराशि नही जमा की गई है, उनके आवंटन निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

20/7/2020

20/07/2020
N.O

[illegible]
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
नवीन प्राधिकरण भवन, विपिन खण्ड,
गोमतीनगर लखनऊ।

पत्र सं0- 232 /ए0ए0जोन-7/07 दिनाँक 19/7/2007

विशेष कार्याधिकारी

गोमती तटबन्ध के एलाइनमेन्ट मे आ रहे प्रभावित कैटिल कालोनी के आवंटियों की सूची साथ में संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि सम्बन्धित आवंटियों को अन्य योजना में समायोजित करने की कार्यवाही करने का कष्ट करें। प्रश्नगत प्रकरण में ज्ञात हुआ है कि किसी भी आवंटी द्वारा न तो धनराशि जमा की गयी है और न ही निबन्धन की कार्यवाही की गयी है।

कृपया इसका परीक्षण कराकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये इन्हे अन्यत्र शिफ्ट करने की कार्यवाही प्रारम्भ करा दे। कार्य आवश्यक है इसे प्राथमिकता पर कराने का कष्ट करें, जिससे सिंचाई विभाग को बन्धा बनाने हेतु भूमि उपलब्ध करायी जा सके।

18.7.07

(दुर्गेश श्रीवास्तव)
अधिशासी अभियन्ता जोन-7

प्रतिलिपिः-
1-उपाध्यक्ष महोदय को सूचनार्थ।
2-सचिव महोदय को सूचनार्थ।
3-अपर सचिव महोदय को सूचनार्थ।

18.7.07

(दुर्गेश श्रीवास्तव)
अधिशासी अभियन्ता जोन-7

20/07/07

कैटिल कालोनी में प्रस्तावित बन्धे से प्रभावित भू-खण्डों की सूची

	प्रभावित भू-खण्डों का नम्बर	संख्या	कुल संख्या
आंशिक रूप से प्रभावित भू-खण्ड	C-3, C-14, C-46, C-47, C-48, C-54, C-55, C-56, C-62, C-66, C-67, C-78, C-79, C-132, C-133, C-134, C-172 & C-171	18	18 (A)
पूर्ण प्रभावित भू-खण्ड	C-4 से C-13 तक → C-49 से C-53 तक → C-63 से C-65 तक → C-173 से C-458 तक →	10 5 3 286	304(B)

(A) + (B) = 18 + 304
= 322 Nos.

Sudhir
09.X.06
J.E

09/X/2006
A.A (17)

विषयः– बसन्तकुंज योजना में गोमती नदी के किनारे अवस्थित मास्टर प्लान पार्क एवं खुला स्थल में ''राष्ट्र प्रेरणा स्थल'' का विकास किये जाने के सम्बन्ध में।

बसन्तकुंज योजना में लखनऊ महायोजना 2031 के अनुसार गोमती नदी के किनारे अवस्थित मास्टर प्लान पार्क एवं खुला स्थल हेतु लगभग 65.00 एकड़ भूमि चिन्हांकित है। शासन द्वारा इस भूमि पर ''राष्ट्र प्रेरणा स्थल'' विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 के पत्र सं0–सी0एम0–23/आठ–1–20–32बजट/2020टीसी दिनांक 09 जून, 2020 अवलोकनीय है। पत्र के अनुसार ''राष्ट्र प्रेरणा स्थल'' में पण्डित दीनदयाल उपाध्याय जी, डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी एवं श्री अटल बिहारी बाजपेई जी की बडी प्रतिमाएं लगाने तथा ओपेन एयर थ्रियेटर व रैली स्थल का निर्माण किए जाने का उल्लेख है। शासन द्वारा इस कार्य हेतु वर्ष 2020–21 के बजट में धनराशि रू0 50.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है। शासन की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के दृष्टिगत ''राष्ट्र प्रेरणा स्थल'' के नियोजन हेतु कन्सलटेन्ट के चयन की कार्यवाही गतिमान है। कन्सलटेन्ट के चयन हेतु दिनांक 21.07.2020 को वित्तीय बिड खोली जानी प्रस्तावित है। तदोपरान्त नियमानुसार क्यू0सी0बी0एस0 (Quality & Cost Based Selection) के अनुसार कन्सलटेन्ट का चयन किया जाना प्रस्तावित है।

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ प्रेषित है।

प्रताप शंकर मिश्रा
अधिशासी अभियन्ता

कार्यालय लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।

प्रेषक :

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
विपिन खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

पत्रांक : 148/VC/E.E-7/20
दिनांक : 17.6.2020

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,
उ0प्र0 शासन,
लखनऊ।

विषय

लखनऊ विकास प्राधिकरण की बसंत कुंज योजना में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन (आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1) के पत्र संख्या–सी0एम0–23/आठ–1–20–32बजट/2020टीसी दिनांक 09.06.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 30.04.2020 के क्रम में सुस्पष्ट टिप्पणी/आख्या शासन को उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है। प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा श्री प्रकाश द्विवेदी, मा0 विधायक एवं श्री रमेश चन्द्र मिश्र, मा0 विधायक का पत्र संलग्न करते हुए सुस्पष्ट टिप्पणी उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है। मा0 विधायकगणों द्वारा पत्र में उल्लेख किया गया है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़े पार्क का निर्माण किया जाना उचित होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश में जन्में और समाजसेवी के रूप में कार्य करने वाले पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी, डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और श्री अटल बिहारी बाजपेई जी की बडी प्रतिमाएं लगानी चाहिए। लखनऊ में कोई ओपेन एयर थिएटर भी नहीं है, अतः इसमें ओपेन एयर थियेटर तथा एक रैली स्थल का निर्माण किया जाना भी उचित होगा। यह भी ज्ञात हुआ है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण कि बसंत कुंज योजना के अन्तर्गत लगभग 100 एकड भूखण्ड किसी भी उपयोग में नहीं है अतः इस पार्क के लिए जमीन का चिन्हांकन कर शीघ्र पार्क का निर्माण कार्य शुरू किया जाना चाहिए।

उपरोक्त के क्रम में मुख्य अभियन्ता, ल0वि0प्रा0 तथा मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0 से परीक्षण कराया गया। मुख्य अभियन्ता तथा मुख्य नगर नियोजक द्वारा अवगत कराया गया है कि बसंत कुंज योजना के सेक्टर–जे में लगभग 65 एकड भूमि महायोजना 2031 में **"पार्क एवं खुला स्थल"** के रूप में अंकित है, जिस पर पार्क इत्यादि विकसित किया जा सकता है। इस प्रकार के भू–उपयोग पर 5 प्रतिशत तक निर्माण किया जा सकता है, शेष भूमि खुले स्थल के रूप में छोडनी होगी।

कृपया उपरोक्तानुसार आख्या इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त परियोजना हेतु बजट प्राविधान एवं योजना के कियान्वयन का अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शिवाकान्त द्विवेदी)
उपाध्यक्ष

Scanned by CamScanner

मा0 मुख्यमंत्री संदर्भ/सर्वोच्च प्राथमिकता
संख्या-CM.23/आठ–1–20–32 बजट/2020 टीसी

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
लखनऊ विकास प्राधिकरण,
लखनऊ।

193494
10.6.20

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 9 जून, 2020

विषयः– लखनऊ विकास प्राधिकरण की बसंतकुंज योजना में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी के पत्र संख्या–सी0एम0वि0को0आर0पी0एस0 267/2020 दिनांक 30.04.2020 (छायाप्रति मय संलग्नक) संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संलग्न पत्र में की गयी अपेक्षानुसार सुस्पष्ट टिप्पणी/आख्या शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें। प्रकरण मा0 मुख्यमंत्री जी के संदर्भ से आच्छादित है। अतः समयबद्धता विशेष रूप से अपेक्षित है।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

मुख्य अभियन्ता

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण
11/06/2020

मुख्य अभियन्ता
लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ
15-6-2020

Scanned by CamScanner

95

383-आ०-9-2020

कार्यालय सी.एम.वि.को.आर.पी.एस.-262/2020

मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश

लोक भवन, लखनऊ

CM:23/आ०/6-1:20

संख्या-

दिनांक 30.04.20

2511S/PSH/2020

कृपया श्री प्रकाश द्विवेदी, मा० विधायक के पत्र दिनांक 25 नवम्बर, 2019 एवं श्री रमेश चन्द्र मिश्र, मा० विधायक के पत्र दिनांक 11 दिसम्बर, 2019 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण के सम्वन्ध में हैं।

VS(AD) तत्काल प्रस्तुत करें।

मानानीय मुख्यमंत्री जी ने अपेक्षा की है कि उपर्युक्त पत्रों का परीक्षण करते हुए इस सम्वन्ध में विभाग की एक सुस्पष्ट टिप्पणी पत्रावली पर एक पक्ष में उपलब्ध करायी जाए।

12-05-2020

उत्तर प्रदेश शासन

संलग्नकः उपर्युक्तानुसार

29.04.2020

29.04.2020

(एस० पी० ...)
प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश शासन

2235/VSAD/20

प्रमुख सचिव, आवास

US(AKS)

18.5.2020

(अपूर्वा दुबे)
विशेष सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश शासन।

S.O.-9

18-5-2020

अनुभाग / 21/05/20

श्री ...
22.5.2020

आवास अनु०-1
09.6.2020

प्रकाश द्विवेदी
विधायक
235 - बांदा सदर
सदस्य- संसदीय अनुश्रवण समिति

कार्या. : डी.एम. कालोनी, सिविल लाइन, बांदा
फोन : 05192-220270, 05192-220036
आवास : ग्रा. व पो. छिबांव, खुरहण्ड स्टेशन, बांदा
आवास : बी-405, कासमाण्डा हाउस, 2 पार्क रोड, हजरतगंज, लखनऊ
मोबाइल : 9415144025, 8887151035
E-mail : mlaprakash.banda@gmail.com

INTERNAL-NON I.C.R.S.

पत्रांक........................ दिनांक..........

सेवा में,
मा0 मुख्यमंत्री जी,
उ0प्र0 शासन।

191890
12.2.20

(एस0 पी0 गोयल)
प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश शासन

महोदय,

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़े पार्क का निर्माण किया जाना उचित होगा जिसमें उत्तर प्रदेश मे जन्में और समाजसेवी के रूप में कार्य करने वाले पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी, डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और अटल बिहारी बाजपाई जी की बड़ी प्रतिमाएं लगानी चाहिए। लखनऊ में कोई ओपन एयर थिएटर भी नहीं है, अतः इसमें ओपन एयर थिएटर तथा एक रैली स्थल का निर्माण किया जाना भी उचित होगा। मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण कि बसंत कुंज योजना के अंतर्गत लगभग 100 एकड़ भूखंड किसी भी उपयोग में नहीं है अत: इस पार्क के लिए जमीन का चिह्नांकन कर शीघ्र पार्क का निमार्ण कार्य शुरू किया जाना चाहिए।

माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त महापुरुषों की स्मृति में एक भव्य प्रेरणा स्थल का निर्माण कराने की कृपा करें।

धन्यवाद !

दिनांक- 25/11/2019

सचिव
लखनऊ विकास प्राधिकरण

सांसद एवं विधायक प्रकोष्ठ

CRCD000732660929

Scanned by CamScanner

सदस्य विधान सभा
उत्तर प्रदेश

[illegible] No. 084720

सेवा में,

मा० मुख्यमंत्री जी,
उ०प्र० शासन।

महोदय,

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़े पार्क का निर्माण किया जाना उचित होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश में जन्मे और समाजसेवी के रूप में कार्य करने वाले पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी, डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और अटल बिहारी वाजपेई जी की बड़ी प्रतिमाएं लगानी चाहिए। लखनऊ में कोई ओपन एयर थियेटर भी नहीं है, अतः इसमें ओपन एयर थियेटर तथा एक खेल स्थल का निर्माण किया जाना भी उचित होगा। मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण कि बसंत कुंज योजना के अंतर्गत लगभग 100 एकड़ भूखंड किसी भी उपयोग में नहीं है अतः इस पार्क के लिए जमीन का चिह्नांकन कर शीघ्र पार्क का निर्माण कार्य शुरू किया जाना चाहिए।

माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त महापुरुषों की स्मृति में एक भव्य प्रेरणा स्थल का निर्माण कराने की कृपा करें।

धन्यवाद !

दिनांक-11/12/2019

रमेश चन्द्र मिश्र
364 विधायक
बदलापुर जौनपुर

Scanned by CamScanner

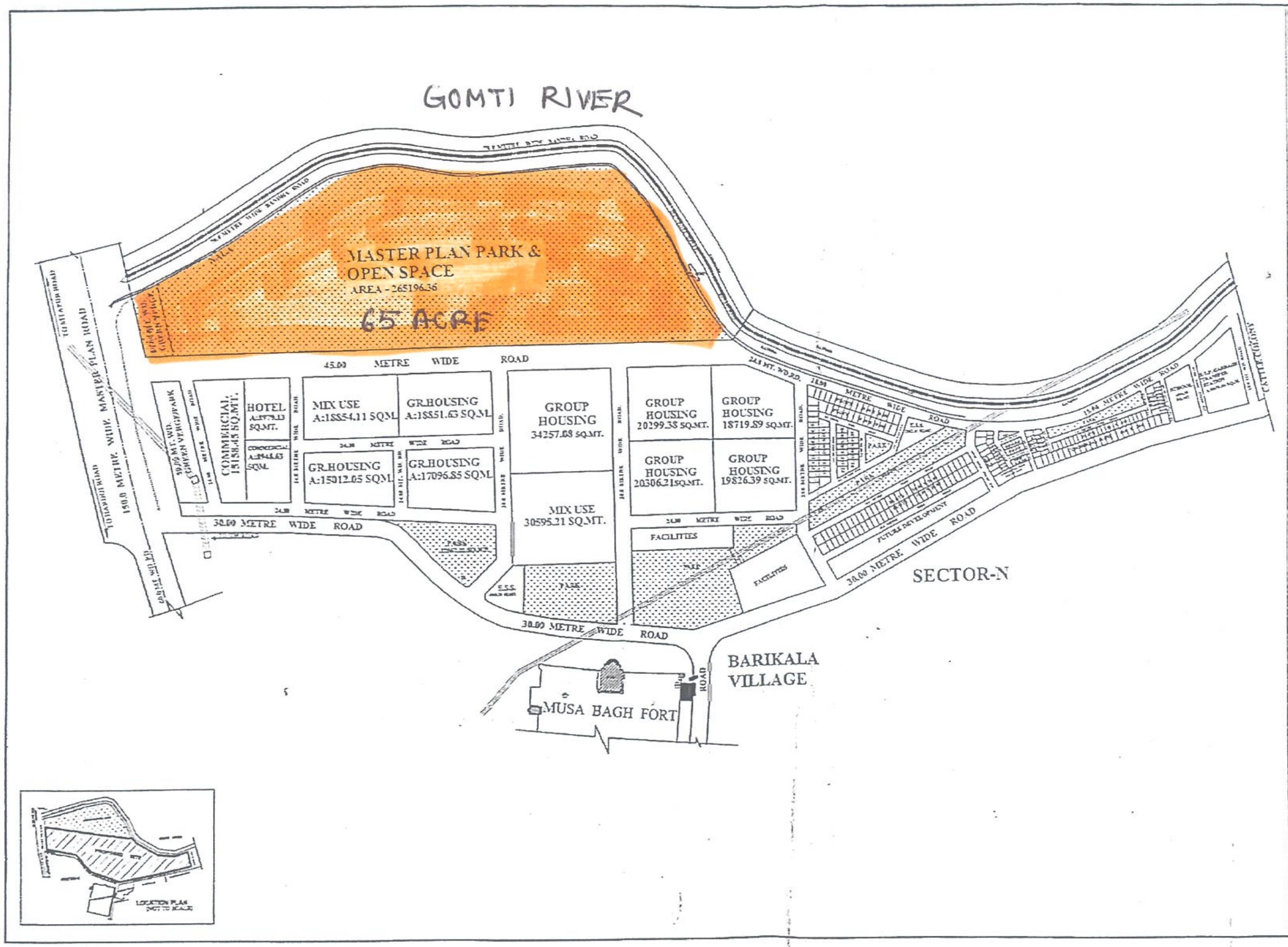

RE REVISED LAYOUT PLAN OF SECTOR - J, BASANT KUNJ, HARDOI ROAD SCHEME, LUCKNOW.

DETAIL OF AREA STATEMENT-:

S.N.	PARTICULARS	AREA (IN SQ.MT.)	% AGE
	TOTAL AREA OF LAND	[illegible] SQ.MT.	
	AREA UNDER MASTER PLAN PARK & OPEN SPACE	265196.36 SQ.MT.	
	NET AREA OF THE SCHEME	[illegible] SQ.MT.	
1.	AREA UNDER GROUP HOUSING	[illegible] SQ.MT.	[illegible]
2.	AREA UNDER PLOTS	[illegible] SQ.MT.	[illegible]
3.	AREA UNDER COMMERCIAL	[illegible] SQ.MT.	[illegible]
4.	AREA UNDER FUTURE DEVELOP.	[illegible] SQ.MT.	[illegible]
5.	AREA UNDER HOTEL	[illegible] SQ.MT.	[illegible]
6.	AREA UNDER SCHOOL	[illegible] SQ.MT.	[illegible]
7.	AREA UNDER FACILITIES	[illegible] SQ.MT.	[illegible]
8.	AREA UNDER ELE. SUB STAT.	[illegible] SQ.MT.	1.10%
9.	AREA UNDER MIXED USE	[illegible] SQ.MT.	[illegible]
10.	AREA UNDER PARK	[illegible] SQ.MT.	[illegible]
11.	AREA UNDER S.T.P./GARB.TRANS.STAT.	[illegible] SQ.MT.	[illegible]
12.	AREA UNDER ROADS	[illegible] SQ.MT.	[illegible]

DETAIL OF PLOTS

SN.	PLOTS	SIZE OF PLOTS	AREA	NOS
1.	PLOTS	10.00 M. X 20.00 M.	200.00 SQ.MT.	142
2.	PLOTS	7.50 M. X 15.00 M.	112.50 SQ.MT.	41
3.	PLOTS	6.00 M. X 12.00 M.	072.00 SQ.MT.	37
	TOTAL PLOTS			- 220

NOTE :-

1. NOC OF ASI IS REQUIRED FOR ANY CONSTRUCTION WITHIN 300MT. FROM THE BOUNDARY OF MOOSABAGH FORT MONUMENT.
2. THIS LAYOUT PLAN HAS BEEN PREPARED ON THE BASIS OF SURVEY GIVEN BY ZONE-7.
3. THIS LAYOUT PLAN HAS BEEN PREPARED FOR SITE VERIFICATION ONLY.

TENTATIVE:

DATE-: 24 JUNE 2019

DRG NO.-:

DEALT BY-:

CHECKED BY-:

LUCKNOW DEVELOPMENT AUTHORITY

VIKRAM SINGH
A.P.A.

J.E.

A.E.

R.K. MISHRA
E.E.

R.G. SINGH
C.T.P.

PRABHU N. SINGH
4/6/19

विषय संख्याः 13 पृष्ठ संख्याः 99

विषयः अनाधिकृत/अतिरिक्त निर्माण के नियमितीकरण हेतु शमन योजना–2020 लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

<u>आख्याः</u>

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3, उ0प्र0 द्वारा शासनादेश सं0–MS–09/आठ–3–20–234विविध/2017 टी0सी0, दिनांक 15 जुलाई, 2020 (छायाप्रति अनुलग्नक–1 पर संलग्न) के माध्यम से प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है, जो विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत अनाधिकृत/अतिरिक्त निर्माण के नियमितीकरण हेतु शमन योजना–2020 लागू किये जाने के सम्बन्ध में है। उक्त कार्य मौखिक अनुमोदन के क्रम में प्राधिकरण में दिनांक 21.07.2020 से प्रगति पर है। अतः उक्त को अंगीकृत किये जाने के उद्देश्य से कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है।

<u>प्रस्ताव :</u>

उपरोक्तानुसार अनाधिकृत/अतिरिक्त निर्माण के नियमितीकरण हेतु शमन योजना–2020 लागू किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश को अंगीकृत किये जाने के उद्देश्य से कार्योत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

ई–मेल

संख्या–MS-09/आठ–3–20–234 विविध/2017 टी0सी0

प्रेषक,

दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4. जिलाधिकारी/नियंत्रक प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3

लखनऊ : दिनॉक : 15 जुलाई, 2020

विषय :– अनधिकृत/अतिरिक्त निर्माण के नियमितीकरण हेतु शमन योजना–2020 लागू किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त संबंध में शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाए गये हैं कि विकास प्राधिकरण क्षेत्रों के अन्तर्गत विकास एवं निर्माण हेतु उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 तथा महायोजना एवं भवन उपविधियों में निहित प्राविधानों के उल्लघंन स्वरूप अनधिकृत निर्माण में वृद्धि हुयी है। ऐसे निर्माण का नियमितीकरण विकास प्राधिकरणों में प्रभावी शमन उपविधि–2010 के अन्तर्गत संभव नहीं है। ऐसे मामलों के अभियोजन एवं ध्वस्तीकरण में निहित मुकदमेबाजी के फलस्वरूप प्राधिकरणों के बहुमूल्य समय/धन एवं शक्ति का ह्रास होता है तथा जनता को भी मानसिक यंत्रणा का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में कई स्तरों से शमन योजना लाए जाने हेतु मांग भी की गयी।

2– उक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत शमन उपविधि–2010 में सरलीकरण कर शमन योजना–2020 लाए जाने हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों तथा मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ से अभिमत प्राप्त कर तथा शमन योजना के संबंध में विकास प्राधिकरणों, स्टेकहोल्डर्स, आम जन तथा अन्य हितबद्ध व्यक्तियों से दिनांक 12.02.2020 से 24.02.2020 की अवधि में प्राप्त आपत्ति/सुझावों पर विचार कर निदेशक, आवास बन्धु द्वारा सुविचारित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया।

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न शमन योजना–2020 लागू करते हुए श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश निम्नवत् निर्देश जारी किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. शमन योजना 2020 इस पत्र के जारी होने के दिनांक 15.07.2020 से एक सप्ताह के भीतर शमन योजना को सम्बन्धित अभिकरणों द्वारा अपने–अपने अधिनियमों के अधीन विहित प्रक्रियानुसार परिचालन के माध्यम से अंगीकृत करने के उपरान्त उक्त अभिकरणों में एक साथ दिनांक 21.7.2020 से लागू की जायेगी।

2. शमन योजना 2020 प्रभावी होने की तिथि दिनांक 21.07.2020 से केवल 06 माह की अवधि के लिए दिनांक 20.01.2021 तक ही लागू होगी तथा शमन हेतु आवेदन पत्र संलग्न प्रारूप पर आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, संबंधित विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष तथा नियंत्रक प्राधिकारी को शमन योजना प्रभावी होने की अवधि दिनांक 21.07.2020 से दिनांक 20.01.2021 के भीतर आवेदन ऑनलाइन/ऑफलाइन किया जायेगा।

SO-3 SYSTEM-OO-2018-19

3. उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा संबंधित विकास प्राधिकरण प्रत्येक सप्ताह अन्त में प्राप्त एवं निस्तारित आवेदन पत्रों तथा प्राप्त शमन शुल्क की सम्यक सूचना निदेशक, आवास बन्धु को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

4. शमन योजना 2020 के लागू रहने की अवधि में विकास प्राधिकरण अपराधों का शमन उपविधि 2010 के प्राविधान स्थगित रहेगें।

5. उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा संबंधित विकास प्राधिकरण द्वारा शमन योजना 2020 के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले समस्त आवेदन पत्रों का निस्तारण योजना की 06 माह की अवधि समाप्त होने की दिनांक से 03 माह के भीतर (दिनांक 21.04.2021 तक) किया जाना अनिवार्य है।

6. सम्बन्धित अभिकरणों द्वारा इस योजना की जानकारी जनता को देने हेतु इसका व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित किया जाए और योजना के अन्तर्गत निर्धारित पात्रता के अनुसार शमन हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों का निस्तारण अभियान चलाकर और कैम्प आयोजित कर सुनिश्चित किया जाए।

7. उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा संबंधित विकास प्राधिकरण के स्तर पर विचाराधीन शमन संबंधी प्रकरण, जिन्हें अन्तिम रूप से स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है, ऐसे मामलों में शमन योजना 2020 के अन्तर्गत नये सिरे से आवेदन किया जा सकेगा।

8. शमन शुल्क की धनराशि लाभार्थी द्वारा एकमुश्त अथवा 03 मासिक किस्तों में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की दिनांक 01.4.2020 की 02 वर्षो हेतु निर्धारित एम.सी.एल.आर. दर में 01 प्रतिशत बढ़ोत्तरी (7.95+1=8.95 अर्थात 9 प्रतिशत) के साथ साधारण ब्याज़ सहित देय होगी।

संलग्नक : शमन योजना–2020 की प्रति।

भवदीय,

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या– MS-09(1)/आठ–3–20–234 विविध/2017 टी0सी0–तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0।
(2) मुख्य स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
(3) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
(4) अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उ0प्र0।
(5) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(6) निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से कि पत्र का तामीला समस्त संबंधित को कराते हुए शासनादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर तत्काल अपलोड कराने का कष्ट करें।
(7) अध्यक्ष, आर्किटेक्ट्स एसोसिएशन, उ0प्र0।
(8) प्रेसीडेन्ट, केडाई, उ0प्र0।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
अनु सचिव।

शमन योजना, 2020

1. शमन योजना, 2020 की आवश्यकता एवं उद्देश्य

1.1 नगरीय क्षेत्रों में हो चुके अवैध निर्माणों में वृहद् निजी पूंजी निवेश हो चुका है, ऐसे निर्माणों का न तो ध्वस्तीकरण व्यवहारिक है और न ही मानवीय दृष्टिकोण से वांछनीय है।

1.2 अधिकांश अवैध निर्माण विकास प्राधिकरणों की सामान्य शमन उपविधि के अन्तर्गत शमनीय नहीं है, अतः ऐसे निर्माण के शमन हेतु एक विशेष शमन योजना संचालित किए जाने की आवश्यकता है।

1.3 शमन योजना, 2020 के अन्तर्गत जनता को अवैध निर्माण के शमन हेतु एक सीमित समय अवधि का अवसर प्रदान करते हुए मानसिक परेशानी से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया जाएगा।

1.4 इस योजना को लागू किए जाने के फलस्वरूप विकास प्राधिकरणों तथा अवैध निर्माणकर्ताओं के मध्य चल रहे विवादों एवं मुकदमेबाजी का समाधान हो सकेगा।

1.5 शमन शुल्क से प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण/सम्वर्द्धन में करते हुए सम्बन्धित शहरों के रिहायशी पर्यावरण को बेहतर बनाया जाएगा।

1.6 राष्ट्रीय एवं राज्य शहरी आवास नीतियों के अनुपालन में जनता के निजी प्रयासों से निर्मित हाउसिंग स्टॉक के सुधार एवं संरक्षण सम्बन्धी उद्देश्य की पूर्ति सुनिश्चित होगी।

1.7 शमन योजना को लागू करने के फलस्वरूप सुरक्षा मानकों के साथ कोई समझौता नहीं होगा।

2. शमन के लिए अपात्रता

निम्न प्रकृति के अवैध विकास/निर्माण इस योजनान्तर्गत शमन हेतु पात्र नहीं होंगे:–

2.1 केन्द्र राज्य सरकार, विकास प्राधिकरण, आवास एवं विकास परिषद, स्थानीय निकाय तथा अन्य शासकीय एवं शासन के अधीन संस्थाओं/उपक्रमों की भूमि पर अन्य व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण कर किया गया निर्माण।

2.2 सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाओं, सेवाओं एवं उपयोगिताओं यथा–सड़कें, रेलवे लाइन, पार्क एवं खुले स्थल, हरित पट्‌टी, सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट (एस.टी.पी.), इलेक्ट्रिक सब–स्टेशन, वाटर वर्क्स, बस–टर्मिनल तथा समरूप अन्य सुविधाओं से सम्बन्धित भूमि अथवा महायोजना/ज़ोनल प्लान में उक्त प्रकृति की सुविधाओं हेतु प्रस्तावित भूमि पर किया गया निर्माण।

2.3 किसी न्यायालय में विवादित भूमि, बन्धक भूमि या कुर्क सम्पत्ति पर किया गया निर्माण।

2.4 महायोजना अथवा ज़ोनल प्लान अथवा ले–आउट प्लान में चिन्हित तथा राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाब/जलाशय, नदी एवं नालों से आच्छादित भूमि पर किया गया निर्माण।

2.5 महायोजना अथवा ज़ोनल डेवल्पमेन्ट प्लान अथवा ले–आउट प्लान अथवा लीज़ में अंकित भू–उपयोग के विपरीत किया गया निर्माण।

2.6 अनधिकृत क़ालोनियों अथवा उनके अन्तर्गत स्थित भूखण्डों/भवनों में किया गया निर्माण।

2.7 भूमि का सब–डिवीजन एवं ग्रुप हाउसिंग भवन, जो रियल इस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवल्पमेन्ट) एक्ट, 2016 के प्राविधानों से आच्छादित है, के अन्तर्गत किया गया निर्माण।

2.8 बहुमंजिले भवनों में सह–स्वामित्व की भूमि एवं सर्व–सामान्य सेवाओं (कॉमन सर्विसेज) हेतु आरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत किया गया निर्माण।

2.9 भूतल सहित तीन मंजिल से अधिक अथवा 12 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों तथा 500 व.मी. से अधिक भू–आच्छादनयुक्त अवस्थापना सुविधाओं के भवनों में भूकम्परोधी व्यवस्था के बिना किया गया निर्माण।

2.10 चार मंजिल से अधिक अथवा 15 मीटर एवं अधिक ऊँचाई के भवनों और विशिष्ट भवन यथा–शैक्षिक, असेम्बली, संस्थागत, औद्योगिक, संग्रहण एवं संकटमय उपयोग वाले भवनों तथा उपर्युक्त उपयोगों के मिश्रित अधिवासों वाले भवनों जिनका भू–आच्छादन 500 वर्ग मीटर से अधिक हो, में अग्निशमन व्यवस्था एवं न्यूनतम निर्धारित सेट–बैक के बिना किया गया निर्माण।

2.11 हेरिटेज ज़ोन, संरक्षित स्मारकों, नागरिक उड्डयन क्षेत्र अथवा प्रतिबन्धित ऊँचाई के क्षेत्र में भवन की ऊंचाई के उल्लंघनस्वरूप किया गया निर्माण।

3. शमन हेतु 'कट–ऑफ–डेट'

उपरोक्त प्रस्तर–3 में उल्लिखित प्रकृति के अवैध निर्माणों को छोड़कर शमन योजना, 2020 के जारी होने की तिथि तक हुए अन्य निर्माण शमनीय होंगे।

4. अवैध निर्माण के शमन की अधिकतम सीमा

4.1 सेट–बैक/भू–आच्छादन

(क) ''निर्मित क्षेत्र'' एवं उसके बाहर भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों पर निर्मित सभी उपयोगों के भवनों में भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल का 20 प्रतिशत अतिरिक्त भू–आच्छादन इस प्रतिबन्ध के साथ शमनीय होगा कि साईड एवं पीछे के सेट–बैक में समस्त निर्माण शमनीय होगा, परन्तु फ्रन्ट सेटबैक के कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 50 प्रतिशत निर्माण शमनीय होगा। 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल से बड़े भूखण्डों में फ्रन्ट सेट–बैक के कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 25 प्रतिशत, पीछे के सेट–बैक में अधिकतम 75 प्रतिशत तथा साईड सेट–बैक में अधिकतम 25 प्रतिशत अतिरिक्त निर्माण इस शर्त के साथ शमनीय होगा कि भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 20 प्रतिशत अतिरिक्त भू–आच्छादन शमनीय होगा।

स्पष्टीकरणः 300 वर्ग मीटर तक के कोने के भूखण्डों में फ्रन्ट सेट–बैक के अनुरूप साईड सेट–बैक के कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 50 प्रतिशत अतिरिक्त निर्माण शमनीय होगा।

(ख) ग्रुप हाउसिंग, व्यावसायिक, कार्यालय, संस्थागत एवं अन्य बहुमंजिले निर्माण में भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल का अधिकतम 15 प्रतिशत अतिरिक्त भू–आच्छादन भवन की निरन्तरता में शमनीय होगा। सेट–बैक क्षेत्र में 15 प्रतिशत अतिरिक्त भू–आच्छादन के शमन के फलस्वरूप सेट–बैक में होने वाली कमी इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि फायर सेफ्टी के सम्बन्ध में अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

टिप्पणीः भवन निर्माण एवं विकास उपविधि की व्यवस्थानुसार ग्रुप हाउसिंग, व्यावसायिक, कार्यालय, संस्थागत एवं अन्य बहुमंजिले निर्माण के शमन हेतु सड़क की न्यूनतम चौड़ाई भवन

निर्माण एवं विकास उपविधि के प्राविधानों के अनुसार 12 मीटर होगी तथा मूल भूखण्ड हेतु निर्धारित निर्माण के मानकों यथा–सेटबैक, भू–आच्छादन, एफ.ए.आर., भवन की ऊंचाई, पार्किंग व्यवस्था, आदि के आधार पर शमन की कार्यवाही की जाएगी।

4.2 एफ.ए.आर.

(क) भूखण्डीय विकास में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित होने पर एक अतिरिक्त तल का निर्माण इस प्रतिबन्ध के अधीन शमनीय होगा कि भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक नहीं होगी। पीछे के सेट–बैक में शमनीय भू–आच्छादन के अन्तर्गत अधिकतम 15 मीटर ऊंचाई तक किया गया निर्माण शमनीय होगा।

(ख) "निर्मित क्षेत्र" में ग्रुप हाउसिंग व्यवसायिक, कार्यालय, संस्थागत एवं अन्य बहुमंजिले निर्माण हेतु भवन निर्माण एवं विकास उपविधि (समय–समय पर यथासंशोधित) के अनुसार अनुमन्य एफ.ए.आर. का अधिकतम 20 प्रतिशत क्रय–योग्य एफ.ए.आर. शमनीय होगा, परन्तु प्रथम 10 प्रतिशत अतिरिक्त एफ.ए.आर. हेतु क्रय–योग्य एफ.ए.आर. शुल्क देय नहीं होगा।

(ग) "निर्मित क्षेत्र" के बाहर ग्रुप हाउसिंग व्यवसायिक कार्यालय, संस्थागत एवं अन्य बहुमंजिले निर्माण हेतु भवन उपविधि (समय–समय पर यथासंशोधित) के अनुसार 18 मीटर से अधिक एवं 24 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर अनुमन्य एफ.ए.आर. का अधिकतम 33 प्रतिशत तथा 24 मीटर एवं अधिक चौड़ी सड़क पर अनुमन्य एफ.ए.आर. का अधिकतम 50 प्रतिशत अतिरिक्त एफ.ए.आर. क्रय–योग्य आधार पर शमनीय होगा, परन्तु प्रथम 10 प्रतिशत अतिरिक्त एफ.ए.आर. हेतु क्रय–योग्य एफ.ए.आर. शुल्क देय नहीं होगा।

4.3 **बेसमेन्ट**–भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत बगल की सम्पत्तियों की स्ट्रक्चरल सेफ्टी एवं भवन उपविधि की अन्य अपेक्षाएं सुनिश्चित होने पर सम्पूर्ण भूखण्ड पर बेसमेन्ट इस प्रतिबन्ध के अधीन शमनीय होगा कि बेसमेन्ट का निर्माण निजी स्वामित्व की भूमि के अन्तर्गत हो।

4.4 **भवन की ऊंचाई**–समस्त उपयोगों के भवनों हेतु ऊंचाई के सम्बन्ध में स्टेट्यूटरी प्रतिबन्धों को छोड़कर शमनीय एफ.ए.आर. एवं भू–आच्छादन की सीमान्तर्गत भवन की अतिरिक्त ऊंचाई शमनीय होगी अर्थात भवन की ऊंचाई के फलस्वरूप नियमानुसार वांछित सेटबैक में कमी इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि फायर सेफ्टी के सम्बन्ध में अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4.5 **आवासीय इकाईयां**–एकल आवासीय भवनों एवं भूखण्डीय विकास के अन्तर्गत बहु–आवासीय इकाईयों के भवनों तथा ग्रुप हाउसिंग भवनों में शमनीय एफ.ए.आर. के अन्तर्गत निर्मित समस्त ईकाईयां इस प्रतिबन्ध के अधीन शमनीय होगी कि भवन में नियमानुसार पार्किंग, ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. हाउसिंग तथा सामुदायिक सुविधाओं, आदि की समानुपातिक व्यवस्था उपलब्ध हो। यदि ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. भवनों का नियमानुसार निर्माण न किया गया हो, तो उक्त भवनों की कमी के सापेक्ष शेल्टर फीस लेकर ऐसा निर्माण शमन किया जा सकेगा।

4.6 **कम्पाउण्ड वाल**–समस्त उपयोगों के भवनों में अनुमन्य ऊंचाई से अधिकतम 20 प्रतिशत अतिरिक्त ऊंचाई शमनीय होगी।

4.7 **पार्किंग**–पार्किंग हेतु स्वीकृत क्षेत्र पुनर्स्थापित करने अथवा उसी भूखण्ड पर वैकल्पिक पार्किंग व्यवस्था करने पर ही ऐसा निर्माण शमनीय होगा।

4.8 **जोनिंग रेगुलेशन्स के अधीन अनुमन्यता**–विकास प्राधिकरण/सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत योजनाओं/ले–आउट प्लान्स के बाहर स्थित क्षेत्र में समस्त उपयोगों के भवनों में सम्बन्धित

नगर की महायोजना जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार 'सामान्यतः अनुमन्य' एवं 'सशर्त अनुमन्य' क्रियाओं के अनुरूप किया गया उपयोग/निर्माण निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए 'इम्पैक्ट फीस' के भुगतान पर इस शर्त के साथ शमनीय होगा कि भवन में नियमानुसार पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित हो।

4.9 **भूमि का अवैध उपविभाजन**—भूमि, जिसका क्षेत्रफल 3000 वर्ग मीटर से कम हो, के सब–डिवीजन प्लान की स्वीकृति/नियमितीकरण के उपरान्त ही ऐसा अवैध उप–विभाजन शमनीय होगा। 3000 वर्ग मीटर एवं अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड का अवैध उप–विभाजन शमनीय नहीं होगा।

4.10 **भूखण्ड आमेलन**—एक से अधिक आमेलित एकल आवासीय भूखण्डों पर किया गया निर्माण (ग्रुप हाउसिंग को छोड़कर) इस शर्त के अधीन शमनीय होगा कि आमेलित भूखण्ड एक व्यक्ति/परिवार/फर्म/कम्पनी के स्वामित्व में होने चाहिए तथा महायोजना तथा जोनल प्लान/ले–आउट प्लान में उनका भू–उपयोग भी एक होना चाहिए। आमेलित भूखण्ड के सेट–बैक, ले–आउट प्लान के अनुसार होंगे तथा एफ.ए.आर., भवन की ऊंचाई, आदि के मानक शमन योजना, 2020 में निर्धारित शमनीय सीमा के अन्तर्गत होंगे। विकास शुल्क की देयता विकास शुल्क नियमावली, 2014 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अनुसार होगी।

5. शमन शुल्क की दरें

शमन योजना, 2020 के अन्तर्गत वर्तमान में लागू शमन उपविधि, 2010 की तुलना में शमन शुल्क की दरों में छूट प्रस्तावित है। शमन योजना, 2020 के अनुसार विभिन्न प्रकृति के अवैध निर्माण के शमन हेतु शमन शुल्क की दरें निम्नवत् होंगीः—

क्र. सं.		अवैध निर्माण का प्रकार	शमन शुल्क की दरें (रू. प्रति वर्ग मीटर)
1.		**सेट–बैक/अनुमन्य से अतिरिक्त भू–आच्छादन**	
	1.1	**आवासीय**	
	(क)	ग्रुप हाउसिंग/बहुमंजिले भवन	भूमि मूल्य का 50 प्रतिशत
	(ख)	भूखण्डीय विकास	
		• फ्रन्ट सेट बैक में	
		• पार्श्व (साइड) सेट बैक में	
		• पीछे के सेट बैक में	
	1.2	**व्यवसायिक**	
	(क)	भूखण्डीय विकास	भूमि मूल्य का 100 प्रतिशत
		• फ्रन्ट सेट बैक में	
		• पार्श्व (साइड) सेट बैक में	
		• पीछे के सेट बैक में	
	(ख)	बहुमंजिले भवनों में	
	1.3	**कार्यालय**	
	(क)	बहुमंजिले भवनों में	भूमि मूल्य का 75 प्रतिशत
	(ख)	भूखण्डीय विकास	
		• फ्रन्ट सेट बैक में	

		• पार्श्व (साइड) सेट बैक में	
		• पीछे के सेट बैक में	
	1.4	**सामुदायिक सुविधाएं**	
	(क)	बहुमंजिले भवनों में	भूमि मूल्य का 25 प्रतिशत
	(ख)	भूखण्डीय विकास	
		• फ्रन्ट सेट बैक में	
		• पार्श्व (साइड) सेट बैक में	
		• पीछे के सेट बैक में	
2.	**एफ.ए.आर.**		
	2.1	आवासीय	रू. 200 प्रति वर्ग. मी.
	2.2	व्यवसायिक	रू. 400 प्रति वर्ग. मी.
	2.3	कार्यालय	रू. 300 प्रति वर्ग. मी.
	2.4	सामुदायिक सुविधाएं	रू. 100 प्रति वर्ग. मी.
3.	**आवासीय इकाईयां**	बहु–आवासीय इकाईयों तथा ग्रुप हाउसिंग भवनों में अनुमन्य एफ.ए.आर. के सापेक्ष निर्मित इकाईयों के अतिरिक्त अन्य समस्त इकाईयों हेतु रू. 20,000 प्रति इकाई।	
4.	**बेसमेन्ट**		
	4.1	आवासीय	रू. 200 प्रति वर्ग. मी.
	4.2	व्यवसायिक	रू. 400 प्रति वर्ग. मी.
	4.3	कार्यालय/मिश्रित	रू. 300 प्रति वर्ग. मी.
	4.4	सामुदायिक सुविधाएं	रू. 100 प्रति वर्ग. मी.
5.	**कम्पाउण्ड वाल (रू. प्रति रनिंग मीटर)**		
	5.1	आवासीय	रू. 100, न्यूनतम रू. 10,000
	5.2	व्यवसायिक	रू. 200, न्यूनतम रू. 20,000
	5.3	कार्यालय	रू. 150, न्यूनतम रू. 15,000
	5.4	सामुदायिक सुविधाएं	रू. 50, न्यूनतम रू. 5,000
6.	**अवैध भू–उपयोग**		• भू–उपयोग परिवर्तन अनुमन्य नहीं • जोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार अनुमन्य क्रियाओं हेतु वर्तमान दरों पर इम्पैक्ट फीस देय होगी
7.	**भूमि का अवैध उप–विभाजन**		(क) 3000 व.मी. से कम अवैध उप–विभाजन जो भवन उपविधिं के अनुसार हो:– • आवासीय: भूमि मूल्य का 1.0 प्रतिशत • व्यवसायिक: 2.0 प्रतिशत • कार्यालय/मिश्रित: 1.5 प्रतिशत • सामुदायिक सुविधाएं: 0.5 प्रतिशत (ख) 3000 व.मी. से कम अवैध उप–विभाजन, जिसकी नियमानुसार अनुमति न हो:– • उपरोक्त(क) में निर्धारित दरों का दोगुना शमन शुल्क।

8.	भूखण्ड आमेलन	• आवासीयः भूमि मूल्य का 1 प्रतिशत • व्यवसायिकः 2 प्रतिशत • कार्यालय/मिश्रितः 1.5 प्रतिशत • सामुदायिक सुविधाएंः 0.5 प्रतिशत

टिप्पणीः–

(1) 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल तक के एकल आवासीय भवनों हेतु शमन शुल्क की दरें उपरोक्त अनुसूची में निर्धारित दरों की 50 प्रतिशत होगी।

(2) निम्न एवं लघु–मध्यम आय वर्ग (100 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड) हेतु शमन शुल्क की दरें उपरोक्त टिप्पणी (1) में निर्धारित दरों में 25 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट होगी।

(3) अनुमन्य भू–आच्छादन एवं एफ.ए.आर. के अन्तर्गत बिना स्वीकृति के किये गये सभी प्रकृति के निर्माण के शमन हेतु भूखण्ड के क्षेत्रफल के आधार पर प्रति वर्ग मीटर निम्न दरें लागू होंगीः–

आवासीय	व्यवसायिक	कार्यालय	सामुदायिक सुविधाएं/अन्य
• 100 व.मी. तक रू. 10	आवासीय का 2.0 गुना	आवासीय का 1.5 गुना	आवासीय का 0.50 गुना
• 101–300 व.मी. रू. 15	तदैव	तदैव	तदैव
• 301–500 व.मी. रू. 20	तदैव	तदैव	तदैव
• 501–2000 व.मी. रू. 25	तदैव	तदैव	तदैव
• 2000 व.मी. से अधिक रू. 25	तदैव	तदैव	तदैव
• शमनीय इकाईयों हेतु रू. 20,000 प्रति इकाई	–	–	–

(4) क्रय–योग्य एफ.ए.आर. के शमन हेतु नियमानुसार देय क्रय–योग्य एफ.ए.आर. शुल्क के अतिरिक्त उपरोक्त अनुसूची में निर्धारित दरों पर शमन–शुल्क भी देय होगा।

(5) एक से अधिक भूखण्डों के आमेलन की स्थिति में शमन शुल्क आमेलित भूखण्डों के कुल क्षेत्रफल पर देय होगा।

(6) शमन शुल्क की गणना करते समय भूमि का मूल्य एक बार ही लिया जाएगा।

(7) चैरीटेबल संस्थाएं जिन्हें आयकर अधिनियम, 1961 की धारा–80 (जी) के अन्तर्गत छूट प्राप्त हो तथा सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा प्राविधानित संस्थाओं/सेवाओं और शिक्षण संस्थाओं हेतु शमन शुल्क की दर भूमि मूल्य का 12.5 प्रतिशत होगी।

(8) शमन योजना, 2020 के अनुसार शमनीय निर्माण के अतिरिक्त अन्य अवैध निर्माण जो भवन उपविधि के विपरीत हो अथवा जिसकी स्वीकृति न दी गयी हो (यथा–पोर्च, बालकनी, छज्जे, आदि), परन्तु शमनीय हो, पर आवासीय भवनों हेतु रू. 100 प्रति वर्ग मीटर की दर से शमन शुल्क लिया जाएगा। व्यवसायिक उपयोग हेतु इसकी दरें दो गुनी, कार्यालय हेतु डेढ़ गुना तथा सुविधायें एवं अन्य उपयोगों में 0.5 गुना होगी।

SO-3 SYSTEM-GO-2018-19

(9) सामुदायिक सुविधाओं/सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत सम्बन्धित विकास क्षेत्र की महायोजना के जोनिंग के अनुसार अनुमन्य क्रियाएं शामिल होंगी यथा-शिक्षण संस्थाएं, चिकित्सा संस्थाएं, अतिथिगृह, छात्रावास, क्लब, सामुदायिक केन्द्र, कान्फ्रेन्स हॉल, बैंक्वेट हॉल, आर्ट गैलरी, ऑडीटोरियम, अनाथालय, बारातघर, अजायबघर, सत्संग भवन, आदि।

6. आवेदन-पत्र के प्रस्तुतीकरण एवं निस्तारण की प्रक्रिया

6.1 आवेदक द्वारा अवैध निर्माण के शमन हेतु स्व-मूल्यांकित शमन शुल्क की धनराशि सहित निर्धारित संलग्न प्रपत्र **(परिशिष्ट-1)** पर आवेदन-पत्र आवास आयुक्त, आवास विकास परिषद एवं उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण और नियंत्रक प्राधिकारी को ऑन-लाईन/ऑफ-लाईन प्रस्तुत किया जाएगा। शमन शुल्क की धनराशि लाभार्थी द्वारा एकमुश्त अथवा 03 मासिक किस्तों में स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया की दिनांक 01.4.2020 की 02 वर्षों हेतु निर्धारित एम.सी.एल.आर. दर में 01 प्रतिशत बढ़ोत्तरी के साथ साधारण ब्याज़ सहित देय होगी। शमन शुल्क की धनराशि लाभार्थी द्वारा एकमुश्त जमा करने पर सम्पूर्ण देय शमन शुल्क की धनराशि पर 02 प्रतिशत की छूट होगी। किस्तों के भुगतान में डिफाल्ट होने पर बकाया धनराशि आर.सी. जारी कर वसूल की जाएगी। लाभार्थी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र तभी स्वीकृत/शमनित माना जाएगा, जब सम्पूर्ण धनराशि वसूल हो जाए। सम्पूर्ण धनराशि जमा होने के पश्चात् ही शमन मानचित्र रिलीज किया जाएगा।

6.2 अपार्टमेन्ट भवनों, जिनमें मूल आवंटी द्वारा अपार्टमेन्ट्स (दुकानें, कार्यालय, आदि) का विक्रय किया जा चुका है, के प्रकरणों में मूल आवंटी अथवा उ.प्र. अपार्टमेन्ट (निर्माण, स्वामित्व और अनुरक्षण का सम्वर्द्धन) अधिनियम, 2010 एवं उसके अधीन अधिसूचित बाई-लाज़ फॉर एसोसिएशन की व्यवस्थानुसार एसोसिएशन/रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से शमन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा।

6.3 आवेदन-पत्र के साथ वांछित समस्त दस्तावेज प्रस्तुत न किए जाने की दशा में आवेदन-पत्र स्वीकार्य नहीं होगा। शमन हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र अपूर्ण/स्वीकार्य न होने अथवा निरस्त किए जाने की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा उसकी सूचना तत्काल आवेदक को दी जाएगी।

6.4 आवेदन-पत्र के साथ भूखण्ड के कुल क्षेत्रफल के आधार पर निम्न प्रोसेसिंग शुल्क जमा किया जाएगा:-

क्र.सं.	भवन का प्रकार	प्रोसेसिंग शुल्क
(1)	आवासीय भवन (केवल भूखण्डीय विकास)	रू. 1.0 प्रति वर्ग मीटर
(2)	ग्रुप हाउसिंग	रू. 1.5 प्रति वर्ग मीटर
(3)	व्यवसायिक भवन	रू. 2.0 प्रति वर्ग मीटर
(4)	कार्यालय/मिश्रित उपयोग के भवन	रू. 1.50 प्रति वर्ग मीटर
(5)	सामुदायिक सुविधाएं	रू. 0.50 प्रति वर्ग मीटर

6.5 सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत योजना/ले-आउट प्लान के अन्तर्गत स्थित 300 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखण्डों के मानचित्र प्राधिकरण में प्राप्त होने पर स्वतः अनुमोदित (डीम्ड एप्रूव्ड') माने जाएंगे, जबकि शेष समस्त मानचित्रों की चेकिंग की जाएगी। 'डीम्ड एप्रूव्ड' मानचित्रों (300 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखण्ड) पर प्राधिकरण द्वारा मोहर लगायी जाएगी, जिसमें निम्न शर्त अंकित होगीः—

"यह मानचित्र आवेदक के स्व-प्रमाणीकरण के आधार पर रेण्डम चेकिंग के प्रतिबन्ध के अधीन 'डीम्ड एप्रूव्ड' मान्य है।"

6.6 किस्तों की सुविधा का लाभ लेने वाले आवेदकों के शमन मानचित्र सम्पूर्ण धनराशि जमा होने के पश्चात् तथा जोनिंग रेगुलेशन्स के अधीन अनुमन्य क्रियाओं से सम्बन्धित प्रकरणों में निर्धारित प्रकिया का अनुपालन सुनिश्चित होने के पश्चात ही अनुमोदित माने जाएंगे।

6.7 शमन मानचित्र की स्वीकृति के उपरान्त पूर्णता प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन-पत्र जमा करने की तिथि से सम्बन्धित अभिकरण द्वारा 07 दिन के अन्दर पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा।

6.8 योजना अवधि में प्रत्येक माह में 300 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखण्डों के शमन हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों की 'रेन्डम चेकिंग' की जाएगी। यदि उक्त चेकिंग के अन्तर्गत शमन हेतु प्राप्त मानचित्र एवं मौके पर किए गए अवैध निर्माण में भिन्नता पाई जाती है अथवा अवैध निर्माण का कोई भाग अघोषित पाया जाता है, तो ऐसे प्रकरणों में उपरोक्त प्रस्तर-6 में निर्धारित दरों का दोगुना शमन शुल्क वसूल किया जाएगा तथा अशमनीय भाग को नियमानुसार ध्वस्त करने के लिए प्राधिकरण स्वतन्त्र होगा। इस योजना के अनुरूप मानचित्र तैयार करने तथा शमन शुल्क की सही गणना करने का पूर्ण दायित्व आवेदक के साथ-साथ सम्बन्धित वास्तुविद्/अभियन्ता/मानचित्रकार का भी होगा, अतः योजना के प्राविधानों का उल्लंघन पाये जाने पर उनके विरूद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

6.9 शमन हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात मानचित्र में प्रदर्शित भवन अथवा उसका कोई भाग प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त नहीं किया जाएगा। परन्तु अशमनीय भाग को यदि भवन स्वामी द्वारा शपथ-पत्र में इंगित अवधि के भीतर स्वयं नहीं हटाया जाता है, तो प्राधिकरण द्वारा उसे विधि के अनुसार ध्वस्त किया जाएगा, जिस पर होने वाला सम्पूर्ण व्यय आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा, जिसकी वसूली उ.प्र. नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-40 के अधीन भू-राजस्व के बकाए के रूप में की जाएगी।

6.10 शमन शुल्क की बकाया धनराशि यदि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अवधि के अन्दर जमा नहीं की जाती है, तो लाभार्थी से उसकी वसूली उ.प्र. नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा-40 के अधीन भू-राजस्व के बकाए के रूप में की जाएगी।

6.11 शमन शुल्क के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि विकास प्राधिकरण के नगर स्तरीय अवस्थापना विकास फण्ड में जमा की जाएगी, जिसका उपयोग नगरीय अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण/सम्वर्द्धन में किया जाएगा।

6.12 योजनान्तर्गत आवेदन-पत्रों को ऑन-लाईन/ऑफ-लाईन जमा करने, अनुमोदन/ निस्तारण तथा रेन्डम चेकिंग, आदि की कम्प्यूट्रीकृत व्यवस्था के लिए आवास बन्धु, द्वारा सॉफ्टवेयर विकसित कराकर सम्बन्धित अभिकरणों को उपलब्ध कराया जाएगा।

7. शमन हेतु अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध

7.1 जहां भवन की संरचनात्मक सुरक्षा के सम्बन्ध में स्ट्रक्चरल सेफ्टी प्रमाण-पत्र, अग्निशमन विभाग, पुरातत्व विभाग, एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ

इण्डिया, उ.प्र. पर्यावरण निदेशालय, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उ.प्र. लोक निर्माण विभाग, भारतीय रेलवे, कैन्टोनमेंट बोर्ड, नगर निगम, सिंचाई विभाग, आदि से अनापत्ति प्रमाण–पत्र की आवश्यकता होगी, वहां उक्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र आवेदन–पत्र के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा, तत्पश्चात ही शमन की कार्यवाही विचारणीय होगी।

7.2 भूमि का मूल्य विकास प्राधिकरण की वर्तमान सेक्टर (आवासीय) दर पर आंकलित किया जाएगा, प्राधिकरण की दर न होने पर जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित भूमि के वर्तमान आवासीय सर्किल रेट पर आंकलित किया जाएगा।

7.3 यदि किसी प्रकरण में अवैध निर्माण एक से अधिक प्रकार के अन्तर्गत आता है, तो शमन शुल्क प्रत्येक प्रकार के अवैध निर्माण के लिए देय शुल्क को जोड़कर लिया जाएगा।

7.4 यदि भवन मानचित्र स्वीकृत है, तो शमन शुल्क के अतिरिक्त मानचित्र शुल्क, मलवा शुल्क तथा अन्य निर्धारित शुल्क केवल शमनीय भाग पर देय होंगे। परन्तु मानचित्र स्वीकृत न होने की दशा में मानचित्र शुल्क एवं अन्य सभी निर्धारित शुल्क यथास्थिति, सम्पूर्ण भूखण्ड/निर्मित तल क्षेत्रफल पर देय होंगे।

7.5 जिन भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्थापित करना अनिवार्य है, ऐसे भवनों के स्वामी से इस आशय का शपथ–पत्र लिया जाएगा कि उसके द्वारा शमन मानचित्र की स्वीकृति के पश्चात् दो माह के अन्दर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था कर ली जाएगी। भवन में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होने के उपरान्त ही प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्र निर्गत किया जाएगा।

7.6 शमन हेतु प्रस्तुत मानचित्र एवं शमन शुल्क की गणना सम्बन्धी विवरण लाइसेन्सयुक्त वास्तुविद/अभियंता/मानचित्रकार द्वारा तैयार/सत्यापित होना चाहिए।

7.7 शमन योजना, 2020 के लागू रहने की अवधि में विकास प्राधिकरण अपराधों का शमन उपविधि, 2010 स्थगित रहेगी।

7.8 प्राधिकरण स्तर पर विचाराधीन शमन सम्बन्धी प्रकरण, जिन्हें अन्तिम रूप से स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है, ऐसे प्रकरणों में शमन योजना, 2020 के अधीन नए सिरे से आवेदन किया जा सकेगा।

8. अवैध निर्माण के विरूद्ध कार्यवाही

8.1 शमन हेतु निर्धारित छः माह की अवधि के अन्तर्गत जिन अवैध निर्माणकर्ताओं द्वारा अवैध निर्माण के शमन हेतु आवेदन नहीं किया जाता है अथवा इस योजना के जारी होने के उपरान्त भी अवैध निर्माण किया जाता है/जारी रखा जाता है, तो उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा टीमों का गठन कर उ.प्र. नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–27 एवं 28 के अधीन ऐसे अवैध निर्माणों के अभियोजन/सीलबन्द करने/ध्वस्तीकरण हेतु अभियान चलाया जाएगा।

8.2 महायोजना/जोनल डेवल्पमेन्ट प्लान, ले–आउट प्लान में निर्धारित भू–उपयोग के उल्लंघनस्वरूप किए गए अनाधिकृत निर्माणों के विरूद्ध उक्त अधिनियम की धारा–26 के अधीन अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।

9. योजना का प्रचार–प्रसार, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

9.1 विकास प्राधिकरणों द्वारा जनता की जानकारी हेतु इस योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाएगा। योजना की पब्लिसिटी समाचार–पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न, विज्ञापन, प्रेस नोट, महत्वपूर्ण स्थलों पर नोटिस बोर्ड, आदि के माध्यम से की जाएगी। तत्पश्चात् योजना के

अन्तर्गत निर्धारित पात्रता के अनुसार चिन्हित अवैध निर्माणों को नोटिस जारी कर शमन शुल्क एवं अन्य फीस/शुल्क की धनराशि सहित आवेदन–पत्र प्राधिकरण में प्राप्त होने पर अनधिकृत निर्माण के शमन हेतु कार्यवाही की जाएगी।

9.2 सम्बन्धित अभिकरण द्वारा शमन हेतु प्राप्त आवेदन–पत्रों की संख्या एवं उनके निस्तारण की प्रगति तथा शमन शुल्क के रूप में प्राप्त धनराशि की साप्ताहिक सूचना आवास बन्धु को 'ई–मेल' के माध्यम से प्रेषित की जाएगी, जिसका अनुश्रवण प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन के स्तर पर किया जाएगा।

9.3 सम्बन्धित अभिकरण द्वारा शमन की सम्पूर्ण कार्यवाही एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत सुनिश्चित की जाएगी, ताकि अधिक से अधिक जनता इस योजना का लाभ उठा सके और किसी का उत्पीड़न न हो।

9.4 इस योजनान्तर्गत शमन से सम्बन्धित कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में स्पष्टीकरण हेतु राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

(दीपक कुमार)
प्रमुख सचिव
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग

परिशिष्ट–1

शमन योजना, 2020 के अधीन आवेदन के लिए प्रपत्र

(जो लागू हो, वही भरा जाए)

1.		आवेदक का नाम	
2.		भूखण्ड/भवन संख्या	
3.		क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	
4.		भूखण्ड/भवन की स्थिति(पूरा पता)	
5.		भू–उपयोग/भवन का प्रकार	आवासीय (एकल आवास/बहु–आवासीय इकाई/ ग्रुप हाउसिंग)/व्यवसायिक/कार्यालय/मिश्रित/ सामुदायिक सुविधाएं
6.		मानचित्र स्वीकृत अथवा नहीं	हाँ/स्वतः अनुमोदित/नहीं
7.		यदि स्वीकृत है, तो	परमिट संख्या..........................दिनांक..................
8.		संलग्न दस्तावेजों का विवरणः–	संलग्न/नहीं
	8.1	भवन मानचित्र की स्कैन की हुई प्रति	
	8.2	भूमि/भवन स्वामित्व प्रमाण–पत्र	
	8.3	भवन के अद्यतन फोटोग्राफ (सामने, पीछे एवं साइड की ओर)	
	8.4	रेन वाटर हार्वेस्टिंग से सम्बन्धित शपथ–पत्र	
	8.5	निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट–1'क') पर शपथ–पत्र	
9.		अनापत्ति प्रमाण–पत्रों का विवरणः–	
	9.1	अग्निशमन विभाग	
	9.2	पुरातत्व विभाग	
	9.3	स्ट्रक्चरल इंजीनियर का प्रमाण–पत्र	
	9.4	एअरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया	
	9.5	नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया	
	9.6	उ.प्र. पर्यावरण निदेशालय	
	9.7	उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	
	9.8	उ.प्र. लोक निर्माण विभाग	
	9.9	नगर निगम	
	9.10	सिंचाई विभाग	
	9.11	नियमानुसार वांछित अन्य अनापत्ति प्रमाण–पत्र	
10.		प्रोसेसिंग फीस जमा करने सम्बन्धी विवरण (रसीद की प्रति संलग्न करें/यू.टी.आर. नम्बर):–	संलग्न/नहीं
	(क)	डिमाण्ड ड्राफ्ट/चेक/चालान संख्या एवं दिनांक	
	(ख)	धनराशि (रूपए)	
	(ग)	जारी करने वाले बैंक का नाम	
11.		शमन शुल्क जमा करने सम्बन्धी विवरण (रसीद की प्रति संलग्न करें/ यू.टी.आर. नम्बर):–	संलग्न/नहीं
	(क)	डिमाण्ड ड्राफ्ट/चेक/चालान संख्या एवं दिनांक	
	(ख)	धनराशि (रूपए)	
	(ग)	जारी करने वाले बैंक का नाम	

12.	विकास शुल्क, मानचित्र शुल्क, भण्डारण शुल्क, निरीक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क जमा करने सम्बन्धी विवरण (रसीद की प्रति संलग्न करें / यू.टी.आर. नम्बर):–	संलग्न / नहीं
(क)	डिमाण्ड ड्राफ्ट / चेक / चालान संख्या एवं दिनांक	
(ख)	धनराशि (रूपए)	
(ग)	जारी करने वाले बैंक का नाम	

13. अवैध निर्माण का विवरण तथा शमन शुल्क का स्वमूल्यांकनः–

क्र. सं.	अवैध निर्माण का प्रकार	अवैध निर्माण का क्षेत्रफल (व.मी. / मीटर / संख्या)	शमन शुल्क की धनराशि (रूपए)
1	2	3	4
1.	सेट–बैक / भू–आच्छादन		
2.	एफ.ए.आर.		
3.	आवासीय इकाईयां		
4.	बेसमेन्ट		
5.	कम्पाउण्ड वाल		
6.	जोनिंग रेगुलेशन्स के अधीन इम्पैक्ट फीस		
7.	अवैध उप–विभाजन		
8.	भूखण्ड आमेलन		
	शमन शुल्क का योग–		

14. मैं एतद्द्वारा घोषणा करता / करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है। आवेदन–पत्र के साथ संलग्न फोटोग्राफ दिनांक..............2020 को लिए गए हैं, जो मेरे एवं तकनीकी अनुज्ञापित व्यक्ति द्वारा फोटोग्राफ के पीछे हस्ताक्षरित हैं। भवन मानचित्र मौके पर दिनांक 01.5.2016 / 2020 के पूर्व / तक हुए निर्माण की मापों के अनुरूप है, भू–आच्छादन एवं एफ.ए.आर. शमन हेतु निर्धारित अधिकतम सीमाओं के अन्तर्गत है। मानचित्र में दर्शाए गए अशमनीय भाग को मैं निर्धारित अवधि में स्वयं ध्वस्त करूंगा / करूंगी अन्यथा प्राधिकरण को ध्वस्तीकरण का पूर्ण अधिकार होगा। मैं यह भी घोषणा करता / करती हूँ कि शमन शुल्क की गणना इस योजना हेतु निर्धारित दरों के अनुरूप की गई है और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

आवेदक के हस्ताक्षर..

आवेदक का नाम..

पता (दूरभाष एवं ई–मेल सहित)........................

....

वास्तुविद् / अभियंता / मानचित्रकार के हस्ताक्षर....................

नाम एवं पता..

....

पंजीकरण संख्या..

दूरभाष ....ई–मेल..................................

स्थान ....

दिनांक..

परिशिष्ट–1 'क'

शमन योजना–2020 के अधीन शपथ पत्र समक्ष–उपाध्यक्ष,..............विकास प्राधिकरण

(रू. 100/– के स्टाम्प पेपर पर)

मैं/हम/श्री/श्रीमती..पुत्र/पुत्रगण श्री.. निवासी..शपथपूर्वक निम्न बयान करता हूँ:–

1. यह कि शपथी ने शमन योजना, 2020 का विधिवत अध्ययन कर लिया है। शपथी उक्त योजना के नियमों से भली–भॉति अवगत होते हुए आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर रहा है तथा उक्त योजना में उद्धरित उपविधि से शपथी अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।

2. यह कि शपथी ने............................विकास प्राधिकरण में अपने भवन/भूखण्ड संख्या..............का भवन मानचित्र दिनांक...........................को जमा किया है, जिसमें अशमनीय भाग लाल रंग से दर्शाया गया है, जिसका क्षेत्रफल बेसमेन्ट में ....वर्ग मीटर, भूतल पर......................वर्ग मीटर तथा अनुवर्ती तलों पर कुल ....वर्ग मीटर है। शमन की स्व–मूल्यांकित कुल धनराशि रू. ...., बैंक ड्राफ्ट संख्या....................दिनांक....................चालान संख्या....................दिनांक..................../आर.टी.जी.एस. द्वारा प्राधिकरण में जमा कर दी गई है, जिसकी रसीद/यू.टी.आर. संख्या संलग्न है।

3. यह कि अशमनीय भाग शपथी स्वयं हटा लेगा अन्यथा नियत अवधि के पश्चात उसे प्राधिकरण द्वारा हटाया जा सकेगा जिसका हर्जा–खर्चा शपथी पर उचित भार होगा और शपथी द्वारा उक्त खर्चा न देने की स्थिति में प्राधिकरण, उ.प्र. नगर नियोजन और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–40 के अधीन जिलाधिकारी के माध्यम से राजस्व के बकाये की भाँति वसूल कर लेगा।

4. यह कि प्रश्नगत भूखण्ड पर शपथी का निर्विवादित स्वामित्व है। स्वामित्व के सम्बन्ध में भविष्य में कोई विवाद होने पर उसका दायित्व स्वयं शपथी का होगा।

5. यह कि शपथी के भूखण्ड पर निर्माण वर्ष.................का है, जिसके प्रमाणस्वरुप नगर निगम/नगरपालिका परिषद द्वारा जारी कर निर्धारण/गृहकर से सम्बन्धित स्वप्रमाणित रसीद की प्रति संलग्न है।

6. यह कि शपथी के मानचित्र में दर्षाये गये एवं मौके पर किये गये अवैध निर्माण में प्राधिकरण द्वारा रेण्डम चेकिंग के अन्तर्गत यदि कोई भिन्नता पायी जाती है अथवा अवैध निर्माण का कोई भाग अघोषित पाया जाता है, तो प्रार्थी शमन योजना, 2020 के प्रस्तर–6 में निर्धारित दरों का दो गुना शमन शुल्क प्राधिकरण में जमा करने के लिए वचनबद्ध होगा तथा अषमनीय भाग को नियमानुसार ध्वस्त करने के लिए प्राधिकरण स्वतन्त्र होगा।

7. यह कि उपरोक्त पैरा एक से पांच की विषय–वस्तु शपथी की जानकारी में सत्य है। इसमें कोई भी बात छिपायी नहीं गयी है। ईश्वर मेरी मदद करें।

संलग्नक: (1) शमन शुल्क जमा करने की रसीद/यू.टी.आर. नम्बर।

(2) कर निर्धारण/गृहकर से सम्बन्धित प्रमाणित रसीद की प्रति।

स्थान .... **शपथी,**

दिनांक ....

नाम..

पुत्र/पत्नी श्री.......................

SO-1 SYSTEM-GO-2018-19

अ०वि०सं०-01 पृ०सं०-1

विषयः— लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत श्री रवि खरे अवर अभियन्ता को उनके गुर्दा प्रत्यारोपण हेतु किये गये भुगतान, तत्पश्चात चिकित्सा पर व्यय धनराशि का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

लखनऊ विकास प्राधिकरण में कार्यरत श्री रवि खरे, अवर अभियन्ता—सिविल (प्राधिकरण केन्द्रीतियत सेवा) द्वारा उनके दोनो गुर्दे निष्क्रिय होने जाने तथा हृदय रोग की गम्भीर बीमारी का इलाज मेदान्ता हास्पिटल गुड़गांव हरियाणा से इलाज कराया गया है, जिसमें श्री रवि खरे अवर अभियन्ता द्वारा अपने गुर्दा प्रत्यारोपण एवं हृदय की गम्भीर बीमारी में किये गयये व्यय एवं प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया चिकित्सा अग्रिम/भुगतान/समायोजन का प्रकरण अनुमन्य धनराशि रू0 500,000.00 के अधिक होने के कारण प्राधिकरण बोर्ड में प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक था, परन्तु किन्हीं कारणों से प्राधिकरण बोर्ड में नहीं प्रस्तुत किया जा सका। प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में प्रश्नगत प्रकरण में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाना है। श्री रवि खरे, अवर अभियन्ता द्वारा अग्रिम/भुगतान/समायोजन का विवरण निम्नवत् हैः—

1.	दिनांक 13.01.2017 को चिकित्सा अग्रिम धनराशि	रू0 5,00,000.00
2.	चिकित्सा उपरान्त प्रस्तुत बाउचर्स	रू0 19,62,344.00
3.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सत्यापन	रू0 19,19,040.00
4.	बीमा कम्पनी द्वारा भुगतान	रू0 5,00,000.00
5.	चिकित्सा अग्रिम समायोजन	रू0 5,00,000.00
6.	शेष चिकित्सा भुगतान	रू0 5,16,040.00
7.	दिनांक 28.07.2019 को चिकित्सा भुगतान	रू0 3,19,288.00
8.	चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान किया जाना है।	रू0 1,56,845.00

अतः उपरोक्तानुसार श्री रवि खरे, अवर अभियन्ता को पूर्व में भुगतान की गई धनराशि रू0 10,16,040.00+3,19,288.00=13,35,248.00 मात्र की औपचारिक स्वीकृति वर्तमान में भुगतान हेतु धनराशि रू0 1,56,845.00 मात्र की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

अनुभाग अधिकारी (अधिष्ठान)
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

(... कुमार शुक्ला)

प्रस्ताव–परिसम्पत्तियों के सापेक्ष देयता के संबंध में निर्गत शासनादेश को अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

विषय वस्तु–शासनादेश संख्या–36/2020/935/आठ–1–20–03बैठक/13टी0सी0 दिनांक 15.07.2020 द्वारा कोविड 19 के दृष्टिगत उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों के सापेक्ष देयता के संबंध में शासनादेश निर्गत किया गया है(संलग्नक)। उक्त शासनादेश को अंगीकृत किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

F.C.

संख्या:36/2020/935/आठ-1-20-03बैठक/13टीसी

प्रेषक,

दीपक कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2 उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3 अध्यक्ष/जिलाधिकारी,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांकः 15 जुलाई, 2020

विषयः कोविड-19 के दृष्टिगत उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों के सापेक्ष देयता के संबंध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

केन्द्र सरकार द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत घोषित आर्थिक पैकेज के क्रम में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा निर्गत प्रपत्र क्रमशः दिनांक 27 मार्च एवं 23 मई, 2020 तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र दिनांक 28 मई, 2020 के आलोक में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों की सम्पत्तियों के सापेक्ष देयता के संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार कार्यवाही का निर्णय लिया गया है :-

(1) सभी देयताओं पर दिनांक 01.03.2020 से दिनांक 31.08.2020 तक की अवधि के लिए कोई दण्ड ब्याज अधिरोपित नहीं किया जायेगा, बशर्ते उक्त देयता दिनांक 30.09.2020 तक जमा कर दी जाये। उक्त अवधि में देय किश्तों/एकमुश्त धनराशि की वसूली संबंधित विकास प्राधिकरणों तथा आवास एवं विकास परिषद की सामान्य ब्याजदर सहित की जायेगी।

(2) आवासीय/व्यवसायिक सम्पत्तियों के आवंटन में देय धनराशि 45/60 दिन में एकमुश्त जमा किये जाने पर यदि कोई छूट अनुमन्य हो तो उक्त 45/60 दिन की गणना में दिनांक 01.03.2020 से दिनांक 31.08.2020 तक की अवधि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(3) उपरोक्त बिन्दु-(1) व (2) को किसी प्रकार का "Concession" या Change in terms and conditions of agreement" नहीं माना जायेगा। पूर्व से लागू terms and conditions of agreement यथावत बने रहेंगे।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के उक्त निर्णय के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
दीपक कुमार
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4. निजी सचिव, मा. मंत्री जी/मा. राज्य मंत्री जी आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ.प्र. शासन।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र., लखनऊ।
6. निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करते हुए इसका प्रचार-प्रसार करने का कष्ट करें।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
माला श्रीवास्तव
विशेष सचिव

18 जुलाई की एल.डी.ए. बोर्ड की बैठक के एजेंडे में शामिल किए जाने हेतु बिन्दु

1. एल.डी.ए. की मार्केट जिनमें अभी तक अधिकांश दुकानें बन्द पड़ी हैं पर चर्चा।
2. अंसल आंगन फेज–3 ईडब्ल्यूएस मकान के आवंटियों की लाटरी पर चर्चा।
3. एल.डी.ए. द्वारा अधिगृहित जमीनों के गांवों का समुचित विकास न होने पर चर्चा।
4. एल.डी.ए. के बहुत सारे ऐसे मकान हैं जिनके मूल आवंटियों ने साधारण एग्रीमेंट पर या अन्य को मकान दे दिए हैं जिसपर लोग 20–20, 25–25 वर्ष से काबिज हैं पर चर्चा।

(पुष्कर शुक्ला)
सदस्य
लखनऊ विकास प्राधिकरण
मो–9415464495